राष्ट्रपति के सस्मरण

राष्ट्रपति के संस्मरण

नीलम सजीव रेड्डी

राजपाल एण्ड सन्ज़
कश्मीरी गेट, दिल्ली

प्रस्तावना

भारत के राष्ट्रपति के रूप में पाच वर्ष की अवधि (जुलाई 25, 1977 से जुलाई 24, 1982) के अपने कुछ अनुभवो को मैंने इस पुस्तक मे लिपिबद्ध किया है। इसका प्रारूप सन् 1982 मे तैयार किया गया था, पुस्तक पढ़ते समय पाठको को इसे ध्यान मे रखना आवश्यक है।

मैं उन सभी का आभारी हू जिन्होंने मुझे इसके प्रकाशन मे सहयोग दिया।

अक्तूबर 1, 1989
बगलौर

नीलम सजीव रेड्डी

विषय-क्रम

राष्ट्रपति के पद पर	9
तिरुपति और मद्रास यात्रा	13
अमरीका में मेरी अंतिम सिगरेट	16
राष्ट्रपति भवन इतना विशाल क्यों	18
जयप्रकाश नारायण से प्रेरणापूर्ण संपर्क	21
राजा जी के आदर्श	24
सन् 1979 का संवैधानिक संकट	29
चरणसिंह से मतभेद	46
विदेश यात्राओं के प्रसंग	48
सोवियत रूस और बलगेरिया में	48
केन्या और जाम्बिया यात्रा	52
इंग्लैण्ड के प्रिंस चार्ल्स का विवाहोत्सव	55
इण्डोनेशिया और श्रीलंका यात्राओं का स्थगन	58
इण्डोनेशिया और नेपाल में	60
श्रीलंका का लावण्य	65
आयरलैंड और यूगोस्लाविया में	71
सार्वजनिक समारोह कुछ विचारणीय प्रश्न	77
असम और दिल्ली दोहरे मानदण्ड	84
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विरोधी दल	89
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार	92
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी	96
राष्ट्रपति और भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी	100
विश्वविद्यालय और भारतीय राष्ट्रपति	104
मेरा अंतिम गणतन्त्र दिवस संदेश	106
भारतीय परिदृश्य चिंतनीय विषय	108

1

राष्ट्रपति के पद पर

फखरुद्दीन अली अहमद जो कि अगस्त 1974 मे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, उनका स्वर्गवास सामान्य पाच वर्ष की अवधि समाप्त होने से बहुत पहले फरवरी 1977 म हो गया। इसके पश्चात बी० डी० जत्ती, उपराष्ट्रपति ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पद सम्भाला। केन्द्र मे नवनिर्वाचित जनता सरकार को जिन समस्याओ को हल करना था उनमे से एक राष्ट्रपति का निर्वाचन भी थी।

मार्च 1977 मे लोकसभा के लिए हुए निर्वाचन मे, आध्र प्रदेश से मैं एकमात्र विजयी उम्मीदवार था जो जनता दल के चिह्न पर जीता था। अपने चुनाव के कुछ दिनो बाद मैं सर्वसम्मति से लोक सभा का स्पीकर चुन लिया गया। मैं काग्रेस पार्टी से अपना सम्बन्ध तोड चुका था और जनता पार्टी उस समय तक औपचारिक रूप से बन नही पाई थी। वह 1 मई 1977 को ही विधिवत बन पाई। इस प्रकार उस समय मुझे किसी पार्टी से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं थी।

अप्रैल 1977 के प्रारम्भ मे, जबकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का प्रश्न सरकार के सामने था, मुझे हैदराबाद जाने का अवसर मिला। कुछ पत्रकारो ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने को उस पद की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तुत करूगा। शायद प्रेस तथा जनता के लिए सन् 1969 के जग जाहिर विश्वासघात को दृष्टि मे रखते हुए मेरे बारे मे उस प्रकार विचार करना अस्वाभाविक नही था। तथापि मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव नही लडूगा। इसके साथ ही मैंने यह आशा प्रकट की कि जनता पार्टी, काग्रेस और अन्य पार्टिया भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने मे सफल होगी।

जनता तथा काग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियो मे से किसी का भी बहुमत राष्ट्रपति का निर्वाचन करनेवाले मतदाताओ जो कि ससद के दोनो सदनो और राज्य की विधान सभाओ के सदस्य होते हैं, मे नही था। जिन राज्यो मे मार्च 1977 के लोकसभा चुनावो मे काग्रेस पार्टी पराजित हो चुकी थी, उन राज्य विधान सभाओ को भग कर दिया गया था और नये निर्वाचन जून 1977 मे हुए थे। भग होने से

पूव इन विधान सभाओ मे काग्रेस पार्टी का भारी बहुमत था लेकिन जून 1977 के चुनावो म जनता पार्टी करीब उतने ही अधिक बहुमत से आयी। शासक जनता पार्टी के पक्ष मे होते इस विकास के कारण वह काग्रेस से अधिक मत पाने की शक्ति रखती थी तथापि राष्ट्रपति चुनाव मे भाग लेनेवाले मतदाताओ मे उसका बहुमत नही था। जनता पार्टी तथा काग्रेस के बाद, दो सबसे अधिक महत्त्वपूण पार्टिया थी—ऑल इडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कजगम (ए आई ए डी एम के) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इडिया मार्क्स्सिस्ट (सी पी आई एम) उनके पास पर्याप्त मतदान शक्ति थी। केन्द्र मे जनता पार्टी काग्रेस की सहायता की चिन्ता किए बिना अपने सहयोगी अकाली दल की मदद पर अपना उम्मीदवार खडा कर सकती थी परन्तु इस प्रकार की क्रिया खतरो से भरी थी। इसलिए बुद्धिमानीपूण सलाह-मशविरे के बाद यह तय पाया गया कि काग्रेस तथा अन्य पार्टियो के साथ मिल बैठकर सवसम्मति से निणय लिया जाय। उस समय भी जब शासक दल का निर्वाचक गणा मे पर्याप्त बहुमत हो और उसके उम्मीदवार की सफलता निश्चित हो, यह बेहतर होता है कि वह मुख्य विरोधी पार्टियो और समूहो से सलाह लेकर उम्मीदवार चुने ताकि राष्ट्रपति जो कि पूरे राष्ट्र की चेतना का प्रतीक होता है, यदि सभी पार्टिया और समूहो द्वारा सवसम्मति से नही तो कम से कम देश के अधिक से अधिक सम्भावित लोगो द्वारा चुना जा सके।

निजलिंगप्पा, काग्रेस पार्टी मे मेरे पूव सहकर्मी और जनता पार्टी की नीव डालनेवाला मे से एक, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए होनेवाले निर्वाचन मे उम्मीदवार बनना चाहते थे। उन्होन प्रधानमत्री मोरारजी देसाई से इस सबध म बातचीत की। तथापि प्रधानमत्री ने उनको बताया कि चूकि उपराष्ट्रपति के पद पर उसी राज्य और उसी समुदाय का व्यक्ति बी० डी० जत्ती पहले से है जिसके निजलिंगप्पा हैं, जनता पार्टी के लिए उनको अपना उम्मीदवार बनाना सभव नहीं होगा। इसके बाद निजलिंगप्पा मुझसे मिलने आय, जो कुछ घटित हुआ था मुझे बताया और बगलौर चले गए।

जुलाई 1977 की शुरुआत म प्रधान मत्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार की खोज करना प्रारम्भ की। जनता पार्टी के पार्लियामेन्ट्री बोड से विचार विमश करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने काग्रेस पार्टी और लोक सभा मे विरोधी दल के नेता वाई० बी० चह्वाण से भी नामो की एक सूची पर, जिसमे श्रीमती रुक्मिणि अरुण्डेल का नाम सबसे ऊपर था सलाह की। *सम्भवतया मोरारजी देसाई और चह्वाण मे श्रीमती अरुण्डेल के नाम के* चुनाव पर सहमति थी। जब उनकी पसन्दगी के बारे मे सभी को पता चला, दूसरो की प्रतिक्रिया उनसे बहुत विपरीत थी। दोना नेताओ द्वारा चुने गए नामो से उत्पन्न असन्तोष पार्टी की सीमाओ को पार कर गया। शासन करनेवाली जनता

पार्टी और विरोधी कांग्रेस पार्टी के सदस्यो ने अपनी भावनाओ को खुले-आम प्रकट किया।

सी पी आई एम ने भी अपनी अप्रसन्नता प्रकट की, उसने महसूस किया कि प्रधानमत्री को जनता और कांग्रेस की सहमति से की गई पसन्द उसके सामने रखने के बजाय, उसे सलाह मे शामिल करना चाहिए था। उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर शासक दल ने आगे कारवाई की और श्रीमती अरुण्डेल को अपना उम्मीदवार बनाया, वह अपना उम्मीदवार खडा करने मे सकोच नही करेगी। द्रविड मुनेत्र कजगम (डी एम के) और ए आई डी एम के ने भी प्रधान मत्री द्वारा चुने उम्मीदवार के प्रति अपनी उत्साहहीनता दिखाई। अनेको के विचार से केवल राष्ट्रीय महत्त्व का ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक जीवन का बहुत लम्बा अनुभव हो राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए चुना जाना चाहिए। उन्होने महसूस किया कि श्रीमती अरुण्डेल इस आवश्यकता की पूर्ति नही करती।

अत प्रधानमत्री के लिए इस समस्या पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक हो गया। यद्यपि जनता पार्टी के नेताओ द्वारा प्रारम्भ मे दिए गए सुझावा मे मेरा नाम नही आया था तथापि ससद के अनेको सदस्यो, जनता पार्टी और कांग्रेस तथा अन्य विरोधी पार्टियो और समूहो के मन मे मेरा नाम सर्वोपरि था। इस स्थिति मे मैंने दोबारा एक प्रेस बयान जारी किया कि मैं उस समय तक निर्वाचन के लिए खडा नही हूगा जब तक कि मैं सभी पार्टियो द्वारा एक सवमान्य उम्मीदवार नही माना जाता। यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि श्रीमती रुक्मिणि अरुण्डेल का पक्ष लेनेवाला का अभाव है और शासक दल के लिए उनकी उम्मीदवारी का समथन करते रहना बुद्धिमत्तता नही होगी। मोरारजी ने श्रीमती अरुण्डेल का नाम प्रस्तावित करने से पूव उनकी सहमति ले ली थी जो कि उस समय यूरोप मे कही थी, लेकिन जब उनके नाम का विरोध बढता गया, ऐसा जताया गया कि वह उम्मीदवार बनने की इच्छुक नही थी। इस प्रश्न पर विस्तृत सहमति पाने की सम्भावना के लिए विभिन्न स्तरो पर विचार विनिमय किया गया।

प्रधानमत्री ने नए सिरे से अपनी पार्टी के पार्लियामेन्ट्री बोड से सलाह की, आम भावना यह थी कि मैं सबसे अधिक सहमति पानेवाला उम्मीदवार हूगा, तथापि एक दूसरा नाम भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद उन्होने विरोधी पक्ष के नेता चह्वाण से विचार विमश किया। चह्वाण ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के सदस्यो की राय जानने के लिए कुछ और समय चाहिए।

कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली सदस्य (जिनमे से अनेक ससद सदस्य नही थे।) सब सम्मति से राष्ट्रपति पद के लिए जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार खडा करने के विचार से विरोध रखते थे। उनका तक ऐसा प्रतीत होता है, यह था कि कांग्रेस को अपनी स्वतत्रता और अस्मिता पर बल देने के लिए अपना उम्मीदवार

खड़ा करना चाहिए, चाहे उसके चुनाव जीतने की आशा कितनी ही कम हो। लेकिन इस दृष्टिकोण को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली।

जब मैं 7 जुलाई 1977 को लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा था, के० सी० पन्त जो कि उस समय लोक सभा के सदस्य नहीं थे, ने कागज की एक पर्ची मेरे पास भेजी, जिसमें सूचित किया गया था कि कांग्रेस मेरी उम्मीदवारी के लिए सहमत हो गई है। जम्मू और काश्मीर के कर्णसिंह, जो कि विरोधी पार्टी के सामनेवाली बेंच पर बैठे थे, उन्होंने भी इसी आशय की एक पर्ची मेरे पास भेजी। प्रधानमन्त्री इन गतिविधियों को देख रहे थे और उन्होंने भी सूचना भेजी कि मेरा नाम जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप मे उक्त पद के लिए चुना गया है। उसी दिन जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने घोषणा की कि प्रधानमन्त्री द्वारा जनता पार्टी के नेताओं से की गयी सलाह मे सभी नेताओ की सम्मति मेरे लिए थी। प्रधानमन्त्री ने कांग्रेस, ए आई ए डी एम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फारवड ब्लाक, अकाली दल, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं से भी सलाह कर ली थी। ससद की इन सभी पार्टियो द्वारा मेरा पक्ष लेने की सम्मति से, राष्ट्रपति पद के लिए मेरा निर्वाचन वास्तव मे निश्चित हो चुका था। मैंने टेलीफोन से डी एम के नेता एम० करुणानिधि से बात की और उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा समर्थन देने का आश्वासन दिया।

उस दिन मध्याह्न भोजन की अवधि मे, मैं मोरारजी देसाई से मिला और उन्हें अपना नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारो की सूची मे शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने गृह नगर जाना चाहता हू और अपनी मां का आशीर्वाद लेना चाहता हू। इस विचार से वह बहुत प्रसन्न हुए। बाद मे, मैंने शाम को विरोधी पार्टी के अन्य नेताओ को भी उनके पूर्ण समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद मैं अनन्तपुर अपनी मा के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। उनके साथ एक दिन व्यतीत करने के पश्चात मैं दिल्ली लौट आया। राष्ट्रपति पद के लिए कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं था, अत मैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

मैंने भारत के राष्ट्रपति पद की अपनी शपथ 25 जुलाई 1977 को ससद के सेन्ट्रल हॉल मे ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम० एच० बेग द्वारा सविधान की धारा 60 के अन्तर्गत मुझे शपथ दिलाई गयी। मैंने अपने उद्घाटन भाषण म इस विषय पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार जनता के विचार की शातिपूर्ण पुष्टि द्वारा देश में एक परिवर्तन आया है जो कि मात्र राजनतिक रूपान्तरण नही वरन एक मौन क्रान्ति है। इस प्रकार उसने एक नए युग का प्रारम्भ किया है तथा शातिपूर्ण परिवर्तन के पथ और अपनी प्रजातान्त्रिक प्रणाली के प्रति विश्वास के समर्पण को पुन पुष्ट किया है। उसे आवश्यकता है एक नवीन

सतुलन की, आपसी समझौते की नयी भावना की जो कि केवल सच्ची समानता, और अधिक अवसरो की उपलब्धता तथा जनता के कमजोर वग के लिए पहले से अधिक सहानुभूति की नई सीमाओ का अधिक विस्तार करने से ही लाई जा सकती है। देश की क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई विभिन्नताओ के बीच एक आधारभूत एकता स्थित है। हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि विभाजन करनेवाली राजनीति से स्पष्ट रूप स दूर रहे और राष्ट्रीय ऊर्जा का उपयोग जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए करें।

2

तिरुपति और मद्रास यात्रा

पद ग्रहण करने के बाद मैं शीघ्र से शीघ्र तिरुपति जाने और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने का बहुत इच्छुक था लेकिन वह मैं स्वतन्त्रतादिवस से पूर्व नहीं कर सका। कुछ भी हो राष्ट्रपति बनने के बाद मेरी प्रथम यात्रा तिरुपति की थी।

तिरुमलाई और तिरुचनूर मे परिवार सहित अपनी प्रार्थना भेंट करने के बाद मैं 18 अगस्त को मद्रास गया। वहाँ मैंने कामराज की प्रतिमा का अनावरण किया जो कि पतीस वर्षों से भी अधिक तमिलनाडु की विधान सभा कक्ष (चैम्बर) मे मेरे मित्र और सहकर्मी रहे थ। कामराज से मेरा सबध इतना लबा रहा था और उनके प्रति मेरा स्नेह इतना महान था कि यह मेरे लिए बहुत सन्तोष की बात थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम जनसभा जिसमे मैंने भाग लिया उनकी स्मृति म आयोजित हुई थी। मैंन कामराज की राष्ट्र के लिए की गई निस्वार्थ और लबी देशसेवा के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की। उनमे धन और सत्ता के लिए कोई आकर्षण नहीं था। उन्होने एक स्वच्छ और सादा जीवन व्यतीत किया और अपने पीछे किसी प्रकार की भौतिक सपत्ति नहीं छोड गए। मद्रास का मुख्यमत्री बनने के बाद भी उनकी जीवन शैली म कोई परिवतन नहीं आया था। जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरो द्वारा कामराज को इडियन नेशनल काग्रेस का प्रेसीडेन्ट चुनना उनकी आन्तरिक अच्छाइयो और राष्ट्र के प्रति सेवा भावना से समर्पित होने का प्रमाण है। कामराज एक विनम्र व्यक्ति थे और अपनी सीमाओ को जानते थ। नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद उन्होने कुछ नेताओ के इस सुझाव को कि उन्हें प्रधानमत्री बनना चाहिए, विनम्रतापूवक अस्वीकार कर दिया था। मुझे उस सभा मे याद आया कि किस प्रकार हमारे राजनैतिक करियर समानान्तर रूप स आगे व,। जब वह तमिलनाडु काग्रेस कमेटी के प्रेसीडेण्ट थे, मैं आध्र प्रदेश काग्रेस कमेटी का प्रेसीडेण्ट था। मेरा प्रथम बार आध्र प्रदेश का मुख्यमत्री बनना और उनका मद्रास का मुख्यमत्री बनना लगभग साथ साथ घटित हुआ। हम दोनो ही इडियन नेशनल काग्रेस के प्रेसीडेण्ट रहे थे। अपने भाषण में, मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार हम

दोनो बिना किसी तक वितक और कटुता के मद्रास तथा आध्र प्रदेश के तिरुत्तानी और अन्य सीमा क्षेत्रो की समस्या को हल करने मे सफल हुए थे। हम दोनो द्वारा प्रस्तावित समझौता दोनो राज्यो की विधान सभाओ ने सवसम्मति से स्वीकार कर लिया था। कामराज और मैं अक्सर तिरुमलाई मे मिला करते थ। दुर्भाग्यवश कुछ नेताओ को इन मुलाकातो के बारे मे गलतफहमी हो गई। हमारी इन मुलाकाता का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दा पर एक दूसरे के विचारो को जानना-समझना होता था। मैंने सभा म बताया कि किस प्रकार कामराज के जीवन के अन्तिम तीन महीना मे मैं उनसे कई बार मिला और वह देश की स्थिति से कितना दुखी थे। उनके स्वगवास के समय भी देश मे 'आपातस्थिति' (इमर्जेन्सी) लगी हुई थी। मैंने बताया कि किस प्रकार निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए मैंने कामराज के निधन का समाचार सुनकर अनन्तपुर म शोकसभा आयोजित की और किस प्रकार इस सभा का समाचार किसी भी समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित नही किया गया।

उसी दिन मद्रास म मेरा दूसरा कायक्रम था, ऐसा जिसमे भाग लेते हुए मैंने अपने को सम्मानित अनुभव किया। यह गाधी जी के पूर्णाकार चित्र का अनावरण करना था। मैंने सभा मे बताया कि किस प्रकार देश को एक दूसरे महात्मा गाधी की आवश्यकता है जो हमारे अन्दर स्वतत्रता सग्राम क दिनो की स्वाथहीन त्याग की भावना को पुन प्रज्वलित कर सके।

3

अमरीका मे मेरी अन्तिम सिगरेट

28 अगस्त 1977 को मद्रास और तिरुपति से वापस आने के बाद शीघ्र मैं ऑल इडिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज मे, कुछ दात औषधिजन्य मूर्छा (एनेस्थेसिया) मे निकलवाने की प्राथमिकता पूरी करने के लिए अपना मेडिकल चेकअप करवाने गया। इस अवसर पर डाक्टरों ने बाए फेफड़े के ऊपरी भाग मे एक सिक्के के गोलाकार रूप का घाव पाया। डाक्टरो के एक पनल ने जिसमे डा० वी० रामालिगास्वामी, डा० जे० एस० बजाज, डा० बी० भागव, डा० एन० गोपीनाथ, डा० डी० जे० जस्सावाला और डा० ए० एस० रामकृष्णन थे, विस्तृत जाच-पडताल तथा अध्ययन किया। पहले चार डाक्टर आल इडिया इस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइसेज के थे और भारत तथा विदशो मे अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप मे प्रख्यात थे। पाचवें बम्बई के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थे जिन्ह विशेष रूप से प्रधानमत्री मोरारजी देसाई के स्पष्ट सुझाव पर बुलाया गया था। पेनल के अन्तिम सदस्य मद्रास के प्रतिष्ठित सजन थे जो कि तीस वष स भी अधिक स मेरे डाक्टर रहे थे। विस्तत अध्ययन के बाद पैनल का यह विचार बना कि घाव की सजरी करने के उद्देश्य से तत्काल जाच करने के लिए थेराक्ट्रॉमी की जाये। सारी परिस्थितियो को ध्यान म रखते हुए पैनल इस निष्कप पर आया कि न्यूयाक का मेमोरियल हास्पिटल और मोलन केटेरिंग इस्टीट्यूट इस केस को पूरी तरह सभालने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा।

मैंने डा० जस्सावाला से जानना चाहा कि क्या आवश्यक सजरी बम्बई मे ही नही हो सकती। उन्होने उत्तर दिया कि भारत मे सर्जरी सम्भव है लेकिन ऑप रेशन के बाद दी जाने वाली जो रेडियेशन सुविधायें भारत मे उपलब्ध हैं वे उस दशा मे पर्याप्त नही होगी यदि घाव कैंसरयुक्त और अधिक फल चुका हुआ। पनल के सभी डाक्टरो का यही मत था। वे सभी अनुभव करते थे कि मुझे सजरी तथा उसके बाद के आवश्यक उपचार के लिए अमरीका जाना चाहिए। उन्होंने इसी आशय की एक रिपोट भी प्रस्तुत की।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने वह समस्त प्रबन्ध करने का निर्णय लिया जो कि राष्ट्रपति के उपचार के लिए आवश्यक हैं। केबिनेट सेक्रेटेरियेट द्वारा 30 अगस्त 1977 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति मे मेडिकल रिपोर्ट का सारांश देते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति जितना शीघ्र होगा भारत से चले जायेंगे और देश से लगभग एक माह तक बाहर रहेंगे।

उस दिन और उसके बाद वाले दिनो भी मैं पहले से निश्चित अपने सभी कार्यों को बाहर जाने से पूर्व तक पूरा करता रहा। मेरे द्वारा ऐसा न करने का कोई कारण नही था क्योंकि मुझे कोई भी शारीरिक कष्ट अनुभव नही हुआ था। सरकार ने शीघ्र मेरी अमरीका यात्रा तथा डाक्टरो के पेनल द्वारा अनुमोदित इस्टीट्यूट मे मेरा उपचार करवाने के सभी प्रबंध कर दिए। मैं चार सितम्बर, 1977 को अमरीका के लिए रवाना हुआ। मेरे साथ मेरी पत्नी तथा मेरा पुत्र डा० सुधीर रड्डी, (जोकि कुछ सप्ताह पहले ही सर्जन का उच्च प्रशिक्षण लेकर अमरीका से आया था) थे। विमान पर चढने से पूर्व मैंने अनेको मित्रो और रिश्तेदारो से जो मुझे विदाई देन के लिए एयरपोर्ट पर एकत्रित हो गए थे, विदा ली। मुझे उस ऑपरेशन और उपचार के परिणाम की जो मैं शीघ्र लेने को बाध्य था, कतई चिन्ता नही थी। जिस समय मैंने देश से विदा ली, मैं हसमुख और प्रसन्न मनोस्थिति में था। ऑपरेशन सफल रहा तथा पन्द्रह दिन के अन्दर मुझे डाक्टरो से भारत वापस लौटने की अनुमति मिल गई। तब से मैं निरन्तर स्वस्थ हू। मोरारजी देसाई ने जिस समय मैं विदेश मे था, मुझे लिखा था कि किसी भी अन्य वस्तु से अधिक यह मेरा साहस था जिसने मुझे इतना शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करा दिया था। ऑपरेशन से पहले मैं धूम्रपान का अभ्यस्त था, बहुत अधिक आदी। मैंने अपनी अन्तिम सिगरेट उस समय पी जब मैं आपरेशन थियेटर ले जाया जा रहा था और तब से मैंने सिगरेट का स्पर्श नही किया है। मैं बिना किसी कठिनाई के अपनी आदत छोड सकता था। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि मैं पहले धूम्रपान करता ही क्यो था? मैं अपने धूम्रपान प्रेमी मित्रो को बताना चाहता हू कि यदि वे सचमुच इस हानिकारक और खर्चीली आदत को त्यागना चाहें तो वे ऐसा सरलता से कर सकते हैं।

—

4

राष्ट्रपति भवन इतना विशाल क्यों ?

राष्ट्र के नाम स्वतन्त्रता दिवस के अपने प्रथम सन्देश में मैंने बड़े दिखावे और अनावश्यक तड़क भड़क को हटाने पर बल दिया। मैंने कहा कि मैंने निश्चय किया है कि "राष्ट्रपति भवन को छोड़कर किसी सादा भवन में रहूं जो कि भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद तथा सम्मान के विरुद्ध या निषिद्ध नहीं होगा।" मेरे निर्णय के अनुसार सरकार तथा मेरे सचिवालय के संबंधित अधिकारियों ने हैदराबाद हाउस को राष्ट्रपति निवास के रूप में प्रयोग करने की सम्भावना का परीक्षण किया। तथापि उन्होंने पाया कि यह भवन कस्तूरबा गांधी मार्ग की ऊंची इमारतों के बहुत निकट है तथा भारी आवागमन से भी दूर नहीं है और इसलिए किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है। तब उन्होंने राष्ट्रपति इस्टेट के अन्दर भवन सं० 1 और 2 विलिंगडन क्रिसेंट पर विचार किया। यहां भी उन्होंने अनुभव किया कि अनेकों अतिरिक्त निर्माण तथा परिवर्तन करने होंगे उसके बाद ही वह राष्ट्रपति, उसके निजी स्टाफ और उसके ए डी सी आदि के रहने योग्य बन सकेगा। इसमें 1,25,00 000 रु० से अधिक का अनावर्ती व्यय तथा लगभग 10,00,000 रु० का वार्षिक परावर्ती व्यय आयेगा। राजकोष पर इतना भारी बोझ डालने की सम्भावना को देखते हुए मैंने यह विचार त्याग दिया। किसी साधारण भवन में जाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य सादा जीवन व्यतीत करने का उदाहरण प्रस्तुत करने का था परन्तु यदि उसका परिणाम भारी अतिरिक्त व्यय आता था तो वह अपनाने योग्य नहीं था। इस संदर्भ में सरोजनी नायडू द्वारा हंसी में कही गयी उक्ति किसी को भी स्मरण आ सकती है—कि गांधीजी को गरीब रखने के लिए राष्ट्र को काफी पैसा चुकाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त विलिंगडन क्रिसेंट एक व्यस्त मार्ग था जिस पर भारी आवागमन होता रहता था और ठीक सड़क के पार 'रिज' था जिस पर घने वृक्ष लगे थे। यद्यपि वहां ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे राष्ट्रपति के जीवन को खतरा हो सके तथापि शरारती तत्त्व राष्ट्रपति के लिए गलत स्थिति उत्पन्न कर सरकार

को उलझन मे डाल सकते थे। इन परिस्थितियो मे यह विचार कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से किसी छोटे भवन मे स्थानान्तरित हो जाये, त्याग दिया गया।

इस सदभ मे, यह सक्षेप मे बताना उपयोगी होगा कि राष्ट्रपति भवन का कसे और किन उद्देश्यो के लिए उपयोग होता है। यह एक विशाल भवन है। यह शायद अनेको देशो के राज्याध्यक्षों के भवनो से भी बडा है। तथापि राष्ट्रपति अपने और परिवार के सदस्यों के लिए केवल कुछ या छह कक्षो (कमरो) का उपयोग करता है, जिन्हें (फैमिली विंग) परिवार खड कहते हैं। भवन का शेष भाग कार्यालय के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग मे लाया जाता है। पहले, विभिन्न प्रकार के कक्ष विदेशो से आने वाले राज्याध्यक्षो, शासनाध्यक्षो और उनकी सहायक मडली के सदस्यो के उपयोग के लिए अलग रखे जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं विदेशी उच्च अधिकारियो का आगमन एक सामान्य बात है, विशेष रूप से अक्तूबर से माच माह तक। दूसरे, वहा विशाल कक्ष हैं जो कि विशेष अतिथियो के मनोरजन कार्यक्रमो, औपचारिक सरकारी समारोहो जसे नागरिक और सैनिक पद ग्रहण आयोजनो, राजदूतो द्वारा अपने अधिकृत सरकारी परिचय पत्र देने, मत्रियो द्वारा शपथ ग्रहण का आयोजन करने हेतु सरक्षित है। राष्ट्रपति द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधि मडलो से भेंट करने के लिए भी अलग कक्ष हैं। प्राय भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधियो के मध्य होने वाली सधियो पर राष्ट्रपति भवन म ही हस्ताक्षर होते हैं। भारत आने वाले विदेशी राज्याध्यक्षो से भेंट करने के लिए प्रधानमत्री भी राष्ट्रपति भवन आते हैं, इसके लिए भी कमरे सरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भवन म कैबिनेट सेक्रेटेरियेट, राष्ट्रपति का अपना कार्यालय और सेक्रेटरियेट, राष्ट्रपति भवन के उपवनों तथा अचल सपत्ति की देखभाल रखने वाले विभाग भी स्थित हैं। यदि राष्ट्रपति दूसरे भवन मे चला भी जाये तो व्यय मे कोई कमी नहीं होगी क्योंकि राष्ट्रपति भवन को इन समस्त कार्यों के लिए बनाये रखना होगा।

इस प्रकार राष्ट्रपति भवन जनता का भवन है जिसे अच्छी दशा मे बनाए रखना चाहिए। इसे जिन विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे दृष्टि मे रखते हुए इसको सुरुचिपूर्वक सुसज्जित करना चाहिए। इसमे मूलत प्रश्न राज्य की गरिमा का है तथा इसे अच्छी दशा मे रखने के विषय में किफायतशारी करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस भवन की अनेको 'फिटिंग्स', गलीचे, फर्नीचर आदि पुराने हो चुके हैं और उनकी मरम्मत या नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। अच्छा हो, यदि हम यह काय बिना देर किए प्रारम्भ कर दें, साथ ही इस भवन की आन्तरिक और बाहरी दशा इसकी फिटिंग्स, फर्नीचर और साज-सज्जा पर भी निरन्तर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है ताकि यह भवन उन सभी समारोहो के अनुरूप बन सके जो इसमें आयोजित होते हैं। मैं यहा जो विचार प्रकट कर

रहा हूँ, यह आवश्यक परिवर्तनों सहित विभिन्न राज भवनों पर भी लागू होता है और इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।

विदेशों में राजकीय यात्राओं के दौरान, मुझे अनेकों देशों में इसी प्रकार के भवनों को अत्यन्त भव्य स्थिति में देखने का अवसर मिला है। समाजवादी देशों में भी भवनों के फर्नीचर, फिटिंग्स, साज सज्जा और उनके रख रखाव में किसी प्रकार की वांछित कमी नहीं छोड़ी जाती। विदेशी अतिथियों के रहने के लिए भवन कक्ष अलग रखे जाते हैं और सरकारी स्वागत के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशाल कक्ष सर्वोत्तम रूप से 'फर्निश्ड' और सजे होते हैं, स्पष्ट है सार्वजनिक भवनों के रख रखाव पर खर्च में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाती है।

5

जयप्रकाश नारायण से प्रेरणापूर्ण सम्पर्क

कभी सन् 1975 में, आपात स्थिति की घोषणा से कुछ पूर्व, जयप्रकाश नारायण ने हैदराबाद मे एक सार्वजनिक सभा मे भाषण दिया था। मैं उस समय हैदराबाद नगर मे था। इसलिए मैं उस सभा मे शामिल होने गया। मैं भीड मे बैठा हुआ था कि मंच पर जे० पी० तथा अन्य लोगो के साथ बैठे हुए किसी व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया और मेरी उपस्थिति के बारे मे जे० पी० के कान मे फुसफुसाया। वह मेरी ओर घूमे और मुस्कराते हुए मुझे मंच पर आने का आमंत्रण दिया। दूसरो की भी यही इच्छा मालूम पड रही थी इसलिए मैं वहा चला गया। तब जे० पी० ने मुझसे सभा को संबोधित करने के लिए कहा। यद्यपि मैंने कभी यह आशा नहीं की थी कि ऐसा करने के लिए कहा जायेगा, मैंने उनके अनुरोध का पालन किया। मैं मुख्य रूप से सार्वजनिक जीवन मे जो पतन आ गया है उस पर बोला। मेरे भाषण को भली प्रकार सुना गया।

उस समय जे० पी० जिसे वह 'संपूर्ण क्रांति' कहा करते थे, के संबंध मे अक्सर बोला करते थे। मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उनका इससे क्या आशय था, मैं पूरी तरह नही समझता था। जनता मे विभिन्न अवसरो पर कहे गये उनके कथनो से मुझे यह ज्ञात होता था कि वे देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन मे दूरगामी प्रभाव डालनेवाले परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वे अधिक स्वच्छ राजनैतिक जीवन लाना चाहते थे। स्पष्ट था कि उन्होंने चुनाव प्रणाली मे ऐसे सुधार करने का निश्चय कर लिया था जो हमारी विधान सभाओं को सच्चे रूप मे जनता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करनेवाली बना सके। उनका विचार था कि विधायकों को मतदाताओं से घनिष्ठ संबंध बनाये रखने चाहिए और उनकी आवश्यकताओं तथा दृष्टिकोणो के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि कुछ परिस्थितियों में उन्हें विधान सभाओं से वापस बुला लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे सच्चे समानतावादी समाज की स्थापना के लिए आह्वान किया जिसमे जाति, समुदाय

जैसी बातो पर आधारित अन्तर और ऊच-नीच न हो और सभी को आर्थिक लाभो में समान भागीदारी मिले।

अपने भाषणो मे दूसरे जिस विषय की वह प्राय चर्चा करते थे, वह था दल हीन प्रजातत्र।

मैं नही जानता कि कभी उन्होंने इस विषय पर अपने विचार विस्तार से रखे हो। तथापि कोई भी सैद्धातिक रूप से उस रूपातर का विरोध नहीं कर सकता था जिसे लाने का प्रयत्न वे कर रहे थे। मुझे प्राय आश्चय होता था कि उनके मन मे जिन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनो को लाने की इच्छा है, उनको स्वीकार करने तथा उनके लिए काय करने को क्या जनता वास्तव मे तत्पर है।

उन्होंने माच 1977 के चुनावो मे विरोधी पार्टियो को एकजुट सगठित कर काग्रेस के विरुद्ध लोकसभा चुनाव लडने मे जो एतिहासिक भूमिका निभायी वह लम्बे समय तक याद की जाती रहेगी। देश के इतिहास मे उस क्षण एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता थी जो काग्रेस को सफलतापूवक चुनौती दे सके क्योकि यदि इदिरा गाधी के नेतृत्व मे काग्रेस पार्टी केद्र मे सत्ताधीश हो जाती, वह और उनकी पार्टी यह दावा करती कि देश ने जून 1975 मे लगाई गई आपातस्थिति की स्वीकृति दे दी है। अपने कमजोर स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए, उन्होंने विस्तृत यात्राए की और आपातकाल के अधकार पूण दिनो के लिए उत्तरदायी लोगो के विरुद्ध जनमत को सगठित किया। यद्यपि जिस जनता पार्टी की उन्होंने नीव डाली थी वह अत मे बिखर गई तथापि इससे देश के सकटपूण ऐतिहासिक क्षण मे राजनैतिक जीवन को उनके द्वारा दिया गया योगदान धूमिल नही पडता।

जून 1977 या उसके आस-पास जबकि मैं लोकसभा का अध्यक्ष था, मैं एक सप्ताह के मध्यावकाश मे जयप्रकाश नारायण से मिलने बम्बई जाना चाहता था जो कि अमरीका से अपना उपचार करवाने के बाद वापिस आये थे। मैंने विचारा कि यह मुझे प्रधानमत्री मोरारजी देसाई को सूचित कर देना चाहिए। उनकी प्रति क्रिया जयप्रकाश नारायण के प्रति उतनी ही अनुदार थी जितनी कि उनके स्वय के अनुपयुक्त। उन्होने पूछा कि क्या जे० पी० को इतना अधिक महत्त्व देना मेरे लिये वास्तव मे आवश्यक है। विरोधी पार्टियों को एक झडे के नीचे लाने मे जे० पी० की प्रमुख भूमिका को सभी मान चुके थे। यह भी सवविदित था कि देसाई को प्रधानमत्री बनाने मे जे० पी० का हाथ था। तथापि तीन महीने स भी कम की अल्प अवधि मे, देसाई यह भूल चुके थे कि देश और वह स्वय जे० पी० के कितने ऋणी हैं।

बार-बार दी जाने वाली 'डाइलिसिस' से जे० पी० को अत्यधिक कष्ट होता था। उनके साथ बम्बई मे हुई अपनी भेंट की अवधि मे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वे जीवित रहने की इच्छा त्याग चुके हैं। वास्तव मे उन्होने मुझसे कहा कि व नही

6

राजा जी के आदर्श

दिसम्बर 1978 के प्रारम्भ मे मद्रास मे आयोजित सी० राजगोपालचारी की जन्म शताब्दी समारोह मे मैंने बिना किसी पूर्व तयारी के आशु भाषण दिया। अपने भाषण मे, मैंने राजनीतिज्ञो से विशेष रूप से जो उच्च पदो पर हैं यह अपील की कि वे सावजनिक जीवन मे नैतिक मूल्यो को बनाये रखने के लिए राजा जी के उदाहरण का अनुकरण करें। मैंने बताया कि किस प्रकार राजाजी ने अपने पुत्र पुत्रियो को सदैव अपने सावजनिक जीवन से दूर रखा तथा किस भाति उन्होंने जनता का सेवक होने के नाते किये जानेवाले अपने कर्तव्यो को प्रभावित करने के लिए अपने बच्चो को कभी अनुमति नही दी। मैंने यह भी सकेत किया कि किस प्रकार राजाजी ने पद पाने के लिए अपने सिद्धान्तो से कभी समझौता नही किया। मैंने कहा कि यद्यपि सावजनिक जीवन मे मैं अनेको से आयु मे छोटा हू तथापि मैं उनसे राजाजी के उदाहरण का अनुसरण करने की अपील करने की स्वतन्त्रता ले रहा हू। मैंने आगे कहा कि हम सभी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे सावजनिक जीवन से अलग रहें। वास्तव मे, मैं स्वतत्र और स्पष्ट रूप से बोला परन्तु मेरा इरादा किसी पर लाछन लगाना नही था।

प्रधान मत्री मोरारजी देसाई ने मेरे कथन पर अप्रसन्नता प्रकट की। उन्हें आश्चय हुआ कि देश मे उस समय उच्च पदासीन व्यक्तियो के पुत्रो और रिश्तेदारो की गतिविधियो पर चल रहे विवाद के सदभ मे क्या इस प्रकार की उक्तिया की कोई आवश्यकता थी? उन्होने अनुभव किया कि यदि मेरे मन म किसी विशेष का नाम नही था फिर भी लोग अपने तरीके से अथ निकालेंगे। उनका निश्चित मत था कि मेरा भाषण भारत के उस राष्ट्रपति पद के योग्य नही था जिस पर मैं आसीन था।

मैंने उनको स्वतन्त्रता सग्राम के दौरान अपने दोनो के लम्बे साथ और उसके बाद भी किस प्रकार मैं उन्हें सदैव बडे भाई की भाति मानता रहा का स्मरण दिलाया। तथापि मैंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित म व्यक्तिगत सम्बन्धा

और कर्तव्यो का पालन करने मे जनता के प्रति उत्तरदायित्व के मध्य अन्तर रखना आवश्यक होता है। मैंने जनता के बढते हुए मोह भग और भ्रम भग का उल्लेख किया। हमने उनको दिये गय अपने वायदे पूरे करन और जनता की आशाओ के अनुरूप बनने मे अयाग्यता दिखाई है। हमारे आदर्शों और कर्मों के बीच बहुत अन्तर है। यद्यपि यह अन्तर भूतकाल मे भी था और यह मेरे विशिष्ट पूर्ववर्तियो को कष्टदायी हुआ था।

मैंने अपने पद के उत्तरदायित्वो और कर्तव्यो को पूरा करने के निश्चय की पुन पुष्टि करते हुए कहा कि मैं सदैव प्रधानमन्त्री को उनके कर्तव्यो का पालन करने म उत्साहित करता, सलाह देता तथा सावधान करता रहा हू। मैंने उन्हे स्मरण दिलाया कि किस प्रकार मैं उनका ध्यान बार बार उनके कुछ निकटवर्ती लोगो के व्यवहार की ओर तथा उनके कार्यों द्वारा प्रधान मन्त्री की छवि और प्रतिष्ठा को होने वाली क्षति की ओर दिलाता रहा हू।

मैंने उन्हें देश के शासन प्रबन्ध की दिशाहीनता और जनता के कल्याण-कारी कार्यक्रमो के कार्यान्वयन मे होनेवाली देरी को स्पष्ट किया। मैंने उन्हे याद दिलाया कि किस भाति मैंने अपने आप सवैधानिक उत्तरदायित्व को दृष्टि म रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयो पर अपनी सलाह दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्होने महत्वपूर्ण विषयो पर मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नही समझा और न उन्होने उन विषयो के प्रगति के बारे म बाद मे सूचित किया जिनके बारे मे मैंने उनको पहले बताया अथवा ध्यान दिलाया था। मैंने उनसे कहा कि भारत के राष्ट्रपति और उसके प्रधान मन्त्री के मध्य यह एक असामान्य सम्बन्धो की स्थिति है।

मैंने कुछ विशेष विषयो के सम्बन्ध म उन्हे पुन स्मरण दिलाया जिनके अन्तर्गत मैंने उन्हे वी० शकर एक रिटायड ऑफीसर को अपना प्रधान सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) नियुक्त करने से सावधान किया था। शकर ने अपने रिटायमेण्ट के बाद दस वर्षों मे अनेकों व्यापारिक हितो के साथ सबध बना लिए थे। यद्यपि प्रधान मन्त्री का प्रधान सचिव बनने के उपरान्त उन्होने उन हितो से अपने औपचारिक सबध वास्तव मे तोड दिये थे तथापि जनता के मन मे उनका लबी अवधि तक व्यापारिक हितो मे सबध रखने की स्मृति शेष थी।

मैंने देसाई का ध्यान शकर की ईरान यात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालयो से सबधित विषयो म हस्तक्षेप करने से उत्पन्न विवादो की ओर दिलाया।

दूसरा विषय ईरान के शाह की भारत यात्रा थी। शाह ने अपनी यात्रा के दौरान व्यापारियो के एक समूह को विशेष महत्त्व देने का प्रयत्न किया था। उसके बाद शीघ्र शाह की बहन भारत आयी। उन्होने यह जिद् की कि उन्हें और उनके दल को राष्ट्रपति भवन मे स्थान दिया जाय। तब प्रधान मन्त्री के पुत्र कान्ति देसाई ने असाधारण परिस्थितियो मे तेहरान की यात्रा की थी। इन सबसे प्रेस, ससद तथा

अन्य स्थानो पर केवल विपरीत आलोचना ही हो सकती थी। जब मोरारजी देसाई स्वय अमरीका की यात्रा पर जाते हुए दोबारा तेहरान जाने का विचार कर रहे थे, मैंने इन ईरानी सम्बन्धो पर अपनी अप्रसन्नता से उन्हे अवगत करा दिया था। मैंने उनसे इसके बाद कहा था कि अगर ईरान के शाह, अफगान की स्थिति पर उनसे वार्तालाप करने के इच्छुक हैं तो शाह को दिल्ली आना चाहिए। एक वर्ष से भी कम अवधि मे भारत के प्रधान मत्री द्वारा ईरान की दो बार यात्रा करना उनकी अपनी तथा भारत की महत्ता के अनुकूल नही है। इससे केवल उन विवादो को बल मिलेगा जो उनके प्रधान सचिव वी० शकर और काति देसाई की ईरान यात्राओ से उत्पन्न हुए हैं।

प्रधानमत्री मरोरजी देसाई ने जुलाई 1977 अथवा उसके आस-पास आध्र प्रदेश के मुख्य मत्री वेंगला राव को एक पत्र लिखा था जिसमे उन्होंने चल्लापल्ली के राजा की कुछ भूमि को भूमि परिसीमन अधिनियम (लैंड सीलिंग एक्ट) से मुक्त करने के दावे का पक्ष लिया था। यह विषय पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधिकारो के अतर्गत था। इसलिए मैंने देसाई को स्पष्ट किया कि प्रधानमत्री के लिए वेंगला राव को इस बारे मे पत्र लिखना उचित नही था। यह देखने पर कि वेंगला राव को राजा का अनुरोध मानने मे सकोच था, देसाई ने कुछ समय बाद डा० चेन्ना रेड्डी को जो कि वेंगला राव के बाद मुख्यमत्री बने थे, पत्र लिखा। मैंने देसाई से इस पत्र व्यवहार के बारे मे कहा और उसे देखना चाहा। देसाई उनपत्रो को मुझे भेजने के अनिच्छुक थे। यद्यपि मैं इन कागजातो को मगाकर देखने और अपने अनुरोध का उनसे पालन करवाने पर दृढ रहने मे अपने सवधानिक अधिकारो की सीमा मे था, मैंने ऐसा नही किया क्योकि मैं इसको विवाद का विषय नही बनाना चाहता था। बाद मे डा० चेन्ना रेड्डी ने स्वय उन कागजातो को राज्य विधान सभा मे प्रस्तुत किया। उस स्थिति मे, जब कि पत्र जनता के समुख लाये जा चुके थे, मैंने मोरारजी देसाई से उन्हें मगवाया, उस समय उन्होंने मेरे अनुरोध का पालन किया।

एक बार आध्र प्रदेश के मुख्यमत्री वेंगला राव प्रधान मत्री भवन मे काति देसाई से मिलने के बाद मुझसे भेंट करने आये। वेंगला राव के अनुसार काति देसाई ने उनको सुझाव दिया था कि यदि वह उनके द्वारा बताये गए व्यक्ति को खदान का पटटा दे दें, वह व्यक्ति उचित राशि देगा। जब मैंने मोरारजी देसाई को इस सबध मे बताया, उन्होंने यह कहते हुए कि वेंगला राव ने मुझसे अवश्य झूठ बोला होगा, इस विषय पर कोई ध्यान नही दिया। मैं स्वीकार करता हू कि मैं क्रोधित हो उठा, यहां तक कि मैंने उनसे कुछ उत्तेजना से पूछा कि क्या उनके विचार से केवल काति देसाई एकमात्र सत्यवादी व्यक्ति है। घर जाने के बाद प्रधानमत्री ने अवश्य अपने पुत्र से यह प्रश्न पूछा होगा क्योकि उन्होंने मुझे यह बताने के लिए फोन किया कि

मैंने जो कुछ कहा सत्य था।

अब मैंने उनको उस घटना की याद दिलायी। मैंने उनको यह भी बताया कि एक से अधिक अवसरो पर किस प्रकार मैंने यह स्पष्ट किया था कि उनके पुत्र के व्यापारिक सम्बन्धो और प्रधान मत्री के सरकारी निवास पर दूसरे व्यापारियो से भेंट करने से सरकार तथा उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुच रही है। मैंने अपने द्वारा उन्हें बार बार दी गई चेतावनियों का ध्यान दिलाया कि उनके पुत्र के निकट और निरतर व्यापारिक सबध धीमे धीमे राजनैतिक विवाद का मुख्य विषय बनता जा रहा है। मैंने अनुभव किया कि इन विषयो के बारे मे उन्हे सावधान करके मैंने अपना सवैधानिक उत्तरदायित्व पूरा कर दिया था।

देसाई के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के विशेष सत्र मे जाने से ठीक पहले, मुझे उस वक्तव्य की एक प्रति मिली जिसे उस कार्फ्रेंस मे देने का उन्होंने निणय लिया था। इस वक्तव्य में यह घोषणा भी सम्मिलित थी कि भारत परमाणु परीक्षणो को कभी नही करेगा। मैंने अनुभव किया कि हम आनेवाले पूरे समय के लिए अपना अधिकार त्याग दें इसकी आवश्यकता नही थी। ऐसी घोषणा भावी सरकारो को ही केवल उलझन मे नही डाल सकती वरन् देश के हितो को भी हानि पहुचा सकती है। इसलिए मैंने उनको लदन सदेश भिजवाया कि वह इस विषय पर पुनर्विचार करें। उन्होने तथापि वापस लौटने पर इस विषय मे मुझसे बातचीत करने का कष्ट नही किया और न अपने वक्तव्य मे किसी प्रकार का परिवतन किया। मैंने उनको दोबारा अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी द्वारा भारत द्वारा ब्रिटेन से 'जगुआर' (विमानो) को खरीदने के निणय की निन्दापूण-आलोचना के बारे मे लिखा था, परन्तु उन्होंने उसका उत्तर देने की परवाह नही की। मैंने उनका ध्यान इन सभी भूलो की ओर आकर्षित किया।

यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार केवल उनके और देश के हित मे पूरे विश्वास के साथ दी गयी सार्थक सलाहो की वह निरतर उपेक्षा करते रहे मैंने उपर्युक्त सभी उदाहरणो को सक्षेप में दोहराया। मैंने उन्हें बताया कि जनता के सम्मुख दिए गए भाषण में मैंने तेजी के साथ गिरते और मिटते हुए नैतिक मूल्यों से उत्पन्न अपने मानसिक दुख को अभिव्यक्त किया था। उनको मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार की राजनैतिक भूमिका निबाहन का मेरा कोई विचार नही है।

मोरारजी के प्रति निष्पक्षता रखते हुए मेरे लिए यह आवश्यक है कि पहले वर्णन किए गए सभी विषयो पर उनके दृष्टिकोण प्रस्तुत करू।

देसाई का अपने प्रधान सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) के पद पर ऐसे व्यक्ति को चाहना पूर्णत उचित था जिसको वह एक लबी अवधि से जानते थे, जिस पर वह निभर कर सकते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के लिए जाना जाता था और जिसकी योग्यता तथा स्तर ऐसा था जो प्रधान मत्री के सचिवालय में आने-

वा नी पेंचीदा समस्याओ रो निपटा सकता था। शकर मे यह योग्यतायें थी, उन्होंने उसका चयन कर लिया। नियुक्त होते ही शकर न उद्योग और व्यापार म अपने पूववर्ती सम्बन्ध त्याग दिए, और उनके चयन पर कोई आपत्ति नही की जा सकती थी। मोरारजी जब प्रधान मन्त्री बने उनके पुत्र कान्ति दसाइ ने भी सभी व्यापारिक सम्ब ध त्याग दिए थे और तभी वह उनके साथ रहने आय थ। *उनका पुत्र निजी* रूप से एक नागरिक था और जब तक वह अपने पिता की शासकीय स्थिति म कोई गरकानूनी लाभ नही उठाता, उसे अपना जीवन अपनी रीति से व्यतीत करने का अधिकार था। उन्होंने याद दिलाया कि इस सिद्धात की रूपरेखा दस वष पूव श्रीमती इन्दिरा गाधी द्वारा लोकसभा मे उस समय प्रस्तुत की गई थी जब यह प्रथम बार विचार के लिए उठा था। सदन ने इसको सही माना था, जो कि उनकी दृष्टि मे उचित था। जहा तक बेगला और कान्ति की आपसी बातचीत का प्रश्न है, मोरारजी देसाई ने बताया कि उस समय वह एक गभीर दुघटना के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे थ और उस समय की बात का बतगड बनाना उचित नही। इसके अतिरिक्त उस समय अन्य लाग भी उपस्थित थे और कान्ति उनके सामने इस विषय की चर्चा नही छड सकते थे। ईरान के सम्ब ध म दसाइ का तक था कि *ईरान के शाह को अपन पक्ष मे करने के लिए विशेष प्रयत्नो की, उनको भारत का* समथन करने के लिए सहमत करने की, और पाकिस्तान के पक्षधर सलाहकारो के प्रभाव को निष्क्रीय करने की आवश्यकता है। उनका लक्ष्य भारत के आर्थिक और राजनतिक लाभ के लिए शाह की मित्रता पाना था। पूववर्ती सरकारो ने भी हक्सर और धर को ईरान के शाह को अपना मित्र बनाने के लिए भेजा था।

देसाई का तक था कि उन्होने सरकार के परमाणु परीक्षण से सम्बन्धित दृष्टिकोण की ससद के सम्मुख व्याख्या कर दी है। उस विषय पर उन्हे और कुछ नही कहना। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विदेश मन्त्रालय ने अमरीकी काउसिल जनरल के 'जगुआस' की खरीद की आलोचना के मसले को निपटाया और कसे राजनयिक ने उन शब्दो का जो उसके द्वारा कहे बताये गए थे, अस्वीकार कर दिया। उन्होने मेरे भाषण पर अपनी अप्रसन्नता को पुन प्रकट किया।

मुझे मोरारजी देसाई के उत्तर से कोई सतोष नही हुआ लेकिन इस विषय को आगे बढाने मे किसी प्रकार की बुद्धिमानी नही थी। यह कहा जाता है कि न्याय केवल किया ही नही जाना चाहिए वरन न्याय होना हुआ भी दिखाई पडना चाहिए। इसी प्रकार सावजनिक जीवन मे एक व्यक्ति को विशेष रूप से उच्च पदासीन व्यक्ति और उसके निकटवर्ती साथियो को इमानदार ही नही होना चाहिए वरन् उन्हे सभी के द्वारा ईमानदार माना जाना चाहिए। उस पर किसी प्रकार के सन्देह का रच मात्र दाग नही होना चाहिए।

वास्तव मे मोरारजी देसाई अग्रेजी की इस लोकोक्ति से अपरिचित थे— सीजर की पत्नी का सन्देह से परे हाना आवश्यक है।

7

सन् 1989 का संवैधानिक संकट

सन 1979 का अतिम आधा वष मेरे पाच वर्षीय राष्ट्रपति काल का सबस महत्वपूण समय था। 5 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 की अवधि म देश ने अनेक महत्वपूण घटनाआ का क्रम देखा, जनता सरकार का पतन, लोकदल नेता चरणसिंह के नेतत्व मे सरकार बनना (जो एक बार भी ससद के समुख आये विना इस्तीफा दने के लिए विवश हो गई थी), लोकसभा का भग होना, लोकसभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन होना और इंदिरा गाधी का सत्ता म पुन आना। मुझे ऐसे सवधानिक प्रश्नो व परीक्षण का सामना और निणय करन पडे थ जो मरे पूर्ववर्तिया म स किसी को नही करन पडे।

इस काल की घटनाओ का वणन करने स पूव क्या मैं विषयान्तर कर उन घटनाओ पर प्रकाश डाल सकता हू जो 1977 क आम चुनावो के बाद घटित हुइ। उत्तरी राज्यो और दक्षिणी राज्यो के मतदाताओ के निणयो म आश्चयजनक अन्तर था। कांग्रेस पार्टी को उत्तर म पूरी तरह पराजय मिली यद्यपि दक्षिण मे सबकुछ मिलाकर उसकी स्थिति अच्छी रही। जनता पार्टी को लोकसभा म जबदस्त बहुमत प्राप्त हुआ और उसन जनता की लोकप्रियता प्राप्त करते हुए सत्ता ग्रहण की।

दश के लिए सन् 1978 का वष सभी प्रकार से अच्छा प्रारम्भ हुआ। सरकार भाग्यशाली थी क्योकि सन 1977 म अच्छी मानसूनी वषा हुई थी और पर्याप्त खाद्यान्न था। सन 1977-78 मे विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि की स्थिति बहुत ठीक थी और आर्थिक स्थिति ऊपर उठती दिखाई द रही थी। दश म चारो ओर दिखाई देनेवाली सतोषजनक स्थिति न सभवतया शासक दल म आत्मसतोष की मनोदशा उत्पन्न कर दी और उसके विभिन्न गुटो क अन्तर्विरोध अपन को प्रकट करने लगे। आन्ध्र प्रदश और कर्नाटक की विधान सभाओ के आम चुनावो मे, जो प्राय कांग्रेस के मजबूत गढ समझे जाते हैं, पार्टी न एक बार पुन फरवरी 1978 म उल्लेखनीय सफलता का रिकाड बनाया और केन्द्र मे जनता पार्टी के शासन के बावजूद पूण बहुमत प्राप्त कर दिखा दिया कि जनता उन राज्यो मे अपना प्रभाव

बनाने मे असफल रही है। उत्तरी राज्यो म सन् 1978 मे हुए लोकसभा के तीन उपचुनावो मे, केंद्र मे शासित जनता पार्टी की हार हुई। इससे यह दिखाई देने लगा कि जिस पार्टी ने लोकसभा के सन् 1977 मे हुए आम चुनावो मे पूण विजय प्राप्त की थी, अब मतदाताओ पर उसका प्रभाव कम होना प्रारम्भ हो गया है। दक्षिण मे कोई प्रगति न करने और उत्तर में अपना प्रभाव कम होन की चेतावनी पर जनता पार्टी ने कोई ध्यान नही दिया।

मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरणसिंह जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे जो लोकसभा मे आम चुनाव जीतकर दोबारा आये। तीनो, ससद मे जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधान मत्री बनने के आकाक्षी थे। तथापि जयप्रकाश नारायण और जे० बी० कृपलानी के प्रयत्नो से मोरारजी देसाई को इसके योग्य समझा गया। देश के तत्कालीन वातावरण म जयप्रकाश नारायण की सलाह के विरुद्ध कोई खुलेआम नही जा सकता था। अत मोरारजी देसाइ जो कि ससद मे जनता पार्टी के निर्वाचित नेता थे, सब सम्मति से प्रधान मत्री चुन गये। मन्त्रिमडल तक बनाने मे अवरोध आए, जगजीवन राम और उनके एक दो अनुयायियो ने प्रारम्भ मे सरकार मे सम्मिलित होने से मना कर दिया था। जगजीवन राम का अपने निणय पर पुन विचार करने और अपने साथियो सहित सरकार मे सम्मिलित होने के लिए जयप्रकाश नारायण के सशक्त निवेदन की आवश्यकता पडी। यह घटना पार्टी के उच्च नेताओ के उन खराब आपसी सम्बधो का पूव प्रकटीकरण थी जो उसके शासनकाल में प्राय बराबर रहे। उच्च नेताओ मे आपसी कलह, चरणसिंह का मन्त्रिमडल से त्यागपत्र देना और उनके उसमे पुन प्रवेश करने की रीति, तथा राजनारायण का मन्त्रिमडल से त्यागपत्र देना आदि से यह बहुत स्पष्ट हो चुका था कि जनता सरकार अपना पूरा कार्यकाल नही गुजार पायेगी। जनता पार्टी उन शक्तियो का सफलता से शिकार हो गई जो उसके विरुद्ध काय कर रही थी।

भारत का राष्ट्रपति होने के नाते मेरा उपयुक्त विवादो से कोई सम्बध नही था। इन विषयो के बारे मे मेरी सूचना के एकमात्र स्रोत समाचार पत्र थ।

जब लोकसभा ने अपना मानसून सत्र प्रारम्भ किया मैं उस समय भी हैदराबाद मे था, लेकिन 10 जुलाई 1979 को दिल्ली लौट आया। विरोधी दल के नेता वाई० बी० चह्वाण ने 11 जुलाई को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाल मन्त्रिमडल क विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति भवन के अध्ययन कक्ष (स्टडी) मे बैठे हुए मैंने उनका भाषण सुना। वह मुझे पारम्परिक से अधिक कुछ नही लगा। जनता का लोकसभा मे पूण बहुमत होने से उसे इस प्रस्ताव को मतों द्वारा गिरान मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए थी। तथापि पार्टी मे फूट डालनेवाली शक्तिया क्रियाशील हो उठी और राजनारायण द्वारा दिये गये नेतृत्व मे उनके बाद सदस्यो का एक के बाद दूसरा समूह दल-बदल करने लगा। यह उल्लेख करना रोचक होगा

कि केबिनेट मिनिस्टर जाज फर्नांडीज ने, जिन्होने 12 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव की बहस मे हस्तक्षेप कर सरकार के पक्ष मे लम्बा भापण दिया और उसकी उपलब्धियो की सराहना की, उन्होने दो दिन बाद अर्थात् 14 जुलाई को सरकार से इस्तीफा दे दिया।

15 जुलाई की दर शाम को प्रधान मत्री मोरारजी दसाई मेरे पास आये और दो पत्र दिये। अपन प्रथम पत्र मे उन्होने कहा कि चार दिन पूव जिस समय लोकसभा मे अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, सदन मे जनता पार्टी का पूण बहुमत था परन्तु अब ऐसा नही है। यद्यपि अब भी वह लोकसभा म एकमात्र सबस बडी पार्टी है, देसाई ने आगे कहा कि वह अपना और अपन मत्रिमडल का त्यागपत्र देना उचित समझते हैं। उत्तर मे मैंने कहा कि मैं त्यागपत्र स्वीकार कर रहा हू परन्तु उनसे और उनके सहकर्मियो से मेरा अनुरोध है कि जब तक नई सरकार नही बन जाती, वे अपन पद पर रहें।

अपने दूसरे पत्र मे मोरारजी देसाई ने कहा था कि सदन म किसी भी पार्टी का बहुमत नही है और जिसको भी नई सरकार बनाने का काय दिया जाएगा उसे दूसरो का सहयोग लेना पड़ेगा। जिस जनता पार्टी के वह नेता हैं, वह अब भी लोकसभा मे एकमात्र सबसे बडी पार्टी है और उसे स्थानापन्न मत्रिमडल को बनाने की सभावना के लिए प्रयत्न करने का अधिकार है। उन्होने आगे जोडा "इसलिए, मैं सलाह दूगा कि उसे ऐसा करने के योग्य समझा जाए। पार्टी का नेता होन के नाते मैं अपने प्रयत्नो के परिणाम स आपको शीघ्र-से-शीघ्र सूचित करूगा।" मैंने उन्हे तभी उत्तर दिया कि यदि उन्हे बहुमत की सहायता पाने का विश्वास है तो वैसा करने के लिए वह जो भी काय करना आवश्यक समझते हैं उसे करने और अविश्वास प्रस्ताव को हराने को स्वतत्र है तथा उन्हे त्यागपत्र दने का कोई कारण नही। उनके त्यागपत्र स अविश्वास प्रस्ताव व्यथ हो जायगा और वे लोकसभा मे शक्ति परीक्षण से मुक्त हो जायेंगे। त्यागपत्र दने के तत्काल बाद सरकार बनाने के लिए आमत्रण मागकर वह समय और सहायता पाना चाहते थे। मैंने यह विचार किया कि जिस व्यक्ति ने सदन मे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाय अभी अभी अपना त्यागपत्र दिया है उसे दोबारा सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करना अनुचित होगा।

आगामी दो दिनो मे देश की सभी राजनैतिक विचारधाराओ और सम्मतियो का प्रतिनिधित्व करनेवाले राजनतिक पार्टियो के नेतागण मुझसे मिलने आये। मैंने उनके दृष्टिकोण और सलाहे सुनी। कुछ दूसरों से जो मुझस व्यक्तिगत रूप से नही मिले उनके भी मुझे पत्र मिले।

हमारी ससद मे इस प्रकार की स्थिति पहले कभी नही पैदा हुई थी और मेरे पास अनुकरण करने के लिए कोई पूववर्ती उदाहरण नही था। दूसरा कदम उठाने का निश्चय करने से पूव मैंने इस विषय पर अत्यन्त गहराई से f

मोरारजी देसाई के नेतृत्ववाली जनता पार्टी उनकी अपनी स्वीकृति के अनुसार जिस समय 11 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ पूण बहुमत मे थी परन्तु जब 15 जुलाई को मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया उस समय तक वह अपनी पहली वाली स्थिति खो चुकी थी। उत्तेजना क कोई भी कारण हो, पार्टी स बडी सख्या मे सदस्यो ने दल बदल कर लिया था जिससे वह सदन म अल्पसख्या म रह गई थी, यद्यपि वह जसा कि देसाई का दावा था अब भी अकेली बहुमत वाली पार्टी हो सकती थी। जिस समय सदन मे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, अनेको सदस्या ने जो अभी तक जनता पार्टी के सदस्य थ उसम त्यागपत्र दे दिया, इससे यह निष्कष निकालना स्वाभाविक और उचित था कि अगर उस प्रस्ताव पर मतदान होता, व सब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष म मतदान करते। मत्रिमडल के त्यागपत्र के कारण प्रस्ताव पर मतदान होने की स्थिति नही आ पाई थी। यदि वह स्थिति आ जाती, सरकार हरा दी जाती। वास्तव मे यह स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो चुकी थी और यही कारण था जिसने मोरार जी दसाई को त्यागपत्र दने के लिए प्रेरित किया। दूसरे शब्दो मे जहा तक अविश्वास प्रस्ताव का सबध है, सदन का बहुमत विरोधी पार्टी के नेता वाई० बी० चह्वाण का समथन करता और सरकार के विरुद्ध मतदान करता।

इन परिस्थितियो म, मैंने विचार किया कि विपक्ष के नेता वाई० बी० चह्वाण स सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। अत मैंने उन्हें 18 जुलाई की साय को ऐसा करन क लिए निम्नलिखित शली म आमत्रित किया

जसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनो मने आपसे तथा देश की सभी राजनैतिक विचारधाराओ का प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनैतिक पार्टिया के नताओ से विचार विनिमय किया। मेरी भली प्रकार विचार की गई सम्मति जोकि दूसरो के साथ हुई बातचीत से और भी पुष्टि हुई, वह यह ह कि लोकसभा म विरोधी दल का नेता होने के नाते आपन जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा मे प्रस्तुत किया और वही मोरारजी देसाई और उनक मत्रिमडल के त्यागपत्र का कारण बना, अत यह आपका नैतिक कत्तव्य है कि वतमान काम चलाऊ (केयर टेकर) सरकार का स्थान लेने के लिए शीघ्र से शीघ्र एक सुगठित और स्थायी सरकार बनाने की सम्भावनाओ को खोज। लोकसभा मे मत्रिमडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करत हुए आपके भाषण म राष्ट्र के प्रति आपकी कत्तव्य भावना का उल्लेख था। इसी कृतज्ञता का आग निबाहन के लिए आप स अनुरोध करता हू कि विषय को उसके तक सगत निष्कष पर लाने का प्रयत्न कर। निस्सदह इस सम्भावना के लिए प्रयत्न करत हुए आप किसी न किसी रीति से उन सहकर्मियो और साथियो का अपन साथ लेन का ध्यान रखेंग जो हमारी जनता के कल्याण और सुख स सबधित राष्ट्रीय लक्ष्य और पृष्ठभूमि रखत हैं।

जब व 18 जुलाई सध्या को मुझसे भेंट करने आये सरकार बनाने का प्रयत्न करने के लिए आमंत्रित करने का औपचारिक पत्र उनको दे दिया गया।

यह सामान्य रूप स एक नियम की भाति स्वीकार किया जाता है कि एक सरकार की हार और उसके त्यागपत्र पर विरोधी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहुत समय से यह परम्परा रही है और अब एक नियम की भाति समझी जाती है। वतमान दृष्टान्त मे यद्यपि सरकार को इस प्रकार से हराया नही गया था परन्तु मोरारजी देसाई के त्यागपत्र से ही यह स्पष्ट था कि यदि सरकार इस्तीफा नही दती, वह हरा दी जाती। यह स्थिति वास्तव मे पार्टी की आन्तरिक फूट स उत्पन्न हुई थी न कि किसी सैद्धान्तिक नीति पर विवाद के कारण। इसके बावजूद मेरे मस्तिष्क म स्पष्ट था कि सर्वोत्तम उपयोगी तरीका विरोधी पार्टी के नेता को सरकार बनाने की सम्भावनाओ क प्रयत्न हेतु आमंत्रित करना था।

उस समय मोरारजी दसाई को उनकी सरकार के कुछ सदस्यों ने जो पत्र लिख उनम एसा प्रकट होता है कि यदि उन्होने जनता पार्टी क नेता पद स त्यागपत्र द दिया होता और उनके स्थान पर जगजीवनराम नता बन जाते तो वह सदन मे बहुमत पाने मे सफल होते। इसस व लोग भी पार्टी म वापस आ जात जो उस पहले छोडकर चले गये थ। मैं महसूस करता हू कि मेरा पार्टी के आतरिक मामलो म हस्तक्षेप करना उचित नही था और न मेरा इस अनुमान के आधार पर काय करना उचित था कि यदि दूसरा आदमी पार्टी का नेतृत्व सम्भालेगा तो वह बहुमत प्राप्त कर लेगी।

श्री वाई० बी० चव्हाण न 22 जुलाइ 1979 को मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्होने अपने विचारोवाली पार्टियो का मिलाकर सरकार बनान का प्रयत्न किया था परन्तु सफलता नही मिली। उन्होने आगे लिखा कि तथापि हमारे प्रयत्नो के फलस्वरूप कुछ पार्टिया और समूहो म सामजस्य उत्पन्न हो गया है जो मेरे विचार से एक स्थायी और मजबूत सरकार बनान मे समथ होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस नयी स्थिति पर विचार करग और अपनी बुद्धिमत्ता से जो उचित समझेंग वसा करेंग।

इसी बीच चरणसिंह न मुझे लिखा कि वह एक स्थायी सरकार बनाने की स्थिति मे है। उनको जनता (एस), काग्रेस, बहुगुणा दल और समाजवादियो का एक दल अपना समथन देगा। उन्होने आग लिखा कि वामपथी विरोधी दलो, अकाली पार्टी, और दूसरो ने अपना समथन देने का आश्वासन दिया है। उन्हे आल इडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कजगम स भी समथन मिलने की आशा है। उन्होन काग्रेस (आई) द्वारा जनता के सम्मुख स्पष्ट की गई स्थिति का भी सदभ दिया जिसके अनुसार व किसी एसी सरकार का समथन नही करगी जिसके घटक आर० एस०

एस० या जनसघ हो। उन्होने यह विश्वास प्रकट किया कि उनकी सरकार मजबूत और स्थायी होगी। उसी दिन चरणसिंह का दूसरा पत्र आया जिसमे वाई० बी० चव्हाण का पत्र सलग्न था। इस पत्र मे चव्हाण ने उन्हे अपनी पार्टी का समथन देने का वायदा किया था। यह वायदा पार्टी की वर्किंग कमेटी मे पारित प्रस्ताव के अनुसार था।

मैंने 18 जुलाई से 23 जुलाई की अवधि मे ससद सदस्यों तथा अन्य लोगो के भी पत्र प्राप्त किये जिनमे तरह-तरह के सुझाव दिये गये थे।

इस स्थिति में एक ओर मेरे सम्मुख मोरारजी देसाई का दावा था कि जनता पार्टी अकेली सबसे बडी पार्टी है और उस पार्टी का नेता होने के नाते उन्हे ही सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर दूसरे दलो से टूटकर बनी नयी पार्टी जनता (एस) के नेता चरणसिंह थे जिन्हे काग्रेस (एस) का लिखित मे दिया गया समथन प्राप्त था। बहुगुणा दल ने अपने पत्र मे मुझे लिखित रूप से चरणसिंह को अपना समथन देने की सूचना भेजी थी। इसके अतिरिक्त ससद के कुछ सदस्यो ने भी मुझे लिखा था कि वे चरणसिंह को समथन देंगे।

लेकिन इन सबसे यह स्पष्ट नही होता था कि उनमे से किसको लोकसभा मे बहुमत मिलेगा और वह एक स्थायी सरकार निर्मित करने में सफल होगा। इसलिए मैंने उन दोनों से लिखित रूप मे अपने समर्थकों के नामो की सूची देने को कहने का निर्णय किया। मैंने प्रत्येक को बता दिया कि मैं दूसरे से भी उसके समथकों की सूची मगा रहा हू। मैंने 23 जुलाई को उन दोनो को इस आशय के पत्र लिखे और दो दिन का समय दिया।

लगभग इसी समय एक राजनतिक दल, काग्रेस (आई) के नेता ने मुझे लिखा कि कुछ सविधान विशेषज्ञो के अनुसार अगर इग्लण्ड मे मान्यता प्राप्त विरोधी पार्टी सरकार को हराने मे सफल हो जाती है और फलस्वरूप सरकार को इस्तीफा देना पडता है तब विरोधी दल का यह कत्तव्य होता है कि वह सरकार बनाये या महारानी को उसका कोई विकल्प बताये। चूकि विरोधी पार्टी का नेता सरकार बनाने मे अपनी असमथता प्रकट कर चुका था परन्तु उसन एक विकल्प सुझाया था, इसलिए मेरे लिए उस विकल्प को अपनाना आवश्यक था। उसने आगे यह तक रखा था कि मोरारजी देसाई को जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पडा है, किसी भी परिस्थिति म सरकार बनाने का अवसर नही दिया जाना चाहिए क्योकि यह एक ऐसे व्यक्ति को जो मतदान म हार चुका और पद से हट चुका है दोबारा प्रधानमन्त्री बनाकर ससद मे भजने क समान होगा। यद्यपि कोई भी अपने पक्ष की पुष्टि के लिए सवधानिक विशेषज्ञो की उक्ति को उद्धृत कर सकता है परन्तु उस समय ऐसा कुछ प्रतीत नही हो रहा था कि विरोधी नेता द्वारा जो विकल्प रखा गया है उससे एक स्थायी सरकार बन सकेगी और सदन मे बहुमत

का समर्थन प्राप्त कर सकेगी। परिस्थिति ऐसी थी कि दोनो नेताओ से अपने समर्थको की विस्तृत सूचना प्राप्त किये बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

एक भिन्न सदेश मे 24 जुलाई को ससद के कांग्रेस (आई) नेता ने मुझे सूचित किया कि उनकी पार्टी ने चरणसिंह के नेतृत्व में बननेवाली सरकार को समर्थन देने का निणय लिया है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैंने चरणसिंह और मोरारजी देसाई को दो दिन के अन्दर अर्थात् 25 जुलाई तक अपने समर्थकों की सूची भेजने के लिए कहा था। यद्यपि मैंने अपने पत्र मे समय के बारे में नही लिखा था, आपसी समझ यह थी कि वे 25 जुलाई को 4 बजे साय तक अपनी सूचियां दे देंगे। 24 जुलाई की रात को मोरारजी देसाई ने मुझे फोन किया और मुझसे एक दिन के लिए समय बढ़ाने को कहा। मैंने उनको बताया कि मुझे समय बढ़ाने मे कोई आपत्ति नहीं है अगर चरणसिंह भी इसी प्रकार समय बढ़वाना चाहें। जब चरणसिंह से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह समय सीमा बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। अत मैंने अनुभव किया कि केवल एक पार्टी को समय सीमा बढाने की स्वीकृति देना अनुचित होगा। 25 जुलाई की सुबह प्रधानमत्री मोरारजी दसाई के विशेष सचिव (स्पेशल सेक्रेटरी) टोनपे ने मेरे सचिव माडप्पा को मोरारजी देसाई की ओर से टेलीफोन पर समय सीमा बढाने का अनुरोध किया। मेरे निर्देशानुसार मेरे सचिव ने उनको सूचित किया कि पहले बताये गये कारणो के फलस्वरूप यह सम्भव नही होगा और मोरारजी देसाई को पूव निश्चित समय सीमा का पालन करना चाहिए। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि मैं मोरारजी देसाई को अपने समर्थको की सूची प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय देने के अपने आश्वासन से मुकर गया। मैंने मोरारजी देसाई को पहले से स्पष्ट कर दिया था कि मैं समय सीमा बढाने के लिए उसी दशा मे सहमत हूगा जबकि दूसरी पार्टी भी यह चाहे अन्यथा नही। इन परिस्थितिया में किसी का यह शिकायत करना कि इस विषय मे मोरारजी देसाई को मैंने जो आश्वासन दिया था उसका मैंने पालन नही किया निराधार होगा।

25 जुलाई को 4 05 बजे साय राजनारायण अपन दो साथियो सहित आए और उन्होंने मेरे सचिव माडप्पा को चरणसिंह के समथको की सूची दी, जबकि टोनप, मोरारजी देसाई के विशेष सचिव ने 4 25 साय को मोरारजी देसाई के समथको की सूची दी। राजनारायण ने कुछ विषयो पर मुझसे मौखिक रूप से बात चीत की। उन्होंने एक पत्र भी दिया जिसमे उन बातो का साराश था जो उन्होने मुझसे की थी। उसके बाद चरणसिंह का पत्र आया जिसमे कहा गया था कि राष्ट्रपति के सचिव को मोरारजी देसाई द्वारा दी गई सूची मे पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण नही है। दोनो सूचिया दिय जाने के बाद उनकी पुष्टि मे किसी भी प्रमाण

को स्वीकत नही किया जाना चाहिए। इस नियम का पालन न करने पर अनेको गम्भीर उलझने उत्पन्न हो जाएगी। दूसर दिन यानी 26 जुलाई को मोरारजी देसाई ने मुझे एक पत्र लिखा जिसम उन्होने निम्नलिखित विषयो का उल्लेख किया था—

(अ) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने काग्रेस और जनता (एस) द्वारा बनाई जानेवाली किसी भी सरकार का पूरा समथन दन का वायदा नही किया ह और वह ससद म विरोधी पार्टी क रूप मे रहेगी और अपना रवया नई सरकार की नीतियो तथा कायक्रमो के आधार पर निश्चित करेगी।

(ब) काग्रेस (आई) न चरणसिंह को कवल तत्कालिक समथन दने का वायदा किया है, स्थायी नही। इसके अथ यह हुए कि वह चरणसिंह की सरकार को प्रत्यक विषय के गुणो के आधार पर समथन देगी।

(स) चरणसिंह द्वारा काग्रेस के पूर समथन का दावा सही नही है क्योकि जैसा कि समाचार पत्रो म प्रकाशित हुआ है, पार्टी के करल प्रदेश के सदस्य चरणसिंह का समथन नही देग।

(द) अकाली दल न निष्पक्ष रहन का निणय लिया ह। अत यह नही सोचा जा सकता कि व चरणसिंह का समथन करग।

वह चाहत थ कि मैं अपना निणय लेन म पूव उपयुक्त बातो को ध्यान मे रखू।

इसी दौरान ससद क कुछ सदस्यो न मुझे लिखित रूप म सूचित किया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनक नाम मोरार जी दसाई द्वारा प्रस्तुत की गई सूची म सम्मलित किय गये है और उन्होने वास्तव मे चरणसिंह को समथन दने का निणय लिया है। इसी प्रकार काग्रस के पाच सदस्यो न मुझे लिखकर सूचित किया कि उनकी पार्टी द्वारा चरणसिंह का समथन दने क निणय स व सहमत नहीं ह और उन्होने मोरारजी दसाई का समथन दन का निणय लिया है। एच० वी० कामथ तथा तीन अन्य न एक सम्मलित पत्र मुझे लिखा। इसम उन्होने यह तक प्रस्तुत किया कि चरणसिंह का समथन दने वालो म उन व्यक्तियो के बजाय जो एक सामान्य कायक्रम या नीति पर चलते ह, दस विभिन्न मत वाले समूह ह और एसे गठबधन स कोई भी मजबूत या स्थायी सरकार नही बन सकती। इसके विपरीत जनता पार्टी द्वारा दी गई सूची मे 219 एसे सदस्य सम्मिलित हैं जो ससद के अन्दर और बाहर एक गुट के रूप मे एक समान नीति तथा कायक्रम क आधार पर काय करत हैं और पार्टी चरणसिंह की तुलना म कही कम बाहरी समथन पर आधारित है। उनकी मान्यता थी कि इन परिस्थितियो म सरकार बनाने के लिए जनता पार्टी को आमन्त्रित करना चाहिए। अन्य लोगो न भी इसी प्रकार के विचार लिखे थे। मधु लिमये ने 26 जुलाई को मुझे लिखा कि कुछ लोगो ने पहले जनता पालियामेन्ट्री पार्टी स इस्तीफा दे दिया था पर बाद म उनका अपना निणय और

समथन बदल कर मोरारजी को देने के लिये मना लिया गया। उन्होंने "ससद सदस्यो द्वारा अपना समथन एक के बाद दूसरे को, दोनो पक्षो को देने" और "राष्टपति द्वारा उनको यह जानने के लिए बुलाना कि वे वास्तव मे किस पक्ष की ओर हैं" पर अपना दुख प्रकट किया। उन्होने आग्रह किया कि मैं शीघ्र से शीघ्र अपना निणय किसी पक्ष मे ले लू।

मैं भी चाहता था कि दोना पक्षा द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की शीघ्र से शीघ्र जाच कर ली जाये। राजनारायण ने सुझाव दिया कि दोना पक्षो को एक दूसरे के समथको की सूची दे दी जाये। मोरारजी देसाई के प्रतिनिधि ने भी इस सुझाव का समथन किया। मैंने वसा ही किया। पुन दोनो पक्षो के प्रतिनिधियो की स्वीकृति स मैंने उन लोगो के नाम काट दिये जो दोनो सूचियो म थे। मेरे सचिवालय तथा लोक सभा अधिकारियो की सहायता से दोनो सूचिया का साव धानी स निरीक्षण करन के उपरान्त मैं इस निणय पर पहुचा कि चरणसिंह की सूची मे 24 का बहुमत है

यह सुझाव भी दिया गया कि सदस्यो की बदलती हुई पार्टी भक्ति को दृष्टि मे रखते हुए राष्ट्रपति के लिए यह उचित होगा कि वह यह निणय करने के लिए कि कौन सा सदस्य बहुमत रखता है, खुद लोकसभा के नाम अपना सदेश भेजें। लेकिन इन सुझाव म यह ठीक स नही बताया गया कि यह किस प्रकार किया जाय। यदि उक्त प्रक्रिया अपनाई जाती तो ससद सदस्या के सम्मुख यह प्रश्न स्वाभाविक रूप स उठ खडा होता कि उनकी पसन्द केवल चरणसिंह और मोरारजी तक ही सीमित है अथवा किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दावा करने पर उसे भी इसमे सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया इससे पूव कभी नही अपनाई गई थी। मैं इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट था कि यह प्रक्रिया अनदेखी उलझनो को उत्पन्न कर सकती थी और इसीलिए मैं इस पर कोई विचार करन के लिए तैयार नही था।

उस समय कुछ आलोचको ने यह तक दिया था कि दोनो नेताओ से अपने-अपने समथको की सूची मागने की प्रक्रिया को अपना कर, मैंने अपने उस सिद्धान्त को त्याग दिया जा सन 1967-69 की अवधि मे लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) रूप मे मैंने पुष्ट किया था। स्मरणीय है कि उस समय कुछ राज्यो की सरकारो मे बहुत अस्थायीत्व चल रहा था विधान सभा के सदस्य प्राय अपने दल बदल लिया करते थ। फलस्वरूप अनका अवसर ऐसे आते थ जब यह सन्देह उठता था कि कोई मुख्य मत्री विधान सभा मे बहुमत रखता है या खो चुका है। राज्या के राज्यपाल (गवनर) को प्राय ऐसे प्रश्नो का सामना करना पडता था। इसी पृष्ठभूमि मे प्रिसाइडिंग ऑफीसस की तीसवी कान्फ्रेंस अप्रल, 1968 मे हुई थी। लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) होने के नाते मैंने इस सभा की अध्यक्षता की थी। अपने

अध्यक्षीय भाषण मे मैंने कहा था —

किसी भी परिस्थिति मे यह निणय राज्यपाल (गवनर) पर नही छोडा जाना चाहिए कि कोई मुख्य मत्री विधान सभा मे बहुमत रखता है या नही, चाहे विधान सभा के सदस्य राज्यपाल को लिखकर ही क्यो न दें। इस विषय मे निणय करने का परम अधिकार विधान सभा का ही है।

यह दोष लगाया जाता है कि मैंने भारत के राष्ट्रपति के रूप मे जुलाई 1979 मे, उन्ही सिद्धातो की पूरी तरह उपेक्षा कर दी जिनकी मैंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सन् 1968 में तक द्वारा पुष्टि की थी। यह आलोचना स्थितियो के उस स्पष्ट विभाजन पर ध्यान नही देती जिन पर मैंने सन् 1968 की काफ्रेस मे अपने अध्यक्षीय भाषण मे प्रकाश डाला था और जिनका मुझे भारत का राष्ट्रपति होने के नाते सन् 1979 में सामना करना पडा। अपने अध्यक्षीय भाषण मे मैं एक ऐसी स्थिति के बारे मे विचार प्रकट कर रहा था जिसमे पहले से ही एक मुख्यमत्री पद पर आसीन था। यदि उसके पद पर बने रहने के दावे को चुनौती इस तक पर दी जाती है कि वह विधान सभा मे अपना बहुमत खो चुका है और राज्यपाल (गवनर) के सम्मुख यह माग आती है कि वह उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश करे अथवा त्यागपत्र देने से इकार करने पर उसे हटा दे तो ऐसी स्थिति (गवनर) मे राज्यपाल को क्या करना चाहिए? मैंने कहा था कि राज्यपाल को राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के नाते अपने ऊपर यह निणय करने का उत्तरदायित्व नही लेना चाहिए कि वास्तव मे मुख्यमत्री राज्य विधान सभा मे अपना बहुमत खो चुका है। मैंने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को यह प्रश्न विधान सभा मे ही हल होने के लिए छोड देना चाहिए। मेरा अब भी वही मत है। लेकिन सन् 1979 में जो समस्या उठी वह भिन्न थी। मन्त्रिमडल त्यागपत्र दे चुका था और विरोधी नेता जिससे सरकार बनाने का प्रयत्न करने के लिए कहा गया था, उसने कुछ समय बाद ऐसा करने मे अपनी असमथता प्रकट कर दी थी। उसने ऐसा करते हुए जिस विकल्प का सकेत दिया था, वह चाहे जिस भाषा शैली मे था उसका अथ चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करना था। दूसरी ओर त्यागपत्र दे चुका प्रधान मत्री था जो सबसे बडी पार्टी का नेता होने के रूप मे सरकार बनाने के अधिकार का दावा कर रहा था। सवैधानिक रूप से सरकार बनवाना मेरा कत्तव्य था। यह हर प्रकार से पूरी तरह मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं उन दो विकल्पो मे से किसको चुनू, यह एक ऐसा उत्तरदायित्व था जो मैं सविधान द्वारा बनायी किसी सस्था को नही दे सकता था। मेरे द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी प्रयत्न अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करना होता।

अपने इस निणय के सबध में मैंने एक बार कहा था कि मैंने अपनी अन्तात्मा के निर्देश अनुसार कार्य किया था। कुछ लोगों ने मेरे इस वक्तव्य की आलोचना

की और कहा कि मेरे निणय को मेरी अतरात्मा से नही घरन् सविधान से निर्देशित होना चाहिए था। मेरे वक्तव्य का अर्थ यह था कि निणय लेते हुए मैंने स्थिति पर निष्पक्ष और वस्तुगत दृष्टिकोण से विचार किया था और मेरे ऊपर जो कर्तव्य छोडा गया था उसे मैंने अपनी सम्पूण योग्यता और न्याय के साथ किया। उस समय भी और अब भी मैं नही समझता कि मैंने कोई काय सविधान के विरुद्ध किया।

जैसा कि पहले कहा है, मैंने पाया कि चरणसिंह को लोकसभा मे मोरारजी देसाई से अधिक बहुमत प्राप्त था। इसलिए मैंने उन्हें सरकार बनाने के लिए 26 जुलाई को अपराह्न आने का सदेश भेजा। मैंने अपने संदेश मे आगे लिखा—मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च जनतान्त्रिक परम्पराओ और स्वस्थ सहमति की स्थापना के हितो के अनुसार आप शीघ्राति-शीघ्र प्राप्त अवसर पर लोक सभा मे अगस्त 1979 के तीसरे सप्ताह तक विश्वास मत प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मैंने मोरारजी देसाई को अपने निणय की सूचना दे दी।

28 जुलाई को मैंने चरणसिंह को प्रधानमत्री पद तथा अन्य मत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। चह्वाण को छोडकर काग्रेस पार्टी के जो सदस्य शपथ ग्रहण समारोह मे आने थे पार्टी मे वैचारिक अन्तर पड जाने के कारण नही आये। पार्टी के मनोनीत सदस्यो को दूसरे दिन मत्रि पद की शपथ दिलवाई गई। प्रधान मत्री न शीघ्र ही अपने मत्रि मडल का विस्तार करने की आवश्यकता अनुभव की और बाद मे अतिरिक्त सदस्य मत्रिमडल मे नियुक्ति किये गये। मत्रिमडल की सलाह पर मैंने 6 अगस्त को एक आदेश जारी कर ससद के दोनो सदनो को 20 अगस्त को आमन्त्रित किया।

20 अगस्त और उसके बाद की घटनाओ का वणन करने से पूव मुझे उस विषय के बारे मे बताना है जिसकी उस समय आलोचना की गई थी। जब मैंने चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया था, मैंने उनसे लोक सभा का सत्र शीघ्र बुलवाने की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि चरणसिंह की सरकार विश्वास मत प्राप्त करे। मैं इससे पूव ही सर्दाभत अश दे चुका हू। चरणसिंह को लोकसभा का सत्र शीघ्र बुलाने की सलाह को उनके द्वारा सरकार बनाने की एक शत का रूप माना गया और कुछ आलोचको ने खुले आम मेरी इस सलाह देने के औचित्य पर अपना संदेह प्रकट किया। मेरा कथन है कि कोई भी शत थोपी नही जा सकती और वास्तव मे उस सलाह का अथ किसी भी तरह शत नही था। सविधान के अनुसार मत्रिमडल केन्द्र मे, सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, और राज्यो मे विधान सभा के प्रति। राष्ट्रपति या राज्यपाल का किसी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करते समय कुछ भी अनुमान हो, प्रधानमत्री या मुख्यमत्री और उनके साथी अपने पद पर तभी तक रहने की आशा कर सकते हैं जब तक वे लोक सभा या विधान सभा मे जैसा भी उदाहरण हो, बहुमत रखते

हो। जब आम चुनावो मे परिणाम स्वरूप कोई एक पार्टी अथवा पार्टियो का गठ बन्धन बहुमत प्राप्त करता है और उसका नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद धारण करता है तथा सरकार बनाता है, ऐसे मे उसका सदन म बहुमत होने पर सन्देह करने की गुजाइश नहा होनी और स्थिति स्पष्ट होती है। तथापि चरणसिंह ने जिन परिस्थितियो मे अपना पद ग्रहण किया और अपना जो भारी समथन दिख लाया उसको ध्यान मे रखते हुए यह जानना आवश्यक था कि क्या वह लोकसभा मे अपना बहुमत रखने मे समथ रहेंगे। इसलिए मैंने उन्हे प्रारम्भ मे ही लोकसभा का सत्र शीघ्र आमन्त्रित करने की सलाह दना आवश्यक तथा उचित समझा।

लोक सभा सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस (आई) ने, जो चरणसिंह के नेतृत्व मे बनने वाली सरकार को समथन देने के लिए सहमत हो गई थी अपना समथन वापस लेने का निणय कर लिया। उसके बाद चरणसिंह ने विचारा कि अब सदन मे बहुमत पाने की कोई आशा नही है। 20 अगस्त की सुबह हुई बठक म चरण सिंह और उनकी केबिनेट ने राष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र देने तथा "जनता से नया आदेश प्राप्त करने" की सलाह देने का निणय लिया। इस प्रकार चरणसिंह और उनके मन्त्रिमडल ने ससद का एक बार भी सामना किए बिना त्यागपत्र दे दिया।

उसके बाद दो दिन तक मुझसे अनेक व्यक्ति भट करने आए। इनम ससद के व्यक्तिगत सदस्यो और समूहो के नेताओ ने आगामी कदम उठाने के बारे मे अपने अपने दृष्टिकोण और सलाह प्रस्तुत की। इस विषय पर राजनीतिक पार्टिया के नेताओ और समूहो ने, वकीलो और पत्रकारो ने मुझे अपने विचार भजे। मेरे सम्मुख सम्भावित विकल्प थे (अ) लोकसभा का भग कर नए आम चुनावो का प्रबन्ध करू (ब) विरोधी दल के नेता जगजीवन राम की सहायता से नयी सरकार बनवाने का प्रयत्न करू।

इससे आगे का प्रश्न यह था कि यदि लोकसभा भगकर दी जाती है और नये चुनाव करने का आदेश दिया जाता है तो उस सम्बध म सरकार चलाने के लिए क्या प्रबध किया जाय।

चरणसिंह के त्यागपत्र और आम चुनाव द्वारा जनादेश पाने का समाचार फैला, जगजीवनराम ने जो उस समय जनतापार्टी और लोक सभा मे विरोधी दल के नेता बन गए थे मुझे 20 अगस्त का लिखा कि वह लोकसभा के बहुमत से समर्थित स्थायी सरकार बनाने की स्थिति मे हैं और उन्हे सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए। उन्होने लिखा कि यह प्रश्न कि चरणसिंह को लोक सभा मे बहुमत प्राप्त था, सदैव सदेह युक्त रहा था और वास्तव मे इसी कारण उन्हे मेरे द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। उन्होने स्पष्ट किया कि किस प्रकार चरणसिंह लोकसभा का एक बार भी सामना किए बिना बहुमत न होने के कारण त्यागपत्र देने को विवश हुए थे। उन्होने तक दिया कि केवल वही

मन्त्रि मडल जो लोक सभा मे अपना बहुमत रखता हो, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है जिसका पालन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। चरणसिंह और उनके मत्रियो द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह कि वे नए चुनाव करवाने का आदेश दें कोई महत्त्व नही रखती और उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। अन्त में उन्होने अनुरोध किया कि उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जनता पार्टी के प्रेसीडेण्ट चन्द्रशेखर, मोरारजी देसाई की मन्त्रिपरिषद (केबिनेट) के सदस्य मोहन धारिया तथा अन्य लोगो ने इस दृष्टिकोण के समर्थन मे लिखा। लोकसभा के स्वतत्र सदस्य मावलकर, काग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो चरणसिंह को समर्थन देने की अपनी पार्टी की नीति से असहमत थे और उसी विचार के पत्रकारो ने भी उसी दृष्टिकोण के अनुसार मुझे लिखा। उनका तर्क था कि उचित कार्य विधि यह होनी चाहिए थी कि मैं सरकार बनाने के लिए तत्कालीन विरोधी पक्ष के नेता जगजीवन राम को आमन्त्रित करता जो लोकसभा मे 200 स भी अधिक सख्या वाली सबसे बडी पार्टी के नेता थे क्योकि जब मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई का त्याग-पत्र दिया था उस समय विरोधी पक्ष के नेता चह्वाण को जिनके दल की सदस्य सख्या 75 थी, सरकार निर्माण करने के हेतु बुलाया गया था। लोकसभा के 102 सदस्यो के साथ कृष्णकान्त ने जगजीवन राम के समर्थन मे मुझे लिखा। अन्य तर्कों के अतिरिक्त उन्होने लिखा था कि अगर जगजीवन राम को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया गया तो देश के सभी पिछडे वर्गों और अनुसूचित जातियो को महान प्रसन्नता होगी।

जो लोग मेरे द्वारा दूसरा विकल्प अपनाने का आग्रह कर रहे थे उनके तर्कों को मैं क्रमश दे चुका हू। अब मैं क्रमश उन लोगो के तर्क दूगा जिन्होंने दूसरा विकल्प प्रस्तुत किया था।

ऐसा करने से पूर्व मैं कुछ नए विकास पर प्रकाश डालना चाहता हू जिसका वर्तमान सदर्भ में वर्णन करना रोचक रहेगा। एक राष्ट्रपति के नाते विकल्प सरकार बनाने की सम्भावना के लिए प्रयत्न करना मेरा कर्तव्य था। जगजीवनराम द्वारा काग्रेस (आई) से समर्थन लेकर एक स्थायी सरकार बनाना सम्भव था। वास्तव मे काग्रेस (आई) ने कुछ शर्तों के साथ जगजीवन राम को समर्थन देने को कहा था। परन्तु यह माना जाता है कि जगजीवनराम ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए वह विचार त्याग दिया गया था और काग्रेस (आई) के नेता जब मुझसे मिले उन्होंने मुझसे लोकसभा भग करने के लिए कहा। मैंने उनसे अपना दृष्टिकोण लिखित रूप में भेजने का आग्रह किया।

चरणसिंह की मन्त्रिपरिषद के विधि मन्त्री ने मुझे 20 अगस्त को ही बता दिया था कि लोकसभा के 532 सदस्यो म से 291 का बहुमत लोकसभा भग करने के पक्ष मे है, जिसमे जनता (एस) के 97 सदस्य, काग्रेस (एस) के 75,

काग्रेस (आई) के 73 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इडिया (मार्क्सवादी) के 22, ऑल इडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कजघम के 17 सदस्य सम्मिलित थे। उसी दिन मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इडिया के महामत्री (जनरल सक्रेटरी) द्वारा भेजी गयी उनकी पार्टी द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति मिली जिसमे लोकसभा भग कर नए मध्यावधि चुनाव करवाने का पक्ष लिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इडिया (मार्क्सवादी) के महामत्री ने भी मुझे अपनी पार्टी द्वारा पारित नए चुनाव करवाने का पक्ष लेनेवाले प्रस्ताव की प्रति भेजी। ससद मे काग्रेस (आई) पार्टी के नेता ने 22 अगस्त को मुझे अन्य बातो के साथ यह भी सुझाव लिखा कि राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा भग कर देनी चाहिए। चरणसिंह स्वय जनता (एस) के नेता थे उनकी पार्टी की सहमति का इस सबध मे स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता था। काग्रेस (एस) के प्रतिनिधि जो चरण सिंह के मत्रीमडल मे थे उनकी सहमति उस सलाह मे शामिल थी जो राष्ट्रपति को लोकसभा भग करने हेतु दी गई थी। कांग्रेस (एस) के उन सदस्यो को छोडकर जो पार्टी द्वारा चरणसिंह को समथन देने के प्रस्ताव मे शामिल नही हुए थे, शप सबके द्वारा लोकसभा भग करने की सहमति स्वत स्वीकृत थी। ऑल इडिया अन्ना द्रविड मुनत्र कजघम जो कि मत्रिमडल में शामिल थी, उसकी भी स्वीकृति लोकसभा भग करने के पक्ष म स्वत मानी जाने योग्य थी। इसके अतिरिक्त ससद के कुछ सदस्यो द्वारा भी सदन भग करने के लिए पत्र भेजे गए थे। ससद के कुछ सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां जिनमे लोकसभा भग न करने का सदेश था भी प्राप्त हुइ।

प्राप्त होनेवाले विभिन्न विचारो और सम्मतियो से यह प्रकट होता था कि लोकसभा सदस्यो का बहुमत उसे भग करने के पक्ष मे था।

राजनीतिक पार्टियो और ससद सदस्या के अतिरिक्त जनता के कुछ लोगो द्वारा भी सुझाव तथा सम्मतिया भेजी गयी थी। इनके अनुसार जनता कुछ जन प्रतिनिधियो द्वारा पिछले सप्ताहो बार-बार अपनी पार्टी बदलने से दुखी थी। इसलिए वे चाहते थे कि चुनाव फिर म कराये जाए।

मुझे जनता पार्टी के नए नेता जगजीवनराम के इस दावे का परीक्षण करना था कि वह लोकसभा मे बहुमत प्राप्त करने मे सफल होंगे और उन्हे सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जाना चाहिए। उस समय उनकी पार्टी की शक्ति कुल 538 सदस्या मे केवल 200 से कुछ ऊपर थी। काग्रेस (आई) और जनता (एस) ने स्पष्ट रूप से जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाये जाने का विरोध किया था। काग्रेस (एस) भी इसी दृष्टिकोण की थी। दोनो कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा जनता पार्टी की सरकार का विरोध करते हुए लोकसभा भग करने का आग्रह किया गया था। आल इडिया अन्ना द्रविड मुनत्र कजघम और मुस्लिम लीग भी इसी दृष्टिकोण

की थी। इसके अतिरिक्त ससद के कुछ सदस्यो ने मुझे लोकसभा भग करने का सुझाव लिखकर भेजा था। इन तथ्यो और सख्याओ को दृष्टि मे रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा कि दो सौ से कुछ अधिक के अपनी पार्टी सदस्यो की शक्ति से जगजीवनराम बहुमत समर्थित सरकार कठिनाई से भी नही बना सकते।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक माह से भी कम समय पूर्व जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि वह लोकसभा म बहुमत रखने का दावा नही कर सकती। यह सत्य था कि इस बीच एक भिन्न व्यक्ति ने पार्टी का नेतृत्व सभाल लिया था परन्तु मैं अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट नही कर सकता था कि नया नेता भी बहुमत का समर्थन जुटा पायेगा।

जब मोरारजी देसाई के द्वारा जुलाई म त्यागपत्र देने पर विरोध के नेता चह्वाण को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया गया था, कुछ लोगो ने तर्क दिया था कि उसी के अनुरूप विरोधी पक्ष के नेता जगजीवनराम को चरणसिंह मत्रिमडल के द्वारा इस्तीफा देने पर सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जाना चाहिए था। इस तर्क का सामना करने के लिए मुझे परिस्थितियो के एक पहलू पर ध्यान देना पडेगा। मान लीजिए कि अगर जगजीवनराम को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जाता और उनकी सरकार भी बहुमत प्राप्त न करने के कारण त्यागपत्र देने को विवश होती, जैसा की पूरी तरह सम्भव था, तो वैसी परिस्थिति मे क्या कदम उठाया जाता? क्या उस समय भी यह आवश्यक नही होता कि तत्कालीन विरोधी पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जाय? स्पष्ट है कि यह एक कभी समाप्त न होनेवाली प्रक्रिया होती।

मेरे सामने जितने विकल्प थे, उनके गुण दोषो के बारे मे मैंने सावधानी पूर्वक विचार किया। स्थिति की वास्तविकता के केन्द्रीय तथ्यो को मैं सक्षिप्त मे प्रस्तुत करूगा। सदस्यो द्वारा बडी सख्या मे दल-बदल किए जाने के कारण जनता पार्टी अल्पमत मे रह गयी थी और मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पडा था। आमत्रित किए जाने पर विरोध पक्ष के नेता ने सरकार बनाने का प्रयत्न किया था पर असफल रहा था, तथापि उसने सलाह दी थी कि पार्टियो का ऐसा गुट उभर रहा था जो चरणसिंह के नेतृत्व मे सरकार बना सकता है। मैंने त्यागपत्र दे चुके प्रधानमत्री मोरारजी देसाई और चरणसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमाणो से अपने को सन्तुष्ट कर लिया कि चरणसिंह को बहुमत प्राप्त है। इसी के अनुसार मैंने चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया जो उन्होंने बनाई। वह शीघ्र ही त्यागपत्र देने को विवश हो गए क्योंकि एक महत्वपूर्ण समूह ने जिसने उन्हें समर्थन देने का वायदा किया था, अपना इरादा बदल दिया और एक माह से कम समय के अन्दर उनका विरोध करना उचित समझने लगे। त्यागपत्र देते हुए चरणसिंह ने लोकसभा भग करने की सलाह दी। इस प्रकार वे मुझे ऐसी स्थिति

मे छोड गए जिसमे मुझे पहले बनाए गए विकल्पों मे से किसी एक को चुनना था।

जगजीवनराम को सरकार बनाने मे विरोध मे जो तर्क थे, उन्हें मैं पहल बता चुका हू। चरणसिंह सरकार द्वारा दी गई सलाह से स्पष्ट था कि जनता पार्टी को छोड सभी राजनैतिक पार्टियां लोकसभा को भग करवाना चाहती थीं। इन परिस्थितियों मे, मैं इस निर्णय पर पहुचा कि देश मे राजनैतिक गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय लोकसभा भग करने के पक्ष मे बहुमत द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए विचार को स्वीकार कर लेना है।

इसी के अनुसार मेरे आदेश पर 22 अगस्त की सुबह राष्ट्रपति भवन में केबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमत्री का सेक्रेटरी, राष्ट्रपति का सेक्रेटरी और अन्य उच्च अधिकारी लोकसभा भग करने के आदेश का आवश्यक प्रारूप तैयार करने और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियो का प्रबन्ध करने हेतु एकत्रित हुए।

जिस समय उपर्युक्त अधिकारी काय मे व्यस्त थे। मेरे आमत्रण पर जनता पार्टी के जगजीवनराम और चन्द्रशेखर मुझसे मध्याह्न 11 30 बजे भेंट करने आए। मेरा विचार उनसे देश मे चल रही राजनैतिक स्थिति पर बातचीत करने का था। वार्तालाप के दौरान जब दोनों नेताओ ने जगजीवनराम के सरकार बनाने के दावे पर बल दिया, मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी दूसरी राजनैतिक पार्टी ने जगजीवनराम को समथन देने का वायदा किया है। जगजीवनराम ने उत्तर दिया अब कोई पार्टी शेष नही रही है, सब टूट चुकी हैं। अगर उन्हें सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा, वह अपने समर्थकों की सूची प्रस्तुत करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि क्या यही विधि नहीं थी जो मैंने इससे पूर्व अपनाई थी। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि जनता पार्टी को छोडकर शेष समस्त प्रमुख पार्टियों ने लिखित रूप मे लोकसभा भग कर नए निर्वाचन करवाने का आग्रह किया है। यह भेंट लगभग पन्द्रह मिनट तक चली। जगजीवनराम के पास मुझे बताने के लिए कोई नई बात नही थी। मैंने अनुभव किया कि मेरे जिस निर्णय के फलस्वरूप काय वाही प्रारम्भ हो चुकी है उसमें परिवतन की कोई आवश्यकता नही है। जब वे जा रहे थे, चन्द्रशेखर ने कहा कि वह मुझसे भेंट करने दोबारा आएगे। मैंने उत्तर दिया कि जल्दी करने की कोई आवश्यकता नही है और उनका सदव स्वागत है। ये शब्द जो मैंने सही भावना से कहे थ इनका अर्थ यह था कि उन्हें मुझसे दोबारा भेंट करने के लिए शीघ्रता करने की आवश्यकता नही तथापि उनका सदैव स्वागत है। इससे मेरा आशय यह कदापि नही था कि मैं उस समय की राजनैतिक स्थिति पर कोई निर्णय लेने की जल्दी मे नही हू। दुर्भाग्यवश मेरे शब्दो का अर्थ गलत लगाया गया, जैसा कि भावी घटनाओ से ज्ञात होता है। मैं उन शब्दो से वसा अथ

निकालने की कभी कामना नहीं कर सकता था, जबकि मैंन पहले ही निणय ले लिया था और इससे भी आगे जबकि मैंने उच्च अधिकारियो को अपने निणय को कार्यान्वित करने का आदेश दे दिया था और व आवश्यक 'नोटिफिकेशनस्', प्रेस विज्ञप्ति और दूसरी सामग्री बनाना प्रारम्भ कर चुके थे।

अब उन घटनाओ पर विचार करते हुए आश्चय करता हू कि मैंने उन्हें आमन्त्रित ही क्यो किया। सही भावना से कहे गए मेरे कुछ शब्दो को जो रूप दिया गया वह वास्तव मे दुर्भाग्यपूण था।

अपराह्न मे एक प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की गई जिसमे बताया गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय सविधान की धारा 85 के खड (क्लाज II) के उपखड (बी) के अन्तगत लोकसभा को भग कर दिया है। इसम यह भी बताया गया था कि नवम्बर-दिसम्बर 1979 की अवधि मे निर्वाचन होगे। चुनावो के लिए प्रस्तावित समय कायक्रम मे यह ध्यान रखा जाएगा कि वे सविधान मे अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियो और एग्लो इडियन समुदायो के लिए सुरक्षित 'सीट्स' के प्रावधानो की अवधि समाप्त होन से पूव किए जाए। जब तक चुनाव नही हो जात और उनके आधार पर नई सरकार नही बन जाती चरणसिंह का मन्त्रिमडल अपना पद भार सभाले रहेगा। इस अवधि म सरकार ऐसे कोई निणय नही लेगी जो नवीन नीतिया शुरू करे या महत्त्वपूण अश मे कोई नया व्यय करे अथवा मुख्य शासन या कार्यकारिणी सम्बन्धी निणय लें। राष्ट्रीय हित मे नियमित रूप से होनेवाले काय को रुकने नही दिया जाएगा।

उस समय चरणसिंह मन्त्रिमण्डल को चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहने के सम्बन्ध मे कुछ सशय प्रकट किया गया। सविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों मे सलाह तथा सहायता देने के लिय एक मन्त्रिमण्डल का होना आवश्यक है। सविधान के अनुसार राष्ट्रपति अन्य रीति से काय नही कर सकता। सबसे स्पष्ट बात उस समय तत्कालीन मन्त्रिमण्डल को सरकार चलाने के लिये पद पर बनाये रखना था। मन्त्रिमण्डल ने मुझे आश्वासन दिया कि चुनाव स्वतन्त्र, सही और शातिपूवक होंगे और मुझे आश्वासन पर सन्देह करने का कोई कारण नही दिखा।

मुझे विश्वास था चुनाव कमीशन तथा केन्द्र और राज्यो का शासन सभी स्तरो पर चुनावो को अनुशासित, शातिपूण और उचित रीति से करवाने का ध्यान रखेगा। इस घटना मे यह विश्वास पूरी तरह न्याययुक्त था और लोक सभा के लिये 1979 80 शरद ऋतु मे होने वाले चुनाव इतने अनुशासित, स्वतन्त्र, शातिपूण तथा उचित रीति से हुये जितने कि इसस पूव कभी हुए थ।

चुनावो के बाद जनवरी 1980 मे इन्दिरा गाधी के प्रधान मन्त्रित्व म नयी सरकार बनी। इससे वह राजनतिक अस्थिरता जो देश मे 1978 के अन्तिम आधे वप मे व्याप्त थी, समाप्त हो गई।

8

चरणसिंह से मतभेद

सन 1979 अगस्त से दिसम्बर तक की अवधि मे जबकि लोकसभा भग कर दी गई और चरणसिंह अभिरक्षक (केयर टेकर) सरकार के प्रधान मत्री थे, मेरे लिये यह आवश्यक था कि मैं सरकार को समय समय पर नीतियो मे कोई महत्त्व पूण परिवतन न करने के लिये सलाह दता रहू। यह सत्य है कि सविधान मे किसी अभिरक्षक (केयरटकर) सरकार का सदभ नही है, न वह पदभार सभालने वाली सरकार की शक्तियो पर चुनाव होने और उनके परिणामो के आधार पर सरकार बनने तक कोई पाबदिया लगाता है। जब अगस्त 1979 के अन्त मे, मैंने लोक सभा भग करने और चरणसिंह को अपने पद पर उस समय तक बने रहने का आदेश दिया था जब तक चुनाव होकर उनके आधार पर नई सरकार नही बन जाती, यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया था कि चरणसिंह की सरकार कोई ऐसे निणय नही लेगी जो नयी नीतियो का प्रारम्भ करे या जिन पर महत्त्वपूण धनराशि व्यय हो अथवा जो महत्त्वपूण शासकीय या कायकारिणी परिवर्तन से सम्बधित हो। इस के अतिरिक्त वैसे भी एक बार जब ससद भग हो जाती है चुनाव आयोजित होने वाले होते हैं और चुनावो के बाद विधिवत सरकार बनने वाली होती है, यह एक स्थापित रीति है कि इस अवधि मे कोई महत्त्वपूण परिवतन नही किये जाते। नीतियो मे ऐसे परिवतन जिनके दूरगामी परिणाम हो, चुनाव घोषणा पत्र का अश होना चाहिये और उनके अनुसार जनता का आदेश प्राप्त करने के बाद ही काय किया जाना चाहिए।

इस विषय मे चरणसिंह मन्त्रिमण्डल द्वारा सघीय सरकार के नियत्रण मे होने वाली सेवाओ मे पिछडी जातियो को सरक्षण देने का विचार एक महत्त्वपूण नीति परिवतन का था। चुनावो द्वारा जनता का आदेश पाने से पूव इसे क्रियान्वित करने का कोई प्रयत्न नही किया जाना चाहिए था, यद्यपि एक सवधानिक प्रावधान द्वारा सरकार को इस प्रकार का सरक्षण देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार का सरक्षण कुछ राज्यो मे भी प्राप्त किया गया। परन्तु इस विचार को शायद सरकार

की अन्दरूनी विचार भिन्नता के कारण आगे नही बढाया गया।

समय-समय पर चुनावो मे सुधार करने के सम्बन्ध म जो विचार रखे गये हैं, उनमे से एक सरकारी कोष द्वारा उम्मीदवारो को चुनाव लडने के लिए आर्थिक सहायता देना है। यहा इस विचार के गुणो पर प्रकाश डालने का मेरा कोई विचार नही। मैं यहा केवल इतना कहना चाहता हू कि यह देश के निर्वाचन सम्बन्धी कानून म एक मुख्य परिवतन था और उस पर जनता द्वारा पूरी तरह वाद-विवाद हो जाने के बाद उसे निर्वाचन कानून और प्रणाली के सम्पूण सुधार के एक अश रूप मे लिया जाना चाहिए था। इसलिये जब चरणसिंह ने अध्यादेश जारी करवा कर यह विचार क्रियान्वित करवाना चाहा और वह भी जबकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जा चुका था और उम्मीदवारो के नाम आ चुके थे, मैंने उनकी नाराजगी की हद तक प्रतिवाद किया। उन्होने तक दिया कि उनकी सरकार विभिन्न कार्यों के लिये इस विशेष उद्देश्य की तुलना से कही अधिक बडी धनराशि खच कर रही है और उनकी इस पहल पर कोई आपत्ति नही होनी चाहिये। मैंने उनको समझाया कि इसम व्यय की मात्रा का नही वरन् देश के निर्वाचन कानून मे मुख्य परिवतन करने का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। उनकी सरकार को इसे नही लाना चाहिये और वह भी जबकि चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो। मैंने आगे कहा कि यदि उनकी सरकार नही मानी, मुझे सरकारी आदेश को रद्द ही नही करना पडेगा वरन् अन्य कठोर कायवाही भी करनी पडेगी। उन्होंने देख लिया कि उनके सामने उस विचार को त्यागने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है।

उस अवधि मे दूसरा उदाहरण जिसमे मैंने दृढता अपनायी, एक विदेशी पार्टी के साथ लम्बी अवधि का वाणिज्य सम्बन्धी अनुबंध था। मैंने सम्बन्धित मत्री को सलाह दी कि वह चुनाव तक कोई निणय न ले।

एक दूसरा प्रस्ताव जिसके विरुद्ध उस अवधि मे मैंने सलाह दी, न्यायिक नियुक्तियो से सम्बन्धित था। दिसम्बर 1979 के अन्त म, वास्तव मे माह के अंतिम सप्ताह मे मुझसे उच्च न्यायालय के कुछ न्यायधीशो की नियुक्तियो पर अपनी सहमति देने के लिये कहा गया। जैसा कि सभी जानते है, जनवरी 1980 के प्रथम सप्ताह मे देश म चुनाव होने वाले थे और चुनावो के परिणामो के आधार पर महीने के मध्य तक नई सरकार पदासीन होने वाली थी। उन परिस्थितियो म कोई भी नियुक्ति करना विरोधी आलोचना को आकर्षित करना था। अत मैंने सरकार को उसके विरुद्ध अपनी सलाह दी। मेरी सलाह स्वीकार कर ली गई और वह प्रस्ताव त्याग दिया गया।

9

विदेश यात्राओ के प्रसग

सोवियत रूस और बलगेरिया मे

राष्ट्रपति के पद पर तीन वष तक काय करने के उपरान्त ही मैंने अपनी प्रथम सरकारी विदश यात्रा की। मैं सितम्बर सन 1977 मे अमरीका अपना आपरेशन द्वारा उपचार करवाने गया था। सितम्बर 1980 के अत म, राष्ट्रपति पद धारण करने के तीन वष से कुछ अधिक समय बाद मैं सोवियत यूनियन और बलगेरिया की दो सप्ताह की राजकीय यात्रा पर चल दिया। इससे पूव मैंने दो बार केन्द्रीय सरकार के इस्पात मत्रालय के केबिनेट मत्री के रूप मे सन् 1965 मे और लोक सभा अध्यक्ष रूप मे सन् 1968 मे यात्राए की थी और उस विशाल दश को कुछ देखा था। इससे दस वष पूव सन 1970 मे वी० वी० गिरि ने राष्ट्रपति के नाते यात्रा की थी। यह सत्य कि राष्ट्रपति के रूप मे मेरी प्रथम विदेश यात्रा सोवियत यूनियन की थी, उस महत्व को दर्शाता है जो दोनो देश पारस्परिक मित्रता को देते हैं। यात्रा मे अन्य लोगो के अतिरिक्त मेरी पत्नी तथा पेट्रोलियम मत्रालय के केन्द्रीय मत्री वीरेन्द्र पाटिल मेरे साथ थे। हम 29 सितम्बर 1980 को स्थानीय समय के अनुसार साय 6 बजे मास्को पहुचे (भारतीय मानक समय से लगभग ढाई घटे पूव), हवाई अड्डे पर सोवियत प्रेसीडेण्ट लेयनाइड ब्रेझनेव, प्रधानमत्री तिखोनोव, विदेश मत्री ए० ग्रोमीकोव और उनके उच्च साथियो ने हमारा स्वागत किया। हम क्रेमलिन मे ठहरे।

दूसरी सुबह मैंने वी० आई० लेनिन के स्मारक और अज्ञात सिपाहियो के स्मारक पर पुष्पहार अर्पित किया। इसके पश्चात सोवियत प्रेसीडेण्ट के साथ मेरी लगभग सौ मिनटो तक विस्तृत वार्ता हुई। यह वार्ता झाड-फानूसो और चमक दमक से सुशोभित क्रेमलिन के विशाल कक्ष (हाल) म हुई थी। दोनो पक्षो ने भारत सोवियत सबधो के पहले से अधिक मजबूत होने पर प्रसन्नता प्रकट की और सहमति प्रकट की कि दोनो पक्षो को अपने सौहादपूण सम्बन्धो का उपयोग विश्व

शान्ति की वृद्धि में करना चाहिए। सोवियत पक्ष ने अपनी अफगानिस्तान सम्बन्धी सर्वविदित स्थिति की पुष्टि की और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया से सम्बन्धित विकास पर भारत की स्थिति और समझदारी की सराहना की। ब्रेझनेव ने भारत की तटस्थता नीति की बहुत प्रशसा की।

साय एक भोज म सोवियत प्रेसीडेण्ट ने कहा कि ईरान और ईराक को अपने विवाद मित्रता की भावना से हल करने चाहिए और जो विषय समझौते से शीघ्र हल न हो पाए, उन्हें बाद मे और अधिक उचित दिन हल करने के लिए छोड देना चाहिए। उन्होंने बिगडती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी जिक्र किया।

मैंने अपने उत्तर मे बताया कि किस प्रकार विज्ञान और तकनॉलाजी से एक एक ओर मानव जाति को अपार लाभ पहुच रहा है, वही दूसरी ओर किस प्रकार इसने कुछ देशो को अपार विनाश करने वाले नए अस्त्रो का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की है। मैंने कहा कि मुझे भय है कि विश्व शीतयुद्ध के नए युग की ओर बढ रहा है। मैंने आगे बताया कि इसके बावजूद भी भारत आशा करता है कि सदबुद्धि की विजय होगी और वह मानवता की रक्षा करेगी। मैंने ब्रेझनेव द्वारा यूरोप मे तनाव कम करने के प्रयत्नो की प्रशसा की। मैंने बताया कि सोवियत यूनियन ने जिसे कठिनाई से एक पीढी पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत अधिक कष्टो का सामना करना पडा था, आज देश के आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए अपने को समर्पित कर दिया है और इसलिए विश्वशान्ति के प्रति उसकी आस्था स्वाभाविक है। अन्त मे मैंने भारत द्वारा सोवियत यूनियन के साथ अपने सम्बन्धो को दिए जाने वाले महत्व पर बल दिया।

मास्को यात्रा के अन्त म, मैंने सोवियत वासियो को टेलीविजन के माध्यम से सम्बोधित किया। इसमे मैंने बताया कि सोवियत यूनियन के प्रेसीडेण्ट से हुई मेरी वार्ता सौहार्दपूर्ण तथा उन घनिष्ट सम्बन्धो की विशेषताओ से पूर्ण रही जो भारत और सोवियत सघ के मध्य हैं। मैंने घोषित किया कि दोनो देशो की आपसी मित्रता किसी के भी विरुद्ध नही है। हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली म अन्तर होने के बावजूद, हमारे दोनो देशों मे घनिष्ट सहयोग से कार्य करने की इच्छा है और इसमे हम विश्वशान्ति के महान और समान लक्ष्य से प्रेरित हुए हैं।

मैं यहां एक घटना का वर्णन करना चाहूगा जिसने हमारी मास्को यात्रा के आनन्द को कम कर दिया। यह मेरे द्वारा प्रथम अक्तूबर को ब्रेझनेव के सम्मान मे दिए जाने वाले रात्रि प्रीति भोज मे उनकी अनुपस्थिति से सम्बन्धित थी। दूसरे दिन सोवियत विदेश मन्त्री मुझसे भेंट करने आए और मेरे साथ करीब आधा घटा गुजारा, और ब्रेझनेव की अनुपस्थिति के कारण बताते रहे। लेनिनग्राड को विदा होते समय प्रातःकाल ब्रेझनेव ने बिना पूर्व निश्चित कार्यक्रम के मेरे साथ लगभग चौथाई घटे तक भेंट वार्ता की। वास्तव मे, वह मुझे शान्त करने के लिए मेरे

साथ हवाई अड्डे तक आए। रात्रि भोज म अपनी अनुपस्थिति के कारणा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि उनको कुछ पूव निश्चित आवश्यक काय करने थे और उनके एक घनिष्ठ मित्र और सहकर्मी के यहा मत्यु शोक हो गया था जिसमे उन्हे व्यस्त होना पडा। यह कारण सन्तोषजनक नही लगते थे। कुछ स्रोतो ने बताया कि सोवियत प्रेसीडेण्ट प्राय आने वाले विदेशी अतिथियो द्वारा दी गई दावतो मे उपस्थित नही होते। यह भी मुझे स्वीकार योग्य नही लगा क्योंकि अगर ऐसा होता, मास्को मे स्थित हमारे दूतावास को इसकी जानकारी अवश्य होती और उसने मुझको सूचित कर दिया होता। दूसरा कारण यह बताया गया था कि सोवियत नेता हमारी सरकारी वार्ता मे मेरे इस कथन "अफगानिस्तान की बल शाली स्वतन्त्र जनता क प्रति हमारी मित्रता की भावना" पर नाराज हो गए थ। मुझे सन्देह है कि अफगानिस्तान से सम्बन्धित मेर कथन म कोई ऐसी बात रही हो जो पहले ही सरकारी रूप से इस समस्या के प्रति भारतीय दृष्टिकोण म नही कही गई हो। विशेष रूप स उद्धत उपयुक्त शब्दो द्वारा कोई नाराजगी नही हो सकती।

सोवियत प्रेसीडेण्ट न जिन्हे रात्रि भोज मे मुख्य अतिथि होना था, यह सन्देश भिजवा दिया था कि वह नही आ सकेंगे, मैंने रात्रि भोज मे नही जाने का निणय किया। केन्द्रीय केबिनेट मन्त्री जो मेर साथ गए थे, उन्होने रात्रि भोज म आतिथेय की भूमिका निभाई।

तथापि इस घटना से हमारे दोनो दशो के आपसी सम्बन्धो पर कोई प्रभाव नही पडा।

सोवियत राजधानी मे अपने ठहरने की अवधि मे मुझे मास्को राज्य विश्व विद्यालय ने डाक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया।

मैं 3 अक्तूबर को मास्को से लेनिनग्राड के लिए विदा हुआ। मास्को हवाई अडडे पर ब्रेझनेव, ग्रोमीकोव और अन्य लोगो ने मुझे विदाई दी। लेनिनग्राड मे, मेरा स्वागत लेनिनग्राड कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव तथा केन्द्रीय पोलितब्यूरो के सदस्य, गिओग्री रोमानोव ने किया। यहा के कायक्रम म अन्य कार्यों के अतिरिक्त लेनिनग्राड की रक्षा करन वालो के स्मृति स्थल पर पुष्पमाला अर्पित करना, स्मोलनी जाना जहा से लेनिन न अपनी 1917 की क्रान्ति का प्रारम्भ किया था, लेनिन स्मृति सग्राहलय दखना था। रोमानोव ने मुझे यह स्थल दिखलाए।

मैंने 5 अक्तूबर को वोल्गोग्राड (पहले स्टालिनग्राड) देखा। वहा लडी गई भयानक लडाइया और वहा के लोगो के वीरतापूण बलिदान ने द्वितीय विश्व युद्ध का नक्शा बदल दिया था और नाजियो की पराजय का प्रारम्भ किया था। मैंने नगर के पाच लाख लोगों के वीरतापूण युद्ध और अपनी मातभूमि की रक्षा म उनके अनुपम बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की। मैंने इससे पूर्व इस नगर का

दक्षन यूनियन केबिनेट मन्त्री के रूप मे किया था। मैंने ऐतिहासिक स्थलो को, जिनमे नगर के मध्य मे स्थित स्मृति स्तम्भ है, भी देखे। बाद मे, मैं जियोजिया के तिबिलिसी नगर गया, स्तालिन इसी रिपब्लिक का निवासी था।

मेरे सम्मान मे 6 अक्तूबर को जियोजिया की ससद और मन्त्रिपरिषद ने एक रात्रि भोज दिया। रिपब्लिक की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव, प्रेसीडेण्ट तथा प्रधानमन्त्री सहित अन्य नेताओ से भी मेरी भेंट हुई। मैंने जब एक सप्ताह अवधि की अपनी यात्रा समाप्त की उस समय देश के जन प्रचार माध्यमो द्वारा मेरे आगमन को दो भिन्न सामाजिक व्यवस्था और दृष्टिकोण वाले देशो के मध्य आपसी सम्बन्धो तथा सहयोग के 'उज्ज्वल उदाहरण' के रूप मे सराहना की गई।

7 अक्तूबर को मैं तिबलिसि से बुलगारिया की राजकीय यात्रा पर चल दिया। जैसे ही हम उस देश म पहुचे, राष्ट्रपति के विमान की रक्षा के लिए बुलगारिया की वायु सेना के जेट्स विमान कुछ दूर तक चले। राजधानी नगर सोफिया पहुँचने पर मेरा स्वागत बुलगारिया के प्रेसीडेण्ट टोडोर झिवकोव, प्रधानमन्त्री टोडोरोव तथा अन्य राज्यकीय अधिकारियो ने किया। हवाई अड्डे से बोयाना स्टेट रजिडेन्स तक के बीस मील लम्बे मार्ग म असाधारण सख्या मे लोग हमारा हर्षपूर्ण स्वागत करने के लिए आए थे। स्टेट रजिडेन्स जाने के मार्ग म (मेयर) नगर महापापद ने नगर निवासियो तथा नगर शासन की ओर से मेरा स्वागत किया। सदभावना और स्वागत के प्रतीक रूप में मुझे नमक और मिर्च के चूर्ण के साथ रोटी का एक टुकड़ा खाने के लिए भेंट किया गया। किसी के साथ मिलकर रोटी खाना अच्छे साथी होने का पारम्परिक प्रतीक है।

बाद में मैंने झिवकोव और बुलगारिया के अन्य नेताओ के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा आपसी सम्बन्धो पर एक घटे से ऊपर तक वार्तालाप किया। दोनो पक्ष दूसरे युद्ध को छिड़ने से रोकने की परम आवश्यकता पर सहमत थे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के लिए शान्ति एक अनिवार्य और तत्कालिक आवश्यक आवश्यकता है। बुलगारिया के नेताओ ने भारत की तटस्थ विदेश नीति की प्रशसा की।

मैंने अपने सम्मान म दिए गए एक भोज मे, ससार के लोगो से आर्थिक असमानता की समस्या को और अधिक राजनैतिक इच्छा शक्ति से हल करने का आग्रह किया।

दूसरे दिन मैंने गिओरगी दिमित्रोव का स्मारक देखा और पुष्पहार अर्पित किया। मैं राजनयिक मिशन के उच्च अधिकारियो से भी मिला और बुलगारिया म स्थित भारतीय राजदूत द्वारा दिए गए स्वागत समारोह मे सम्मलित हुआ। इसके बाद मैंने बुलगारिया के प्रेसीडेण्ट के सम्मान मे एक रात्रि प्रीतिभोज दिया। इसके बाद के तीन दिनो की अवधि मे मुझे स्टारा जागोरा और वर्ना के अनेको दर्शनीय स्थल दिखलाए गए। मैं रविवार, 12 अक्तूबर को नई दिल्ली वापस लौट

केन्या और जाम्बिया यात्रा

नई दिल्ली से मैं केन्या और जाम्बिया की राजकीय यात्रा पर शनिवार 30 मई, 1981 को रवाना हुआ। इस बार मेरे साथ अन्य लोगो के अतिरिक्त रेलवे के केन्द्रीय मंत्री केदार पाण्डेय थे। मेरा स्वागत नरोबी मे जोमो केन्याटा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या के प्रेसीडेण्ट डेनियल अरप मोइ ने किया। हवाई अड्डे पर दिए गए अपने भाषण म मैंने कहा कि इस क्षेत्र के निरन्तर विकास के लिए पहली आवश्यकता सर्वोच्च स्तर पर दृष्टिकोणो का आपसी विनिमय करके तनाव कम करने की है। मैंने आगे कहा कि भारत और केन्या राष्ट्र निर्माण के काय मे एक दूसरे के अनुभवो से काफी लाभ उठा सकते हैं। विज्ञान और तकनालॉजी के क्षेत्र मे दोनो देशों के मध्य और अधिक सहयोग बढाने का मैंने आग्रह किया।

बाद मे, मैंने केन्या के प्रेसीडेण्ट के साथ आधे घटे म भी अधिक समय तक वार्तालाप किया। प्रेसीडेण्ट मोइ ने भारत की तकनीकी प्रगति की प्रशसा करते हुए अनुभव किया कि केन्या जैसा विकासोन्मुख देश आत्मनिभर होने के प्रयत्नो मे भारत के अनुभव से लाभ उठा सकता है।

शाम को प्रेसीडेण्ट मोइ ने मेरे सम्मान मे भोज दिया। इस अवसर पर अपने भाषण मे उन्होने सुझाव दिया कि तीसरी दुनिया के देशो को अपने स्रोतो को मानव उन्नति के लिए एकजुट करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनो देश अपने किसानो, अधिकारियो, व्यापारियो, वैज्ञानिको और अन्य लोगो को एक दूसरे के देश मे भेजेंगे ताकि दोनो देश अधिक निकट आ सकें जिससे तकनालॉजी और व्यापारिक निवेश का स्थानान्तरण हो सके। उनके भाषण के उत्तर मे, मैंने दोनो देशो के लिए विशेष महत्त्व के विभिन्न विषयो पर प्रकाश डाला। सन 1971 के सयुक्त राष्ट्र सघ (UN) के प्रस्ताव के बाद भी भारतीय सागर शांति क्षेत्र बनने से बहुत दूर है। इसके विपरीत, समुद्रतटवर्ती तथा पश्च स्थित राज्यो की घोषित इच्छाओ के विरुद्ध महाशक्तियो की सैन्यशक्तियो म वृद्धि हो रही है। मैंने ससार के विभिन्न भागो म बढ़ते हुए विश्वव्यापी आपसी विरोध के प्रति भारत की चिन्ता प्रकट की। मैंने कहा कि इस आपसी विरोध का प्रभाव भारतीय सागर और दक्षिणी पश्चिमी एशिया मे भी अनुभव किया जा सकता है। दक्षिणी अफ्रीका के स्वतत्रता आन्दोलन, नामिबिया की स्वतन्त्रता तथा रगभेद की अमानवीय प्रणाली के विरुद्ध सघर्ष करने के प्रति मैंने भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। मैंने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखडता, प्रभुसत्ता और तटस्थ स्थिति को पूरा सम्मान दिये जाने का भी समर्थन किया। जहा तक पश्चिम एशिया का सबध है मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजरायल को समस्त अरब क्षेत्र से पीछे जाने के लिए

विवश नही किया जाता, तब तक उचित और स्थायी शान्ति की कोई सम्भावना नही है।

दूसरे दिन रविवार था, मैं प्रसिद्ध मसाई मारा अभय वन देखने गया। यह नैरोबी के पश्चिम मे 270 किलोमीटर दूर स्थित है। हम वन्य जीवन को देख सके इसलिए हमारी मोटरकारो का दल सूखी लबी घास से गुजरा। शेरो, हाथियो, जेबरा, जिर्राफ, जगली भैंसो, दरियाई घोडो का पता लगाने के लिए केन्या वायु सेना का एक विमान हमारे ऊपर नीची उडान भर रहा था और ऊपर से रेडियो द्वारा हमारे मोटरकार दल को दिशा निर्देशन दे रहा था।

इस प्रकार हमने वन्य जीवन को बहुत निकट से देखा और मैंने अपने मेजवान को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे एक ही निराशा थी कि मैं चीता नही देख सका जिसके लिए वह प्रदेश पूरे विश्व म विख्यात है।

सोमवार पहली जून को मैं केन्या के स्वशासन वार्षिक मदाराका दिवस समारोह का विशेष अतिथि बना। केन्या के राष्ट्रपति ने सस्कृति, प्रतिभा और कुशलता के क्षेत्र मे भारत और केन्या के मध्य सार्थक तथा क्रियात्मक सहयोग विकसित करने का निश्चय प्रकट किया। अधिकारिक औपचारिकता की चिन्ता न करते हुए उन्होंने मुझे वहा विशाल सख्या मे उपस्थित श्रोताओ को भाषण देने के लिए मच पर आमन्त्रित किया। हमने अपने भाषणो मे नामिबिया से दक्षिणी अफ्रीका की तत्काल वापिसी की और उस देश को स्वतन्त्रता प्रदान करने की माग की। हमने यह भी दोहराया कि किस प्रकार हमारे दोनो देशो ने रग भेद की अमानवीय प्रणाली के विरुद्ध सघर्ष मे साथ साथ काम किया ताकि दक्षिणी अफ्रीका की जनता अपने मानवीय और राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर सके।

उस दिन बाद मे, भारतीय मूल के निवासियो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम मे शामिल हुआ। मैंने उनको केन्या निवासियो की महत्त्वाकाक्षाओ और इच्छाओ के साथ एकात्म होने की सलाह दी।

मैंने 2 जून, मगलवार को नैरोबी से जाम्बिया की चार दिवसीय राज्यकीय यात्रा के लिए लुसाका प्रस्थान किया। विमान पर चढने से पूर्व हवाई अड्डे पर दिए अपने सक्षिप्त भाषण मे मैंने कहा कि स्वतत्रता प्राप्ति के बाद केन्या द्वारा की गई औद्योगिक प्रगति से मैं प्रभावित हुआ हू और हमारे दो देशो के बीच बढ्ता हुआ आर्थिक और तकनीकी सहयोग दोनो के लिए लाभदायक होगा।

जाम्बिया की राजधानी पहुचने पर मेरी अगवानी वहा के प्रेसीडेण्ट केनेथ-कुआ डा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हम्फ्री मुलेम्बा, प्रधानमत्री नालूमिनो मुडिया तथा अन्य ने की।

उस दिन सरकारी वार्तालाप से पूर्व मैंने उन लोगो के सम्मान मे जिन्होंने जाम्बिया के स्वतन्त्रता सग्राम मे अपना जीवन त्याग दिया था, स्वतत्रता की मूर्ति

पर पुष्पहार अर्पित किया।

सरकारी वार्तालाप के दौरान एक घटे से भी अधिक समय तक आर्थिक विषय से सबधी विस्तृत विनिमय हुआ। मैंने प्रेसीडेण्ट कॉण्डा (Kaunda) को बताया कि दक्षिणी अफ्रीका के पिउपिल्स ओरगेनाइजेशन (स्वापो) को दिल्ली मे अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देना भारत की दक्षिणी अफ्रीका के स्वतत्रता आन्दोलन को सहायता देने की नीति के अनुरूप है। मैंने जाम्बिया के प्रेसीडेण्ट को आश्वासन दिया कि भारत उन सभी ठोस प्रस्तावो पर ध्यान देगा जो जाम्बिया कृषि और ग्रामीण विकास तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे करगा। लगभग पाच हजार भारतीय विशेषज्ञ जाम्बिया मे पहले से ही काय कर रहे हैं। उस समय भी भारतीय रेलवे मत्रालय का प्रतिनिधिमडल वहा पर यह पता लगाने के लिए है कि जाम्बिया मे रेलवे के विकास मे भारत किस प्रकार सर्वोत्तम रीति से सहायता कर सकता है। भारत और जाम्बिया आर्थिक विकास मे सहयोग के लिए एक ज्वाइट कमीशन बनायेंगे।

दूसरे दिन मैं लुसाका से लगभग 350 किलोमीटर दूर किटव की सम्पन्न ताबा खानो को देखने गया। किटवे मे भारतीय मूल के अनेको लोग हैं। नगर की लगभग सारी जनता हमारे स्वागत के लिए आई। वहां पहुचने पर अपने स्वागत तथा मध्याह्न भोज मे भाषण दते हुए मैंने दोनो देशो की आपसी और अन्तर्राष्ट्रीय विषयो की समानता के बारे मे बताया। मैंने जाम्बियावासियो को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता होगी उन्हें भारतीय विशेषज्ञ उनकी सम्पन्न धातुओ की सपत्ति का सदुपयोग करने मे सहायता देने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

भारतीय लोगो को सबोधित करते हुए मैंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी *के लिए 1979 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अफ्रीका के स्वतत्रता सेनानी नल्सन-* मडेला को प्रदान करना भारत का दक्षिणी अफ्रीका की जनता के उद्देश्य के प्रति दृढ वचनबद्धता का प्रतीक है। अनेको वर्षों पूव महात्मा गाधी द्वारा उनके लिए सघर्ष करने का मैंने वणन किया। मैंने कहा कि भारत और जाम्बिया दोनो के आदर्शों की समानता के कारण व एक दूसरे के निकट हैं, दानो देशो ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जाति भेदवाद के विरुद्ध सघष किया और वे एक ऐसे समाज की स्थापना का प्रयत्न करने मे जुटे हैं जिसमे मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण न हो और जो समानता तथा व्यक्ति की गरिमा पर आधारित हो। मैंने बताया कि गुटनिरपेक्षता की नीति विश्वशाति के लिए एक स्वतत्र और सक्रिय शक्ति है। मैंने भारतीय मूल के निवासियो से आग्रह किया कि जिस देश को उन्होंने अपना लिया है उसके साथ एकात्मकता का भाव रखें और जाम्बिया के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा मे शामिल हो, उनकी सम्पन्नता जाम्बिया की सम्पन्नता से जुडी है। यह देखकर कि उनमे से अधिकाश व्यापार अथवा सावजनिक सेवा मे लगे हैं,

मैंने सुझाव दिया कि वे कृषि भी शुरू करें क्योंकि जाम्बिया मे कृषि विकास की विशाल सभावना है।

उसी दिन स्वापो (SWAPO) के प्रेसीडेंट मुझसे भेंट करने आए।

बृहस्पतिवार 4 जून को मैं लिविंगस्टन मे 'विक्टोरिया फाल' देखने गया। यह लुसाका से 475 किलोमीटर दूर एक पयटन केन्द्र है। विक्टोरिया फाल' ससार के आश्चर्यों मे से एक माना जाता है, यहा जाम्बेसी नदी का 1600 मीटर चौडा मुहाना सीधे सौ मीटर नीचे भूमि पर गिरता है।

शुक्रवार 5 जून को प्रेसीडेण्ट कॉण्डा ने मेरे सम्मान मे रात्रि भोज दिया। मैंने इस अवसर पर कहा कि पूरे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह गहन चिन्ता का एक विषय है कि जिम्बावे मे स्वतत्रता का आलोक हो जाने के बाद भी दक्षिणी अफीका के जातिभेद से शासित शेष क्षेत्रो मे स्वतत्रता की आशाओ को बुझाने के घृणित प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैंने जाम्बिया तथा दक्षिणी अफीका का सामना करने वाले अन्य राज्यो और मुक्ति आदोलनो को भारतीय जनता और सरकार द्वारा दिये जाने वाले समथन को दोहराया ताकि दक्षिण अफीका और नामीबिया की बहुत समय से दमित जनता को स्वतत्रता और मानव अधिकारो की प्राप्ति हो सके। मैंने इस विषय म सन्तोष प्रकट किया कि दोना देश राष्ट्रमडल, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, सयुक्त राष्ट्र सघ और अन्य मचो मे घनिष्ठ सहयोग से काय कर रहे हैं, तथा आज की मुख्य आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याओ को हल करने एवम् विश्व तनाव को कम करने मे अपना योगदान कर रहे हैं। जहा तक आपसी सबधो का प्रश्न है, मैंने कहा कि भारत जाम्बिया के हित से सबधित प्रत्येक क्षेत्र उद्योग, कृषि, शिक्षा और कार्मिक प्रशिक्षण मे अपने अनुभव और विशिष्ट ज्ञान का सहयोग देने के लिए तत्पर है।

शनिवार 6 जून को मैं घर वापिस चल दिया।

इग्लैण्ड के प्रिन्स चार्ल्स का विवाहोत्सव

जून 1981 मे विदेश मत्रालय के माध्यम द्वारा मुझे 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स के विवाह मे सम्मिलित होने का निमत्रण मिला। चूकि यह निमत्रण राज्य की अध्यक्षा इग्लैंड की महारानी की ओर से सिंहासन के स्पष्ट उत्तराधिकारी अपने पुत्र के विवाह मे भारत के राष्ट्राध्यक्ष को आमत्रित करने के लिए था, मैंने सोचा कि मेरे लिये निमत्रण स्वीकार करना और विवाह मे सम्मिलित होने के लिए लन्दन जाना उचित होगा।

इसी बीच मुझे अनौपचारिक रूप से यह सूचना मिली कि प्रधानमत्री इदिरा गाधी और उनके परिवार ने विवाह मे सम्मिलित होने के लिए लन्दन जाने की तैयारिया प्रारम्भ कर दी हैं। समाचार पत्रो मे भी यह समाचार प्रकाशित हुआ। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट मे प्रधान मत्री और उनके पारिवारिक सदस्यो की प्रस्तावित यात्रा के बारे मे लिखते हुए जोडा गया था कि राष्ट्रपति को 'भी' आमत्रित किया गया है।

यह विचित्र प्रतीत होता है कि मुझे भेजे गये निमत्रण के सम्बन्ध मे मुझसे बिलकुल बातचीत नही की गई। उसे प्राप्त करने के बाद मैं पर्याप्त समय तक दिल्ली मे था। मैं जब हैदराबाद मे जून के माह मे था, यह खबर समाचार पत्रो म प्रकाशित हुई थी। तब मैंने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वह तत्काल दिल्ली जाये और सरकार के सबधित अधिकारियो द्वारा मेरे शाही विवाह मे सम्मिलित होने के लिए इग्लण्ड जाने का प्रबन्ध करवाये।

इस स्थिति मे, विदेश मत्रालय के मत्री पी०वी० नरसिंहा राव हैदराबाद मुझसे मिलने आये। उनका उद्देश्य मुझे विवाह मे शामिल न होने के लिए राजी करना था। जब उन्होने बताया कि प्रधान मत्री जाने का निश्चय कर चुकी हैं और सुझाव दिया कि मैं विवाह मे सम्मिलित होने का अपना विचार त्याग दू। मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत मे राज्य का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए दूसरे राज्याध्यक्ष द्वारा भेजे अपने पुत्र के विवाह के निमत्रण पर जाना सर्वथा उचित है। मैंने उन्हें बताया कि यह मात्र एक समारोह अवसर है जब प्रधानमत्री को इग्लण्ड की सरकार के सदस्यो तथा अन्य राज्याध्यक्षो से कोई सार्थक वार्ता करने का अवसर नही मिल पायगा। इन परिस्थितियो मे, मैंने कहा, प्रधान मत्री का यूनाइटेड किंगडम (इग्लैण्ड) जाने का वास्तव मे कोई लाभ नही है। इसके बावजूद भी यदि वह जाना चाहती हैं तो वह भी जा सकती हैं। मैंने आग बताया कि क्योंकि मैं पहले स जाने का निश्चय कर चुका था इसलिए मैंने अपने सक्रेटरी को अपनी यात्रा के आवश्यक प्रबन्ध करने लिए दिल्ली भेज दिया है।

तब मत्री ने कहा कि प्रधानमत्री और राष्ट्रपति का एक ही समय देश से बाहर रहना अनुचित होगा। मैंने उत्तर दिया कि लन्दन जाने का मेरा निर्णय निश्चित है और जब मेरे लिए निमत्रण भेजा गया था, सरकार को मुझसे सलाह लेकर मेरी इग्लैण्ड यात्रा के लिए प्रबन्ध करने चाहिए थे। यदि किसी कारणवश, यह विचारा गया था कि मुझे इग्लैण्ड नही जाना ह, प्रधान मत्री को इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने पहले कोई कार्यवाही नही की थी और काफी समय बाद विदेश मत्री मुझे जाने से रोकने का आग्रह करने आये थे। मैं इससे पूर्व कई बार इग्लण्ड हो आया था और मेरी दो या तीन दिन के लिए लन्दन जाने की कोई बडी इच्छा नही है। मुझे दिए गए निमन्त्रण को

सरकार ने जिस साधारण रीति से लिया था, उसने मुझे दृढ स्थिति लेने के लिए विवश किया। यहा यह उल्लेख करना उचित होगा कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमत्री तथा गवंनर जनरल दोनो ही इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए काफी समय तक अपने देश से बाहर रहे।

सोमवार 27 जुलाई को मैं विवाह तथा अन्य समारोहों मे शामिल होने के लिए लन्दन गया और 1 अगस्त को भारत वापिस आ गया।

मेरे लौटने के शीघ्र बाद एक समाचार पत्र मे एक पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट मेरी इग्लैण्ड यात्रा को गलत रूप मे प्रस्तुत करने के लिए प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट मे बताया गया कि मेरी यात्रा पर सरकारी कोश से 50,00,000 रुपयो की राशि व्यय हुई और राष्ट्रपति पर सरकारी अधिकारियो तथा जन प्रचार माध्यमो द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया। अपनी यात्रा की पृष्ठभूमि जानने के कारण यह स्वाभाविक था कि यह मुझे किसी के द्वारा प्रेरित की गई रिपोर्ट लगे। मैंने अनुभव किया कि इस रिपोर्ट को सही करवाना आवश्यक है। अधिकाश धन एयरइडिया के चार्टर्ड विमान पर हुआ था, जिसे मेरे लन्दन मे ठहरने के दौरान कुछ दिनो के लिए वहा रुकना स्वाभाविक था। विमान को सुरक्षा की आवश्यकताओ के अनुसार रोका गया था। मैं अपने साथ न्यूनतम कर्मचारी ले गया था। अपने स्टाफ के उच्च सदस्यो सहित मैं लन्दन के भारतीय उच्चायुक्त भवन में ठहरा था। हमारे ठहरने पर जो व्यय हुआ था वह किसी तरह से अधिक नही था। सरकार द्वारा मुझे उचित सम्मान दिया गया था और विवाह समारोह, महारानी द्वारा दिये भोज और प्रधान मत्री द्वारा दिये मध्याह्न भोज पर मेरे साथ उचित एव सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया था। यह कहना बिलकुल सच नही है कि जन प्रचार माध्यमो द्वारा मेरी उपेक्षा की गयी थी। मेरे सबध मे समाचार पत्रो, अन्य प्रचार माध्यमो मे लिखा गया था और मेरा फोटोग्राफ कुछ दैनिक पत्रो में भी प्रकाशित हुआ था। मेरा इस प्रकार लिखना अहकार प्रतीत हो सकता है परन्तु गलत तथ्य को सही लिखने के लिए मैं विवश हू।

तथापि यह विदेश मत्रालय ही था जिसने अनिच्छा से मेरी यात्रा का प्रबन्ध किया था, जैसा कि वह राष्ट्रपति की सभी विदेश यात्राओ का प्रबध करता है। अत यह उस मत्रालय का कार्य था कि वह इस बारे मे सही स्थिति प्रेस को बताये या प्रेस नोट जारी करे। तथापि उसने क्योकि ऐसा कोई कदम नही उठाया, मैंने अपने अधिकारियो को आदेश दिया कि वह तत्काल विदेश सचिव से इस सबध मे बात करें। फलस्वरूप उस मत्रालय के एक प्रवक्ता ने अपनी दैनिक प्रेस बैठको मे शीघ्र ही स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अन्य विषयो के साथ उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उक्त प्रेस रिपोर्ट म यात्रा पर हुए व्यय को बहुत अधिक बताया गया था।

इण्डोनेशिया और श्रीलका की राजकीय यात्राओ का स्थगन

अगस्त 1981 मे मेरी इण्डोनेशिया और श्रीलका की राजकीय यात्राओं की योजना उन दोनो देशो की सरकारो से सलाह लेकर बनाई गई थी, परन्तु यह बाद मे विचित्र परिस्थितियो मे स्थगित कर दी गई। इण्डोनेशिया की यात्रा के साथ ही उसके बाद मेरी श्रीलका की यात्रा होनी थी।

सन् 1981 के जून माह मे जबकि मैं हैदराबाद मे था, प्रधानमत्री ने मुझसे फोन पर बात की और मुझे अपनी श्रीलका यात्रा स्थगित करने की सलाह दी। उन्होने मुझे बताया कि वह 'ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों' पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे जाने का निणय कर चुकी हैं जो कि उसी अवधि मे है जबकि मेरी प्रस्तावित श्रीलका यात्रा है और उन्हें सलाह दी गई है कि परम्परा अनुसार राष्ट्रपति तथा प्रधानमत्री दोनो एक ही समय मे देश से बाहर नही रह सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि वह जिस परम्परा की बात कर रही हैं उसकी मुझे जानकारी नही है और हमारे लिए यह उचित नही होगा कि बहुत पहले से अतिथेय देश के साथ निश्चित की गयी यात्रा को स्थगित या रद्द कर दिया जाये। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्प न होती है जिसमे मेरा स्वदेश लौटना आवश्यक हो जाये तो मैं लका से विमान द्वारा एक घटे के अदर भारत लौट सकता हू तथा मेरे द्वारा अपने कायक्रम के अनुसार चलने मे कोई बडी आपत्ति नही उठायी जा सकती। इस पर प्रधानमत्री बोली कि तामिलनाडु के एक ससद सदस्य ने उन्हें सलाह दी है कि ऐसे समय मे जब उस देश मे तमिल विरोधी दगे हो रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा श्रीलका की यात्रा करना उचित नही होगा। मैंने उत्तर दिया कि उस ससद सदस्य को बहुत पहले से जानता हू, कि मैं उसे सही निणय लेने वाला व्यक्ति नही समझता और उसने चाहें कितने सही इरादे से सलाह दी हो हमे उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नही। तथापि प्रधानमत्री अपनी बात पर दढ दिखाई दी। अत मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली परन्तु मैंने यह भी साफ-साफ कह दिया कि यदि मेरी श्रीलका यात्रा स्थगित होती है तो मैं इण्डोनेशिया भी नहीं जाऊगा। मैंने तक दिया कि दोनो देशो की यात्रा एक समय मे ही निश्चित हुई थी और एक के बाद दूसरे देश जाना था। यदि मेरी इण्डोनेशिया की यात्रा पूव कायक्रमानुसार होती है और उसके तत्काल बाद होने वाली श्रीलका यात्रा नहीं होती, दूसरे देश को शिकायत करने का कारण मिल जायेगा। इसके अनुसार ही अगस्त 1981 मे होने वाली मेरी इण्डोनेशिया और लका की यात्रायें दोनो ही स्थगित कर दी गई।

विदेश मत्रालय ने दोनो देशा की मेरी यात्राए उस समय से बहुत पहले निश्चित की थी, जबकि प्रधानमत्री ने नरोबी सम्मेलन मे जाने का विचार भी नही किया था। नेरोबी सम्मेलन का विषय महत्त्वपूण था, वह विशेष रूप से

तकनीकी वादविवाद के उद्देश्य से था। सरकार के शीर्षस्थ अधिकारियों की उपस्थित की वहा आवश्यकता नही थी और यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि वहा केवल एक अन्य देश के शीर्षस्थ अधिकारी ही उपस्थित थे। मैं अब एक ऐसी उलझन भरी घटना का वर्णन करने जा रहा हू जो मेरी श्री लका यात्रा स्थगन के फलस्वरूप उत्पन्न हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि मैं जुलाई 1981 के अत मे लन्दन में प्रिंस चार्ल्स के विवाह समारोह में सम्मिलित होने गया था। श्रीलका के राष्ट्रपति जयवर्धने भी वहीं थे। जब हम एक दूसरे से मिले उन्होंने मेरी श्रीलका यात्रा के स्थगित किये जाने पर निराशा प्रकट की। मैंने उनको समझाया कि ऐसा इसलिए करना पडा क्योंकि प्रधानमन्त्री को भी उसी समय देश से बाहर जाना था और हम दोनो एक ही समय मे देश से बाहर नही रह सकते हैं अत यह निर्णय लिया गया कि मैं देश मे ही रहू। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र अवसर मिलते ही श्रीलका यात्रा पर आऊगा। दुर्भाग्यवश जबकि हम दोनो लन्दन म ही थे, प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने श्रीनगर मे कहा कि लका में कुछ स्थानो पर तमिल विरोधी दगों के कारण मेरी श्री लका यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कुछ समाचार पत्रो मे प्रकाशित उनका यह वक्तव्य श्रीलका के राष्ट्रपति की दृष्टि मे पडा। प्रधानमत्री द्वारा बताया गया कारण मेरे द्वारा श्रीलका के राष्ट्रपति को कहे गये कथन से इतना भिन्न था कि उसने मुझे बडी बेढगी स्थिति में डाल दिया। मैं उनसे यही कह सकता था कि जहा तक मेरा सबध है, मेरी यात्रा स्थगित होने का कारण वही है जो मैंने उन्हें पहले बताया था।

जब दोनों देशों की यात्रा स्थगित की गई थी, विदेश मत्रालय के सेक्रेटरी गोनसाल्वस को उन देशो को इसका कारण बताने के लिए भेजा गया था। वह श्रीलका के राष्ट्रपति से मिले थे और उनको बताया था कि मुझे अपनी यात्रा इसलिए स्थगित करनी पडी क्योंकि प्रधानमत्री को भी उस समय एक आवश्यक सम्मेलन में जाना था और हम दोनों एक ही समय देश से बाहर नही रह सकते। इस प्रकार सरकारी स्पष्टीकरण भी मेरे द्वारा बताये गए कारण के अनुरूप ही था।

हमारे देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि समय-समय पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते रहते हैं। क्या हम किसी मुस्लिम देश के शीर्षस्थ अधिकारी का इन दगों के आधार पर भारत यात्रा स्थगित करना उचित और सही कारण समझेंगे? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। प्रधानमत्री का बयान वास्तव मे दुर्भाग्यपूर्ण और दोनों देशो के बीच अच्छे सम्बन्ध बनानेवाला नहीं था। ठीक इसके बाद 1981 के अगस्त-अक्टूबर मे, विदेश मत्रालय ने मुझे शीघ्र नेपाल यात्रा पर जाने के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया। उनका तर्क था कि नेपाल नरेश ने इस

बात पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है कि यद्यपि वे कई बार हाल ही मे भारत आये हैं, भारत के राष्ट्रपति इसके बदले मे कभी नेपाल नही गये। मैंने विदेश मत्रालय को कहा कि इण्डोनेशिया और श्रीलका की यात्राए क्योकि पहले स्थगित कर दी गई थी, अत अब मत्रालय को तीनो देशा की यात्राआ का एक विस्तत कार्यक्रम मेरे विचाराथ बनाना चाहिए। इस सुझाव के फलस्वरूप ही मेरी दिसम्बर 1981 मे इण्डोनेशिया और नपाल की या त्राए और फरवरी 1982 मे श्री लका की यात्ता हुई।

इण्डोनेशिया और नेपाल मे

3 दिसम्बर 1981 की सुबह मैं इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर वहा की राजकीय यात्ता के लिए चल दिया। मेरे साथ धमपत्नी के अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री शकरानन्द थे। प्रधानमन्त्री उस देश की यात्रा सितम्बर 1981 मे जब वह आस्ट्रेलिया जा रही थी थोडे समय के लिए कर चुकी थी। मेरी यात्रा का उद्देश्य दानो देशो के पारम्परिक और घनिष्ठ सम्बन्धो को दृढ करना था। मुझसे पूव सन् 1976 मे भारत के राष्ट्रपति इण्डोनेशिया की यात्रा पर गए थे।

जाकार्ता मे हवाई अडडे पर हमारी अगवानी राष्ट्रपति सुहार्तो और उनकी पत्नी ने की। यद्यपि आकाश पर बादल छाये थे फिर भी हमारे स्वागत के लिए भारी सख्या मे लोग हवाई अड्डे पर उपस्थित थ। वहा पर पारपरिक स्वागत करने के बाद हमे राज्यकीय अतिथि भवन मे ले जाया गया।

मेरे सम्मान मे ऐतिहासिक 'मेरदेका महल मे दिए गए भोज मे राष्ट्रपति सुहार्तो ने कहा कि मेरी यात्ता भारत तथा इण्डोनेशिया की जनता के बीच स्थित मित्रता को प्रतिबिम्बित करती है। उन्होने इसके बाद यह बताया कि हमारा ससार विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओ से भरा है और निर्गुट आन्दोलन के सिद्धान्ता एव आदर्शों को आगे बढाना व पुन मजबूत बनाना आवश्यक है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि किस प्रकार उस समय कुछ देश निगुटता के सिद्धान्तो और आदर्शों से विचलित हो रहे हैं और किस प्रकार इसके फलस्वरूप निगुट आन्दोलन के सदस्य देशो के विचारो मे मतभेद उत्पन्न होने से एकता के लिए सकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होने सतोष प्रकट किया कि भारत, इण्डोनेशिया तथा कुछ अन्य सदस्य देश निर्गुट आन्दोलन के मूल सिद्धान्तो को साकार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होने कहा कि कुछ महीनो पूव भारत के प्रधानमत्री की यात्रा तथा मेरी

यात्रा इण्डोनेशिया और भारत के मध्य विभिन्न क्षेत्रो मे आपसी सहयोग को और अधिक बढ़ाएगी। इण्डोनेशिया मे सीमेंट और चीनी उद्योगो के निर्माण मे भारत सरकार तथा भारत के निजी क्षेत्रो की भागीदारी आर्थिक क्षेत्रो मे दोनो देशो के बढते हुए अत्यन्त सक्रिय सहयोग का ठोस उदाहरण है।

उत्तर म, मैंने कहा कि महाशक्तियो की प्रतिद्वद्विता के कारण हमारे क्षेत्र म नवीनतम अस्त्रो के भडार बनने की सभावना है। मैंने अपने पडोसी देशो मे नौसेना के जमाव की ओर सकेत करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के देशो म सार्थक विचार विमश और सहयोग ही सर्वोत्तम तरीका है जिसस इनको प्रभावहीन बनाया जा सकता है। हमारे दोनो देश अपने समीपस्थ सागरो म एक ही प्रकार की भूकेंद्रिक समस्याओ का सामना कर रहे हैं। आपसी सहायता तथा घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध मे मैंने कहा—हमारे बढत हुए द्विपक्षीय सहयाग स हमार दानो देश अब एक दूसरे से ऊची आशाए रखने के युग मे आ गए हैं। वास्तव मे हम प्रसन्न है कि आर्थिक और औद्योगिक विषयो मे एक विस्तृत समझदारी हमारे दोनो दशो के बीच आ चुकी है और हमारे विशेषज्ञो ने उन क्षेत्रो का पता लगा लिया है जिनमे आपसी सहयोग की बहुत अच्छी सभावनाए है।

दूसर दिन इण्डोनेशिया के विदेश मत्री से विभिन्न विषयो पर विचार विमश हुआ। हमारे दोनो देश कपूचिया के सम्बन्ध म मत विभिन्नता रखते थे, यह सभी को पता था। तथापि उन्होने उचित ही कहा कि कुछ प्रश्नो पर हमारा मत वैभिन्य होने से कोई हानि नही है। इसस हमार आपसी मित्रतापूण सबधो मे कोई अन्तर नही पडता।

भारतीय समुदाय के सदस्यो की एक सभा को सम्बोधित करत हुए मैंने बिगडती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत के पडोस म शीत युद्ध के पुन शुरू होने पर अपनी चिन्ता प्रकट की। हथियारो की होड को बढने से रोकने और तनाव कम करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयत्नो का उल्लेख किया। मैंने दोनो देशो के बीच वर्षों पुराने और विभिन्न सबधो का स्मरण कराया, अनेको भारतीयो ने इण्डोनेशिया को अपना घर बना लिया है और वहा की पत्र पुष्पो से युक्त सुदर सस्कृति को बनाने मे अपना योग दिया है। इस सदभ म, मैंने इण्डोनेशिया मे भारतीय लोगो की उपस्थिति और उनके द्वारा राष्ट्रीय गतिविधियो के प्रत्येक क्षेत्र मे भाग लेकर देश की उन्नति मे सहयोग करने का भी उल्लख किया।

अपने सम्मान मे आयोजित एक नागरिक अभिनन्दन म मैं उन प्रयत्नो के बारे मे बोला जो भारत और इण्डोनेशिया के मध्य सहयोग का बढान के लिए किए जा रहे थे। मैंने राष्ट्रपति सोहार्तो की भारत यात्रा को दोनो दशो के मध्य बढते हुए मित्रतापूर्ण सबधो का एक महान चिह्न बताया। मैंने इण्डोनेशिया की राजधानी जाकार्ता को शिक्षा, उद्योग और कला का एक स्पदनशील केन्द्र बताया और कहा

कि जिस गमजोशी से मेरा स्वागत और आतिथ्य हुआ है, वह इण्डोनेशिया की भारत मैत्री का एक प्रतीक है।

राष्ट्रपति सोहार्तो के साथ मैं तामान लघु इण्डोनेशिया इडाह देखने गया। यह सुदर इण्डोनशिया को अत्यन्त लघु रूप मे दिखलानेवाली स्थायी प्रदर्शनी है।

उस दिन प्रात काल मैंने कालिबाटा सैनिक समाधि पर युद्ध वीरो की स्मृति मे पुष्पमाला अर्पित की।

5 दिसम्बर को मैंने बाली द्वीप प्रस्थान किया। माग मे, मैं प्रसिद्ध बोरोबन्दर मदिर देखने के लिए जोगजाकार्ता गया। यह मदिर बौद्ध स्थापत्य और मूर्तिकला के चमत्कार हैं। ससार को सकडो वर्षों तक इनकी जानकारी नही हुई थी, परन्तु पिछली शताब्दी म इनको पुन खोज निकाला गया। मुझे इस मदिर की एक अनुकृति भेंट की गई।

बाली मे, मेरा स्वागत गवनर तथा अय सरकारी अधिकारियो ने किया। इस टापू के दृश्यो के सौदय स आकर्षित होकर दूर-दूर के पयटक यहा आते हैं, इसमे आश्चय नही। मैं भारत का दूसरा राष्ट्रपति था जिसने इस द्वीप की यात्रा की।

जब हम द्वीप के सबसे प्राचीन मदिर पुरातामानाआयून मेनगुरी, जो कि हमारे ठहरने के स्थान, पेरतामनिआ सागर तट कुटीर से 25 किलोमीटर दूर था पहुचे, आस पास के शहरो और गावो के हजारो लोग अपनी रग बिरगी पोशाकों मे मदिर म हमारा स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने मेरा इस प्रकार स्वागत किया जसे मैं एक प्राचीन हिन्दू राजा हू जो मदिर तथा द्वीप की तीथ यात्रा पर आया है।

इण्डोनेशिया के द्वीपो मे बाली एक ऐसा द्वीप है जिसमे सबसे अधिक जनसख्या है। यद्यपि यह आकार म छोटा है, इसकी जनसख्या लगभग 25 लाख है जो कि पूरी तरह हिदू है। यह जानना रुचिकर होगा कि इण्डोनेशिया की 90 प्रतिशत जनसख्या इस्लाम धम को माननेवाली है। यह लोग हिदू तथा बौद्ध धम से और कुछ प्राचीन धामिक परम्पराओ एव विश्वासो से अत्यधिक प्रभावित कहे जाते हैं।

भारत वापस आने पर मैंन हिदू सस्कृति पर कुछ पुस्तकें द्वीप के एक विश्वविद्यालय को जहा हिदू धम के बारे मे अध्ययन किया जाता है भिजवा दीं।

दूसरे दिन मैं इण्डोनेशिया स नेपाल को रवाना हुआ। मुझे जाकार्ता हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति सोहार्तो और उनकी पत्नी विदा देने आए। मैंने उन दोनो को भारत आने का आमत्रण दिया जो उन्होने स्वीकार कर लिया।

सोमवार 7 दिसम्बर को काठमाडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पहुचने पर महाराजा बीरेन्द्र और महारानी ऐश्वर्या न हमारी अगवानी की। हमारे विदेश मत्री द्वारा उस देश की यात्रा करने के दस दिन के अन्दर मेरे वहा जाने का उद्देश्य

नेपालियो को भारत की उनके प्रति सदेच्छा और स्नेह की भावना से और अधिक आश्वस्त करना था। हवाई अड्डे से हमार ठहरने के स्थान तक 6 किलोमीटर के माग पर हप से भरी हुई भीड थी।

हमार पहुचन के तत्काल बाद मैंने पत्नी सहित महाराजा और महारानी के साथ चाय-पान किया। इसके पश्चात् प्रधानमत्री सूय बहादुर थापा से हमारी बातचीत हुई। इस वार्ता म हमार दाना दशा के राजदूता और राजनयिका न हम सहायता दी। रात मे महाराजा बीरे द्र तथा महारानो एश्वर्या न हमारे सम्मान मे रात्रि भोज दिया।

इस रात्रि भोज म महाराजा बीरे द्र ने कहा कि प्राकृतिक साधना से सम्पन्न हाने के बावजूद भी भारत और नेपाल अपन को गरीबी व पज से मुक्त नही कर पाए हैं। उन्होने आगे कहा कि किसी भी दूसरे देश की भाति नेपाल सम्मान और गौरव से रहना चाहता है और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने अपना मित्रता का हाथ सभी देशा की ओर बढाया है, विशेष रूप से उनकी ओर जा उसक क्षेत्र एव पड़ोस मे हैं। उन्होने घोषित किया कि उनका देश ऐसा सहयाग चाहता है जिससे वह अपने साधना का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त कर सके। उन्होने आगे कहा कि इस प्रयास मे नेपाल का सहायता देन के लिए अनका देश आगे आए हैं, जिनमें से भारत अग्रणी है। उन्हाने बताया कि नेपाल और भारत के सबधा की विशपता आपस म अत्यधिक सद्भावना और सम्मान हाना है और इसको दृष्टि म रखते हुए उन्ह अपने वतमान सहयोग के बधनो को और अधिक मजबूत करना चाहिए। उन्हाने कहा कि कोई भी दश जिसन पचशील की महान परपराआ मे अपने को विकसित किया है, इस विश्वास का नही हो सकता कि एक की सम्पन्नता दूसरे की गरीबी के शोषण पर आधारित हो। तब उन्हाने अपन शाति क्षेत्र के विचार के बारे मे बताया और कहा कि जहा तक पूरे एशिया और दक्षिणी एशिया के समीपवर्ती स्थानो का सबध है, नेपाल जिस भी योगदान के याग्य था उसन दिया है। नपाल किसी भी मूल्य पर अपने क्षेत्र मे शान्ति रखने के लिए दृढ़ है और नपाली जनता की यह हार्दिक इच्छा है जा नपाल का एक शाति क्षेत्र की मान्यता से सबधित प्रस्ताव मे अभिव्यक्त हुई है।

मैंने अपने उत्तर मे यह स्पष्ट कर दिया कि भारत नेपाल के विकास के लिय प्रतिबद्ध है और नेपाली जनता के कल्याण के प्रति उसका ध्यान उतना ही दृढ है जितना कभी था। मैंने कहा कि यह सन्तोष का विषय है कि दाना पक्षा ने जन साधनो का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करने के लिए आपसी सहयोग का आवश्यकता का अनुभव किया है जो कि दोनो के हित म है। करनाली और पचेश्वर जसी परियोजनाओ से इस दिशा मे एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। यह सही समय है जब हमे नेपाल से बहकर भारत जाने वाली मुख्य नदियो के जल का सदुपयोग करना

चाहिये। ये परियोजनायें बाढ नियत्रण, भूमि सरक्षण, सिचाई और ऊर्जा उत्पादन मे क्षेत्रो मे अत्यधिक लाभ देने के अतिरिक्त उन क्षेत्रों के विकास का भी परिवतन स्रोत सिद्ध होगी जो इनकी सीमा से बाहर हैं। मैंने आगे कहा कि राष्ट्रीय चेतना के अनुसार प्रत्येक देश को अपनी सरकार का रूप विकसित करना होता है और यह देखना होता है कि स्थायीत्व तथा उन्नति करने का सबमे सही माग क्या होगा। मैंने नेपाल के शाति क्षेत्र प्रस्ताव का जिक्र नही किया।

दूसरे दिन पशुपतिनाथ मदिर मे पूजा करने और शहीदो की समाधि पर माल्यापण करने के बाद मैं 'सिटी हॉल' पहुचा, जहा नागरिको द्वारा स्वागत होना था। काठमाडु नगर पचायत के महापौर (चेयरमैन) प्रेम बहादुर शाक्य ने बताया कि ढाई हजार वष पूव भगवान बुद्ध का ज म नेपाल म हुआ था। बुद्ध न भारत मे ज्ञान आलोक उपलब्ध किया और भारत को अपना कायक्षेत्र चुना।

मैंने अपने उत्तर मे कहा कि भारत और नेपाल की जनता के मध्य मित्रता तथा बधुत्व के बधन सदव से चले आ रहे हैं। यह बधन भूगोल और इतिहास द्वारा निर्मित हुए हैं। भारत और नेपाल की जनता के बीच विस्तृत आपसी सम्ब ध है। दोनो देशो को मिली सास्कृतिक विरासत भी समान है और उसने भारत और नेपाल के बीच अटूट मित्रता स्थापित की है। मैंने आग बताया कि रामेश्वरम नेपाल का है और पशुपतिनाथ भारत का, तथा मैंन सुबह पशुपतिनाथ मन्दिर मे दोनो देशो तथा उसके लोगो के लिए मित्रता तथा सम्प नता की प्राथना की है। हिमालय की नदियो का सदुपयोग करने पर मैंने बल दिया। ये नदिया प्रतिवप लाखो लोगो की हानि तथा नाश करती हैं। इन्हें दोनो देशो की जनता की सम्पन्नता तथा सपत्ति के स्रोत के रूप म परिवर्तित किया जा सकता है। दोना देशो का प्रमुख काय गरीबी तथा भूख को मिटाना और लोगो के जीवन स्तर मे सुधार करना है। मैंने एकत्रित जन समुदाय को आश्वासन दिया कि दोनों देशो के बीच कभी कोई सघष नही होगा और न इससे पहले भी कभी कोई हुआ है।

नागरिक अभिनदन मे, प्रधानमत्री सूय बहादुर थापा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अनेक दूसरे देशो के राजनयिक तथा विशिष्ट नागरिक भी थे।

प्रधानमत्री ने बाद मे मेरे सम्मान मे मध्याह्न भोज दिया।

नेपाल भारत मत्री सघ ने 9 दिसम्बर को जनकपुर मे मेरे सम्मान मे एक स्वागत समारोह आयोजित किया। मैंने अपने भाषण मे कहा कि भारत युद्ध का विचार तक नही कर सकता है क्योकि सरकार तथा जनता द्वारा आर्थिक उन्नति के लिए पिछले पैंतीस वर्षों में किया गया कठोर परिश्रम का फल युद्ध होने पर उतने ही मिनटो मे नष्ट हो जायेगा। भारत यह देखने का इच्छुक है कि उसके नेपाली भाई भी किसी सघष मे न पडे। अपने तैयार किये गय भाषण से हटकर मैंने आगे कहा कि मैंन सुना है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके सम्ब ध मे दोनो देशो

के बीच विचार विमश होना चाहिये, ऐसा ही एक प्रस्ताव नेपाल को शाति क्षेत्र घोषित करने का है। मैंने महाराजा वीरेन्द्र और नेपाल के प्रधानमत्री को भारत आने का आमत्रण दिया है ताकि वे हमारे प्रधानमत्री के साथ इस प्रस्ताव पर वार्तालाप कर सकें और सभी विषयो को सन्तोषजनक रूप से हल कर सकें।

इससे पूव पोखरा मे 'एक्स सर्विस मेन' के सम्मेलन को सबोधित करते हुए मैंने कहा कि भारतीय सेना मे गोरखाओ की सेवायें अमूल्य हैं। मैंने उनके उस उच्च युद्ध कौशल, वफादारी तथा कत्तव्य भक्ति की जिसके फलस्वरूप वह भारतीय सेनाओ मे रहते हुए युद्ध करते हैं, प्रशमा की। मैंने उन्हे विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार हृदय से 'एक्स सर्विसमेन' और उन पर निभर रहने वालो का कल्याण चाहती है।

जनकपुर को जानकी की जन्मभूमि माना जाता है। यह भारतीय सीमा से आठ किलोमीटर दूर है। मैं इस नगर मे गया और जानकी मदिर मे पूजा की। जनकपुर की मेरी यात्रा का, हसी मे राजा दशरथ के बाद किसी भारतीय राज्याध्यक्ष की प्रथम यात्रा के रूप मे वणन किया गया। राजा दशरथ वहा सीता को अपने पुत्र राम की वधू के रूप मे लेने गये थे।

मैंने दस दिसम्बर को काठमाण्डू स नई दिल्ली प्रस्थान किया। मुझे विदाई देने के लिए हवाई अड्डे पर महाराजा वीरेन्द्र, महारानी ऐश्वर्या, प्रधानमत्री तथा अन्य उच्च अधिकारी आये। उडान के दौरान मौसम इतना स्वच्छ और चमकीला था कि नई दिल्ली लौटने से पूव हमे मानसरोवर और कैलास पवत की शानदार झलक देखने को मिल गयी।

लका का लावण्य

मगलवार दो फरवरी 1982 को मैं दिल्ली स लका की राजकीय यात्रा के लिए चला। मेरे साथ अन्य लोगो के अतिरिक्त मेरी पत्नी और केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मत्री वसतसाठे थे। लका की सरकार ने मुझे 4 फरवरी को अनुराधापुर मे अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रूप मे आमत्रित किया था। हम उस दिन मध्याह्न मे पहुचे। लका के राष्ट्रपति जयवधने तथा उनकी पत्नी, उनके मन्त्रिमण्डल और अन्य लोगो ने हमारी अगवानी की। मुगलवेरा नगाड बजाये गये और स्वागत के प्रतीक रूप मे शख ध्वनि की गई। हम हवाई अड्डे से बीस किलो-मीटर दूर कोलम्बो मे स्थित राष्ट्रपति भवन पहुचे। कहा जाता है कि उपनिवेश

वादी दिनो मे इस महल मे ब्रिटिश गवनर जनरल निवास करता था। कोलम्बो मे हमे यही ठहराया गया।

अपराह्न मे लका के राष्ट्रपति अनौपचारिक रूप से मिलने आये। मैंने बिना पूव कायक्रम के नगर का तथा कोलम्बो से कुछ मील दूर स्थित जयवधनपुरा का भ्रमण किया। जयवधनपुरा म एक नया शानदार भवन ससद के लिये बना है। परन्तु उसका औपचारिक रूप से उदघाटन नहीं हुआ था।

राष्ट्रपति जयवधने ने मेरे स्वागत मे एक भोज दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होने कहा कि भारत ने श्रीलका को जो सबसे बडा कोश दिया है, वह महात्मा गौतम बुद्ध का दशन है। भारत का सबसे महान पुत्र और उसका दशन आज तक श्रीलका के अधिकाश लोगो के जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत और श्रीलका की निकटता केवल एक भौगोलिक विषय नही है, यह इतिहास, सस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यो की निकटता है। यह भूत काल का सत्य था और वतमान का भी है। और तब उन्होंने कहा कि यह उचित ही है कि भारत के राष्ट्रपति उनके देश की स्वतत्रता के वार्षिकोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। लका के स्वतत्रता आन्दोलन ने अग्रेजी शासन के विरुद्ध छेडे जाने वाले भारत के ऐतिहासिक स्वाधीनता सग्राम से प्रेरणा ली थी। राष्ट्रपति ने मेरे युवा काल और उस समय मेरे द्वारा स्वतत्रता आन्दोलन मे निभायी गयी भूमिका तथा स्वतत्रता के बाद मेरे द्वारा ग्रहण किये गए अनेक पदो का उल्लेख करके अपनी सदाशयता दिखलाई। उन्होने कहा कि भारत की तरह उनके देश में उनकी पीढी का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो महात्मा गाधी, जवाहरलाल नेहरू और भारतीय स्वतत्रता सग्राम क अन्य नताओ से प्रभावित नही हुआ हो। उन्होने प्रसन्नता के साथ उन महान पुत्रो के साथ अपने सम्पक और व्यक्तिगत सम्बन्धो से उठाये गये लाभो का स्मरण किया। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार आकार और विस्तार मे भारत से भिन्न होते हुए भी श्रीलका और भारत अनेको बातो मे समान हैं जिसमे प्रजातत्र प्रणाली की सरकार के प्रति वचनबद्धता भी शामिल है। जबकि तीसरी दुनिया मे जनतत्र का प्रकाश एक के बाद दूसरे देश मे बुझता जा रहा है, लका और भारत जो कि अनेको सामाजिक और सास्कृतिक मूल्यो के सहभागी हैं अपनी स्वतत्रता और प्रजातान्त्रिक सर्वोच्च सत्ता बनाये हुए है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत और लका की अनेको समस्याओ के प्रति समान दृष्टि है। यह निर्गुट आन्दालन को सफल बनाने के समान प्रयत्नो मे प्रकट होती है। उन्होंने 1954 के कोलम्बो सम्मेलन का जिसमे उन्होने भाग लिया था स्मरण किया। वह वास्तव मे निगुट आन्दोलन को लानवाला सम्मेलन था। उसी सम्मेलन से 'निर्गुट' शब्द अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली मे आया। उन्होने आगे कहा कि भारत ने इस आन्दोलन मे सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और श्रीलका की

यह कामना है कि भारत को यह भूमिका निभाते रहना चाहिए।

उसके पश्चात बोलने के लिए मैं उठा। मैंने उन बंधनों का उल्लेख किय
हमारे दोनों देशों के इतिहास, हमारी संस्कृति और वास्तव में हमारी जीवन प
तक को प्रभावित करते हैं। मैंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे दोनों देशों ने ज
प्रणाली को अपनाया और लागू किया है, जनता जो कि अंतत सबसे शक्ति
है समय-समय पर अपनी सरकार निर्वाचित करती है और हम दोनों को व
अपने विभिन्न मत वाले समाज पर गर्व करना चाहिए। हमारे लोगों की विभि
ने हमारी संस्कृति तथा परपरा को सम्पन्न बनाया है। श्री लका की राजनै
काया भारत से आने वाले लोगों द्वारा संपन्न बनी है। इन लोगों ने देश की आ
उन्नति में सहयोग दिया है, इन्होंने देश की संपूर्ण सांस्कृतिक संपन्नता में अपना
दिया। मैंने श्रोताओं को स्मरण दिलाया कि बुद्ध की शिक्षाओं में निहित मूल
हमारे दोनों देशों को कुछ सहनशीलता, कुछ अंश तक आपसी समझदारी और
मत्तता सिखाता है जिससे हमें अपने समय की पेचीदा समस्याओं को हल कर
अधिक सरलता होती है। उसके बाद मैंने सन् 1954 के कोलम्बो सम्मेल
राष्ट्रपति जयवर्धने के संग का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्गुट आंदोलन में श्री
का योगदान अद्वितीय है। भारत तथा श्रीलंका को पहले से और अधिक घनि
के साथ निर्गुट आंदोलन के उद्देश्यों को पाने हेतु कार्य करना चाहिए, विशेष
अपने पड़ोसी देशों में। मैंने आगे कहा कि दस वर्ष से भी पूर्व यह श्रीलंका था
भारतीय सागर को शांति क्षेत्र स्वीकार करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी
क्षेत्र में रहने वाले हम लोगों के लिए सागर में महाशक्तियों की बढ़ती हुई
स्थिति स्पष्ट रूप से ऐसा विकास है जो संकट का सूचक है क्योंकि इससे दो
शक्तियों के मध्य संघर्ष छिड़ने की स्थिति में हम उसके बीच पीसे जा सकते हैं
परिस्थितियों में सभी सागर तटीय राज्यों का स्पष्ट कर्तव्य है कि वे संयुक्त
संघ के हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र मानने के प्रस्ताव की पालना पर अत्य
बल दें। क्षेत्रीय सहयोग के प्रश्न के संबंध में मैंने कहा कि यह कोई आकस्मिक
था कि इस विषय पर प्रथम बैठक श्रीलंका की राजधानी में हुई। मैंने श्रोताओं
आश्वासन दिया कि हमारी सरकार दृढ़तापूर्वक और पूरी तरह क्षेत्रीय सहयो
लिए वचनबद्ध है। इसमें हमारा यह विश्वास निहित है कि हममें से प्रत्ये
कल्याण में सभी का कल्याण निहित है और हम केवल अपने ज्ञान, साधन
विशिष्टताओं में परस्पर भागीदार बनकर अपने लोगों के उज्ज्वल भवि
निश्चित कर सकते हैं। मैंने ध्यान दिलाया कि भारत और श्रीलंका के संबंध
पड़ोसी होने का एक उदाहरण है। जिस रीति से हमने विभिन्न समस्याओं
सामना तथा हल करने का निश्चय किया वह हमारे दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय
को रचनात्मक रीति से हल करने की

किया कि हमारे दोनो देश आपसी लाभ के लिए साथ-साथ काय करते रहेंगे और राष्ट्रपति जयवधने के नेतृत्व म भारत और श्रीलका के संबधो मे निरतर अभिवृद्धि होगी।

दूसरे दिन मैं एक स्पेशल ट्रेन द्वारा अनुराधापुर गया। यह सिलवेन खनिज के गावो स गुजरती हुई 200 किलोमीटर ग अधिक दूरी की यात्रा थी। अनुराधापुर सिंहल के बौद्धवाद की प्रथम राजधानी थी। श्रीलका की अधिकाश भवन निर्माण कला के महत्वपूण स्थान अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और भारत तथा श्रीलका की युगा पुरानी मित्रता के प्रमाण हैं। मुझे सवप्रथम एक वृक्ष के समीप ले जाया गया जो कि सर्वाधिक पवित्र समझा जाता है। इसके चारो ओर रैलिंग लगी हुई थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह उत्तरी भारत के बोध गया में स्थित उस बोधि वृक्ष की शाखा स उगा है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह शाखा सम्राट अशोक की पुत्री लका लाई थी। मैंने उपवनो, झीलो और प्रभावपूण स्तूपो के इस नगर के अनेको एतिहासिक स्थाना के दशन किए।

दूसरी सुबह मैं श्री लका की स्वतत्रता के चौंतीसवें वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुआ और प्रभावोत्पादक सैनिक परेड देखी। साथ एक सास्कतिक कार्यक्रम हुआ जिसम देश की अनेको प्रसिद्ध कला मडलियो ने भाग लिया। अनुराधापुर मैं छोटे स नगर मे चारो ओर उत्सव के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे। देश के सभी भागा से लोग इस भव्य समारोह की धूमधाम को दखन क लिए एकत्रित हो गए थे।

5 फरवरी को मैं हेलीकोप्टर स केन्डी नगर गया। उडते हुए मैंने उस समय निर्मित होते विक्टोरिया वाध को दखा। केन्डी पहुचने पर मुझे रॉयल बोटनिकल गार्डन, पराडेनोवा मे एक वृक्ष का पौधा लगाने के लिए आमन्त्रित किया गया जो मैंने सहप आरोपित किया। उसके पश्चात् मेरा नागरिक अभिनदन किया गया। इसके बाद भारतीय मूल के निवासियो द्वारा मेरा तथा पत्नी का 'क्वीन्स होटल' म स्वागत हुआ। केन्डी उस स्थान के रूप मे प्रसिद्ध है जहा बुद्ध का दात सुरक्षित रखा गया है। अपराह्न मे श्री लका के प्रेसीडेण्ट के साथ मैंने पवित्र पुरातन चिह्न के विशेष दशन के लिए डालाडा मालिगावा गया। (देश भ्रमण पर आने वाले महत्वपूण राज्याध्यक्षो के लिए पुरातन चिह्न का विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है।) एक तीथयात्री के रूप मे अपनी श्रद्धाजलि बुद्ध को भेंट करते हुए मुझ प्रसन्नता हुई और मैंने बौद्धमत तथा हिन्दूमत के बीच स्थित सबधो का उल्लेख करते हुए एक सक्षिप्त भाषण दिया। शाम को मैं हेलीकोप्टर स कोलम्बो लौट आया।

6 फरवरी को भारत श्रीलका व्यापार, सास्कतिक और मैत्री सघ द्वारा मेरे

सम्मान मे स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने कहा कि भारत और श्रीलका दोनो अपने आर्थिक विकास के लिए अतर्राष्ट्रीय शाति की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं और इसलिए उन्हें यह सुरक्षित करने के लिए कि वे हिन्द महासागर मे उत्पन्न होने वाले किसी सघर्ष या तनाव के शिकार नही बने, साथ-साथ कार्य करना चाहिए। मैंने आगे कहा कि हिन्द महासागर को वास्तव मे शाति क्षेत्र के रूप मे मान्यता मिलनी चाहिए।

साथ कोलम्बो कार्पोरेशन, उसके सदस्यो और मेयर द्वारा दिए गए नागरिक अभिनदन समारोह में बोलते हुए मैंने, घोषणा की कि भारत जितना तकनीकी ज्ञान देने की क्षमता रखता है, उसे लका को देने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक रहेगा।

उसी सध्या को बाद में राष्ट्रपति जयवर्धने और उनकी पत्नी के साथ मैंने सपत्नीक नवम महापेराहेरा देखा। एक जुलूस निकाला गया जिसमे रथ पर बुद्ध की मूर्ति थी, इसमे देश के सैकडो नर्तको ने भाग लिया।

तत्पश्चात मैंने श्रीलका के राष्ट्रपति के सम्मान मे एक प्रीतिभोज होटल ओबेराय मे दिया। वास्तव मे यह मेरी लका की राजकीय यात्रा की समाप्ति का चिह्न था। सात फरवरी की सुबह हमने दिल्ली प्रस्थान किया।

मेरी श्रीलका की यात्रा से उत्पन्न दो मुख्य बातें है जिनका यहा वर्णन करना आवश्यक है।

प्रथम श्रीलका द्वारा अपनाई गई यह परपरा है कि वहा देश मे राष्ट्रीय दिवस समारोह क्रमश विभिन्न स्थानो पर होता है। ऐसा करने के पीछे यह विचार है कि विभिन्न स्थानो की जनता को एक बार परेड देखने को मिल जाती है और उन्हें समारोहो के कार्यक्रमो म सम्मिलित होने के अवसर मिल जाते हैं।

श्रीलका एक छोटा देश है और राजधानी कोलम्बो देश के दूसरे छोर पर स्थित भाग से भी अधिक दूर नही है। इसके बावजूद वहा की सरकार ने ऐसी परपरा का विकास किया है जिससे जनता को राष्ट्रीय दिवस समारोह देखने और उसमे शामिल होने का सतोष प्राप्त होता है। भारत श्रीलका से कई गुना विशाल देश है, राजधानी किसी भी दृष्टि से केन्द्र म स्थित नही है। देश के अनेका भागो के निवासियो को राजधानी देखने के लिए पर्याप्त धन और समय खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार राजधानी मे आयोजित होने वाले गणतत्र दिवस समारोह की शोभा और दूर दूर तक प्रसिद्ध प्रदर्शन को देखने का आनद हमारी जनता के अधिकाश लोगों को नही मिल पाता। केवल वे लोग जो दिल्ली अथवा उसके आसपास रहते

हैं, साल-दर-साल यह समारोह देखने की सुख सुविधा का लाभ उठाते हैं। निस्सदेह विभिन्न राज्यो मे भी गणतत्र दिवस समारोह आयोजित होते हैं परन्तु उनमे वह शान और शैली नही होती जो दिल्ली के समारोह में होती है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से यह समारोह विभिन्न राज्यों म क्रमश आयोजित किया जा सकता है जिससे देश के भिन्न भिन्न स्थानो के निवासियो को इसे देखने का अवसर मिल सके और राष्ट्रीय उत्सव मे शामिल होने की भावना उत्पन्न हो सके। यह एक महत्वहीन विषय प्रतीत हो सकता है परन्तु इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य लोगो मे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने मे अवश्य सहायता देते हैं।

दूसरा विषय मेरे विचार से श्रीलका सरकार द्वारा भाषा के प्रश्न को महत्त्व देना है। मैंने पाया कि अनुराधापुर के सास्कृतिक प्रदशन म सभी घोषणायें तीन भाषाओ—अग्रेजी, सिंहली और तमिल मे हो रही थी। इसी प्रकार सरकार द्वारा मेरी यात्रा के बारे मे जारी किये गये निर्देश और दूसरे पर्चे आदि सभी, जिन्हें देखने का अवसर मुझे मिला तीनो भाषाओ मे मुद्रित थे। देश के किसी भी भाषा समूह की उपेक्षा नही की गयी थी। इससे मैं अपने देश के तीन भाषा फामूले के बारे मे घोषित उदासीनता के बारे मे विचार करने लगा। काफी वादविवाद के बाद, जवाहर लाल नेहरू के समय म ही हमने निणय किया था कि बच्चो को उनकी मात भाषा, हिन्दी और अग्रेजी पढाई जानी चाहिए। हिन्दी भाषी राज्यों के बच्चों जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है, से आशा की गई थी कि वे एक दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा सीखेंगे। दुर्भाग्यवश यह फामूला कार्यान्वित नही हुआ। हिन्दी भाषी क्षेत्रो मे बच्चे दसवी कक्षा या उससे ऊपर तक भी केवल हिन्दी और थोडी सी अग्रेजी सीखते हैं अथवा अग्रेजी बिलकुल नही सीखते। वे उन केन्द्रीय सेवाओ की प्रतियोगिताओ मे जिनम दसवी कक्षा न्यूनतम शिक्षा योग्यता है, बैठ सकते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी राज्यो के बच्चो को हिन्दी और अग्रेजी सीखनी पडती है, जिनमे से एक भी उनकी मातृ भाषा नही। वे हिन्दी भाषी राज्यो के उम्मीदवारो से समान धरातल पर प्रतियोगिता नही कर सकते। तीन भाषाई फामूले का पूरे देश म सफल क्रियान्वयन, हिन्दी को प्रयोग मे लाने की कपट पूण कोशिश किए बिना शासन म अग्रेजी के उपयोग को जारी रखना, और केन्द्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओ मे सभी स्तरों पर भर्ती होने के अवसरो की पूण समानता होना राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार का कोई सदेह होने की भावना नही होनी चाहिए कि हिन्दी बोलने वाले लोगो को भर्ती होने के स्तर पर कोई सुविधा होती है। इस भावना के लिए भी कोई गुजाइश नहीं होनी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार शासन म अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी बहुत शीघ्रता से ला रही है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा माता-पिता की इस इच्छा पूर्ति को कि उनके बच्चे अग्रेजी का व्यवहार करने का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले, मान्यता न देना भी बुद्धिमानी नही होगी। यह इच्छा किसी मिथ्या अभिमान के कारण नही वरन इस वास्तविकता के कारण है कि अग्रजी का ज्ञान व्यक्ति को देश या विदेश मे नौकरी पाने मे अधिक सहायक होता है। भाषाई समस्या का कल्पनाहीन रीति से हल करने के दूरगामी परिणाम हो सकते है और अतत यह देश की अखडता के लिए सकट उत्पन्न कर सकती है।

आयरलैंड और यूगोस्लाविया मे

3 मई, 1982 को मैं एक सप्ताह के लिए आयरलैंड और यूगोस्लाविया के सरकारी दौरे पर गया। मेरे साथ जानेवाले अन्य व्यक्तियो के साथ जहाजरानी मत्री वीरेन्द्र पाटिल भी थे। आयरलैंड के सरकारी दौरे पर जानेवाला मैं दूसरा भारतीय राष्ट्रपति था। मेरे से पहले सितम्बर, 1964 म डा० राधाकृष्णन् जा चुके थे। जब हमारा विमान आयरलैंड की सीमा पर पहुचा तो वहा की वायुसेना के विमानो ने हमे सरक्षण दिया। हवाई अडडे पर उतरने पर आयरलैंड के राष्ट्रपति डा० पट्रिक हिलेरी ने हमारा स्वागत किया। प्रधानमत्री चार्ल्स हेगे मत्रिमडल के अन्य सदस्य तथा डब्लिन नगर के मेयर भी वहा मौजूद थे। औपचारिक समारोह के बाद मैं आयरलैंड के राष्ट्रपति के साथ नगर की खूबसूरत सडकों पर से एक लम्बे चौडे उद्यान मे स्थित राष्ट्रपति के महल की ओर चला। उद्यान मे मुझे एक पौधा लगाने के लिए आमत्रित किया गया। आयरलैंड के राष्ट्रपति के साथ कुछ समय बिताने के बाद मैं अपने सहकारी दल के साथ बकले होटल चला गया, जहा हमारे ठहरने का प्रबध किया गया था।

आयरलैंड के राष्ट्रपति ने उसी शाम मेरे सम्मान मे सहभोज का आयोजन किया। उसमे केवल उच्च अधिकारी ही नही, भारी मात्रा म वे आयरलैंड वासी भी थे जो किसी समय भारत मे रहकर विभिन्न क्षेत्रा मे काम करते रहे थे। उनसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। उन लोगो में एक मिशनरी दम्पति भी थे जिन्होने 25 वष से अधिक मेरे प्रदेश आध्र क्षेत्र मे काय किया था। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने अपने भाषण म दोनों देशा के युगा पुराने सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारे दोनो देशो के लोग स्वतत्रता, लोकतत्र और पूर्ण आजादी मे आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा कि आयरलैंड सदा से भारत से मैत्री बनाये रखेगा। सत्कार के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया और दोनो दशो के बीच ऐतिहासिक और भावना

मैत्रीपूर्ण सबधो का उल्लेख किया और कहा कि हमारे दोनो देशो ने लगभग ही समय तक औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए सघर्ष किया है। मैंने इस का स्मरण कराया कि स्वतत्रता के लिए सभी स्थानो पर सघर्ष करनेवालो के किस प्रकार आयरलैंड के देशभक्त एमन दी वेलरा प्रेरणा के स्रोत रहे। मैंने र्राष्ट्रीय स्थिति और आपसी सहयोग की प्रक्रिया के बिगडने के सबध मे चिंता : की। मैंने हिदमहासागर मे तनाव बढने की स्थिति पर भी प्रकाश डाला और आशा प्रकट की कि अन्य देश युद्ध की सभावनाओ को दूर करने और शाति क्षेत्र ढने मे सहयोग देंगे। इसके साथ मैंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सबध ो प्रकाश डाला। अन्तत मैंने इस बात पर विश्वास प्रकट किया कि भारत आयरलैंड इन महत्वपूर्ण विषयो पर सहयोग करते रहेंगे।

अगले दिन शहीदो के स्मारक पर जाने का मेरा कार्यक्रम था। वहा आयरलैंड ग्रामत्री ने मेरी अगवानी की। मैंने आयरलैंड के देश भक्तो, जि ोने देश की त्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, के सम्मान में पुष्पाजलि अर्पित

मेरा दूसरा कार्यक्रम वहा के चेस्टर बेंटी पुस्तकालय का दौरा था। मेरे साथ रलैंड की शिक्षामत्री थी। वह एक महिला ही थी। उस समय भारत मे भी एक ा ही शिक्षामत्री थी। कहा जाता है कि प्राचीन पाडुलिपियो का यह बहुत ही पूर्ण सग्रह है। इसलिए भी यह अदभुत है कि यह सारा सग्रह एक अकेले ा ने ही किया है।

मेरे सम्मान में दोपहर का भोज आयरलैंड के प्रधानमत्री चार्ल्स हागी ने जित किया। उस अवसर पर भाषण करते हुए आयरलड के प्रधानमत्री ने आदोलन की आधारशिला रखनेवाले सदस्य के रूप मे भारत की प्रशसा की कहा कि उनका देश भी न्यायपूर्ण अतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के में भारत की सहायता के लिए तयार है। उन्होंने कहा कि आयरलड के नेता भारत के राष्ट्रपति ने विश्वव्यापी ज्वलत विषयो पर जो विचार किया है दोनो के एक से विचार हैं। अपने उत्तर मे मैंने आयरलैंड और भारत के और भारतीय स्वतत्रता आदोलन मे औपनिवेशिक शासन के प्रति सघर्ष में लैंड के प्रभाव का उल्लेख किया। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भाषा जाननेवाले भारतीयो को बर्नार्ड शॉ, जेम्सजायस, सैमुअलबेकर तथा आयरिश लेखको की पुस्तको मे बहुत रुचि है। मैंने इस बात का उल्लेख किया तत्र होने पर भारत के सामने कितनी कठिनाइया थी, जिन्हें हमने किस सुनियोजित ढग से हल किया और उन्नति की। मैंने अपने देश को स्वतत्रता, : और लोकतत्र की दिशा मे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लक्ष्य को ग।

1 ससद के सेन्ट्रल हॉल म दिनाक 25 जलाई 1977 को नीलम सजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुये भारत के चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग

2 राष्ट्रपति भवन दिल्ली म चरण सिंह को प्रधानमत्री पद की शपथ दिलाते हये

3 एम हिदायतुल्ला को उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाते हुये

4 14 जनवरी 1980 को राष्ट्रपति भवन में इंदिरा गाधी को प्रधानमत्री पद की शपथ दिलाते हुये

5 23 जनवरी 1980 को ससद के सयुक्त अधिवेशन मे भापण देने के लिये जाते हुये

6 मदर टरसा का राष्ट्रपति भवन म भारत रत्न की उपाधि प्रदान करत हुय।

7 ऑल इंडिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसज म खान अब्दुल गफ्फार खाँ से भट के कुछ मधर क्षण

8 मास्को से विदा होते समय सावियत रूस के सर्वोच्च नेताओ क साथ

9 राष्टपति भवन मे ब्रिटेन की प्रधानमत्री श्रीमती मार्गरेट थेचर से भेट करते हुये

10 लुसाका में जाम्बिया के केनेथ कोंडा के सम्मान मे आयोजित भोज मे

11 अपनी पोती को गोद मे लेकर खिलाते हुये

12 नीलकठ पर्वत चोटिया की पृष्ठ भूमि में अपने परिवार सहित बद्रीनाथ यात्रा के दौरान।

13 अनन्तपुर जिले के अपने गाँव इलूरू में माँ और पत्नी के साथ

14 महाबलिपुरम मे सागर तट पर

(सभी फोटो टी अशोक के सौजन्य से)

आयरलैंड निवास मे अन्य कायक्रमो के साथ आयरलैंड विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षात समारोह का आयोजन करके मुझे डा० ऑफ लॉ की जो मानद डिग्री दी गई उसका उल्लेख भी करना चाहूगा। इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करनेवाला मैं तीसरी भारतीय था। मुझसे पहले जवाहरलाल नेहरू और डा० राधाकृष्णन को यह सम्मान दिया जा चुका था। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई की इन दो महान् व्यक्तियो के समान मुझे भी सम्मानित किया गया। इस सक्षिप्त समारोह मे आयरलैंड के राष्ट्रपति भी उपस्थित थे।

डब्लिन के मेयर तथा नगरपालिका के सदस्यो न दो शताब्दियो से चले आ रहे मेयर के सरकारी आवास मे मेरा स्वागत किया।

मेरा एक और कायक्रम वहा के वसतोत्सव मे शामिल होना था जिसे डब्लिन की रॉयल सोसायटी प्रतिवष आयोजित करती है। यह समारोह वहा के लोगो मे बहुत लोकप्रिय है। जिस दिन प्रात काल मैं वहा गया, हजारो नर-नारी और बच्चे वहा घूम रहे थे और विभिन्न दुकानो पर चक्कर लगाते हुए आनन्द ले रहे थे। इस समारोह मे मुख्य रूप से कृषि, बागवानी और पशुओ के विकास पर बल दिया गया था। इस भीड भडके मे मैंने बहुत आनन्द अनुभव किया। हमारा यह दौ समाज के अतीत और वतमान के महत्वपूण व्यक्तियो के साथ एक सहभोज के साथ समाप्त हुआ।

आयरलैंड के दौरे के पहले तीन दिन डब्लिन नगर मे बीते। मेरे दौरे के अतिम दिन अर्थात 9 मई को यूगोस्लाविया से रवाना होने से पहले मुझे आयरलैंड के सुदर और शात देहात को देखने का अवसर भी मिला। मुझे बोयन घाटी के निकट न्यू ग्रेज नामक स्थान पर पुरातत्व सबधी खुदाई देखने का अवसर भी मिला। यह स्थान डब्लिन से मोटर द्वारा एक घटे की दूरी पर है। मैं ऐतिहासिक महत्व के सुप्रसिद्ध स्थान शिया महल भी गया। शिया पहाडी यहा स निकट ही है और प्राय जिसके सबध मे कहा जाता है कि सत पट्रिक ने पाचवी शताब्दी मे ईसाई मत की घोषणा इसी पहाडी से की थी। महत्वपूण स्थानो को देखने के अतिरिक्त मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे आयरिश मेहमान नवाजो ने उस दिन प्रात काल का जो कायक्रम बनाया था। वह बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था जिससे मुझे डब्लिन के आसपास के सुदर देहात को देखने का अवसर मिला।

मेरे इस दौरे को स्थानीय समाचारपत्रो ने प्रमुख स्थान दिया। वहा के सबसे अधिक छपनेवाल दैनिक समाचार पत्र 'आयरिश टाइम्स' ने भारत और आयरलैंड क आपसी सदभावनापूण सबधो पर सम्पादकीय लिखा।

बृहस्पतिवार 6 मई की दोपहर बाद मैं बेलग्राड पहुचा। वहा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा उनके उच्च अधिकारी साथियो ने हमारा स्वागत किया। उसके बाद मैं उस व्हाइट पैलेस के लिए चला जहा किसी समय माशल टीटो रहा करते

थे। यूगोस्लाविया दौरे का यह समय बहुत उपयुक्त था क्योंकि बसत का आगमन हो चुका था। हमारी यात्रा के अतिम दिन को छोडकर मौसम बहुत अच्छा रहा और धूप निकली हुई थी। व्हाइट पैलेस के आसपास का दृश्य भी अच्छा था और वृक्ष, पौधे अपनी पूरी बहार मे थे।

यूगोस्लाविया पहुचने के फौरन बाद मैं माशल टीटो की समाधि पर पुष्पाजलि अर्पित करने गया। मेरा दूसरा कायक्रम यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा उनके सहायको के साथ अतर्राष्ट्रीय स्थिति और गुटनिरपेक्ष आदोलन की भूमिका के सबध में विचार करना था। उसके बाद यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने मेरे सम्मान मे एक भोज का आयोजन किया। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने वहा भाषण मे कहा कि फौरन ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहिए कि तटस्थ राष्ट्रो के आपसी सघष समाप्त हो और उनकी समस्याओ का समाधान पूणत शातिपूण ढग से करने के उपाय खोजे जायें। उन्होने विशेष रूप से ईरान और इराक के आपसी युद्ध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आगामी सितम्बर मास मे बगदाद मे होनेवाले तटस्थ राष्ट्रो के शिखर सम्मेलन को ध्यान म रखते हुए यह युद्ध फौरन बद होना चाहिए। मैंने अपने उत्तर मे उनकी बात से सहमति प्रकट की कि तटस्थ राष्ट्रो के आपसी सघष समाप्त होने चाहिए। मैंने अपनी बात को अधिक जोर देते हुए कहा कि किसी भी समझौते के लिए पूणत शातिपूण बातचीत होनी चाहिए। मैंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि विभिन्न शक्ति गुटो म जो अतर्राष्ट्रीय तनाव और सघष बढ रहा है इससे विश्व को आणविक सवनाश का खतरा है। इसलिए मैं चाहता हू कि तटस्थ राष्ट्रो के नेता सद्‌बुद्धि का प्रचार करें। मैंने यह स्पष्ट किया कि तटस्थ आदोलन को प्रारम्भ करनेवाले भारत और यूगोस्लाविया ने सदैव आपसी सहयोग और सदभावना बढाने का पक्ष लिया है। तटस्थ राष्ट्रो का यह कत्तव्य हो जाता है कि वे विकसित और विकासशील देशो को आपस म एक-दूसरे पर आश्रित रहने का विश्वास दिलायें। मैंने वस्तुओ और सेवाओ के आदान प्रदान के सबध मे स्पष्ट और पक्षपातपूण भेदभाव का उल्लेख किया और यह कहा कि इस प्रकार की बातें मानव समाज की शाति और प्रगति के माग म रुकावट हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू और माशल टीटो के आपसी सहयोग और तटस्थ आदोलन के निर्माण मे उनके योगदान का स्मरण करवाया। मैंने स्पष्ट कहा कि भारत और यूगोस्लाविया मे उनके बाद के नेताओ ने भी दोनो देशो की मैत्री के उन सूत्रो को दृढ किया है। मैंने यूगोस्लाविया की इस बात के लिए प्रशसा की कि उस ने आर्थिक और औद्योगिक सस्थानो म काम करनेवालो को भागीदारी की भावना और उनके द्वारा प्रबध सभालने की व्यवस्था की है। मैंने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया कि राष्ट्रपति टीटो ने अपने पीछे जो एक समृद्ध परम्परा छोडी है वह यूगोस्लाविया के नेताओ और जनता का हर क्षेत्र मे माग दशन करती रहेगी।

अगले दिन प्रात काल मैं माउट अवाला पर अज्ञात सैनिको की समाधि पर फूल चढाने गया। यह स्थान बेलग्राड से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। यह समाधि पहाडी की चोटी पर स्थित है और वहा से नगर का सुदर दृश्य देखा जा सकता है। उसके बाद बेलग्राड के मेयर तथा नगर-सभा ने मेरा नागरिक अभिनन्दन किया और नगर का एक स्वण चिह्न भेट किया। यह मेरे लिए एक और अवसर था जब मैंने माशल टीटो और जवाहरलाल नेहरू के तटस्थ राष्ट्रो और विश्व शाति के लिए किये गये योगदान की प्रशसा की। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि 1950 मे माशल टीटो जब भारत के दौरे पर आये थे, तो हैदराबाद मे आध्र प्रदेश के मुख्यमत्री के रूप मे मैंने उनकी अगवानी की थी और मैंने उस प्रसन्नता का भी जिक्र किया कि यूगोस्लाविया के पहले दौरे मे मैं माशल टीटो से मिला भी था। मैंने बेलग्राड और नई दिल्ली नगरो की समानता का भी जिक्र किया जहा पर पुरातन ऐतिहासिक स्मारक और आधुनिक भवन साथ-साथ दिखाई देते हैं जिनसे हमे एक नजर मे सदिया पुरानी ऐतिहासिक परम्परा का ज्ञान होता है। मैंने द्वितीय विश्व युद्ध मे बेलग्राड मे हुए विनाश का भी जिक्र किया और कहा कि उसका आधुनिक राजधानी के रूप मे पुनर्निर्माण यहा के निवासियों के उत्साह और दृढ धारणा का प्रतीक है।

मैंने नगर के फ्रैडशिप पार्क मे लाल ओक वृक्ष का पौधा भी लगाया। यह पार्क 14 हैक्टेयर मे फैला हुआ है। विभिन्न देशो के महत्वपूण व्यक्तियो ने यहा वृक्षारोपण किया है। शाम के समय यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति से और आगे विचार विमश हुआ और रात्रि भोज का आयोजन किया गया।

8 मई की प्रात काल मे बेलग्राड से बोसनिया हर्जेगोविना गणतत्र की राजधानी सेराजीवो के लिए चला। राष्ट्रपति ने वहा पहुचने पर मेरी अगवानी की। सेराजीवो अपने शीतकालीन खेलो के लिए प्रसिद्ध है और 1984 के ओलिम्पिक के शीत ऋतु से सबधित खेल वहा आयोजित होने वाले थे। मुझे वहा महत्वपूण इजीनियरिंग से सबधित उद्योग दिखाए गए, जहा बहुत ही सूक्ष्म चीजो का निर्माण रूस तथा अन्य देशो को निर्यात के लिए किया जाता है।

यहा के विश्वविद्यालय ने मुझे डॉ० ऑफ साइस की मानद डिग्री दी। कुछ समय पूव यह सम्मान माशल टीटो को दिया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि वही सम्मान जो एक सुप्रसिद्ध देश भक्त स्वतत्रता सेनानी और विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ को दिया गया था, उससे मुझे भी सम्मानित किया गया। जिस सभा मे यह समारोह हुआ वह बहुत ही बढिया ढग से सज्जित था। इस अवसर पर भाषण करते हुए मैंने भारत तथा अन्य विकासशील देशो से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र मे प्रतिभा-पलायन का उल्लेख किया। मैंने यूगोस्लाविया की इस बात के लिए प्रशसा की कि उसने शिक्षा प्रक्रिया को समाजवादी विकास की व्यापक प्रक्रिया

से जोड दिया है। मैंने यूगोस्लाविया की प्रारभिक शिक्षा व्यवस्था की भी प्रशसा की जिससे बच्चा मे अपने कत्तव्य और दायित्व को समझने की भावना उत्पन्न होती है। यह बात अनुकरणीय है। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वतमान की यह महत्वपूण आवश्यक्ता है कि प्रत्येक व्यक्ति और देश को विश्वभर म फले विज्ञान सबधी उन्नत ज्ञान का पूण लाभ प्राप्त हो।

मैंने राष्ट्रपति तथा वहा के अय महत्वपूण प्रमुख अधिकारियो से अनक विषयो पर विचार विमर्श किया। उसके बाद मेरे सम्मान मे दोपहर के भोज का आयोजन किया गया।

दोपहर बाद मैं वहा के क्रातिकारियो से सबधित सुप्रसिद्ध भवन गया। वहा आस्ट्रो हगेरियन शासन के विरुद्ध प्रयुक्त की गई वस्तुओ का प्रदर्शन किया गया था। प्रथम विश्वयुद्ध के मूल मे यहा की घटनाए थी। उसके भवन के पास ही बनी एक सौ साल पुरानी मस्जिद भी मैंने देखी। नगर की सडको पर दोनो ओर प्रसन्न भीड खडी थी। इस भीड से यह स्पष्ट दिखाई देता था कि यह पूव और पश्चिम का एक सुदर मिश्रण है। उसके बाद हम एड्रियाटिक समुद्र तट पर बसे क्रोशिया गणतत्र के स्पलित नगर के लिए विमान से रवाना हुए।

स्पलित मे, मैं समुद्रतट स्थित उस मकान मे गया जहा प्राय माशल टीटो ठहरा करते थे। स्पलित समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। नगर म अय दशनीय स्थान भी हैं। इनमे यूगोस्लाविया के सुप्रसिद्ध मूतिकार मेसतरोवीक द्वारा बनाई गई मूतियो की प्रदशनी और एक पुरातत्त्व सग्रहालय हैं।

अगले दिन नाव द्वारा निकट स्थित व्रागिर द्वीप नगर मे जाने का कायक्रम था परतु बादलो और वर्षा के कारण इसे छोड देना पडा। शाम को क्रोशियन राष्ट्रपति जिन्होंने माशल टीटो के साथ एकजुट होकर आक्राताओ के विरुद्ध सघष किया था—ने मेरे सम्मान मे भोज का आयोजन किया। दोनो ओर से माशल टीटो और पडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धाजलि अर्पित की गई जिनकी दूर दृष्टि और कूटनीति के कारण गुटनिरपेक्ष आदोलन की आधारशिला रखी जा सकी थी।

सोमवार 10 मई को मैं भारत के लिए रवाना हुआ।

10

सार्वजनिक समारोह
कुछ विचारणीय प्रश्न

मैं अगस्त 1981 के अन्त की अवधि मे, सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति मे 31 अक्तूबर को 'सिटीजन काउंसिल' नामक एक सस्था द्वारा आयोजित समारोह मे भाग लेने तथा राष्ट्रीय एकता पर सरदार पटेल मेमोरिल लेक्चर देने के लिए सहमत हो गया। 'सिटीजन काउन्सिल' एक विशाल सस्था थी जिसमे दिल्ली के अनेकों प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे। 31 अक्तूबर का होने वाला समारोह 'सिटीजन काउन्सिल' के एक छोटे से समूह 'सेलीब्रेशन कमेटी, सरदार पटेल जयन्ती समारोह' द्वारा आयोजित किया जाने वाला था। इसमे धमवीर, कवर लाल गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति थे। धमवीर जैसा कि सभी जानते है 'इडियन सिविल सर्विस' के एक विशिष्ट सदस्य थे और अपनी लम्बी सेवा अवधि में वे अनेकों महत्वपूण पदो, केबिनेट सेक्रेटरी के पद पर भी रहे थ। वह उस समय पश्चिमी बगाल के (गवनर) राज्यपाल थे जबकि राज्य एक राजनैतिक उथल पुथल से गुजर रहा था और नाजुक सवैधानिक एवम् राजनैतिक विषयो पर निणय लेने थे। वह राज्य उनके राज्यपाल की अवधि के एक भाग म राष्ट्रपति शासन के अधीन था। कवरलाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थ और यह मैं जानता था।

अक्तूबर के मध्य या उसके आस पास एक सर्वोच्च सरकारी अधिकारी ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से टेलीफोन पर बात की और जानकारी क लिए पूछा कि क्या मैं उक्त समारोह मे सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गया हू। उसने आगे कहा कि समारोह मे मेरे शामिल होने से उत्पन्न राजनैतिक उलझनो से सरकारी क्षेत्रो म कुछ अप्रसन्नता है। मेरे प्रिंसिपल सक्रेटरी ने उसको बताया कि मैंने लगभग दो माह पूव उक्त समारोह म शामिल होना स्वीकार किया था, कि आयोजको के राजनैतिक पार्टियो से सम्बन्ध राष्ट्रपति को समारोह म जाने से रोकने का कारण नही बनने चाहिए, कि समारोह का आयोजन राष्ट्र के एक विशिष्ट पुत्र सरदार पटेल के सम्मान मे हो रहा है कि धमवीर जैसे सेवा निवृत्त केबिनेट सेक्रेटरी

और पूववर्ती राज्यपाल द्वारा समारोह को दिये जाने वाले सहयोग से यह पता चलता है कि समारोह राष्ट्रपति के स्तर योग्य होगा, और राष्ट्रपति के उसमे सम्मिलित होने से किसी प्रकार की आलोचना नही होनी चाहिए। उसने आगे कहा कि राष्ट्रपति कभी ऐसे समारोह मे सम्मिलित होने को सहमत नही होंगे जब तक कि उन्हे यह विश्वास न हो कि इसस उनके पद की गरिमा कम नही होगी।

कुछ दिनो बाद केबिनेट मिनिस्टर पी० शिवशकर ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उक्त विषय पर बात चीत की। पहले अवसर की भाति उनको भी सारी पष्ठ भूमि समझा दी गई। उनको सूचित किया गया कि क्योंकि यह कार्यक्रम लगभग दो माह पूव स्वीकार किया गया था, इस सबध मे इससे अधिक कहने के लिए कुछ नही था। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बाद मे मुझे सूचित किया कि केबिनट मिनिस्टर ने इस विषय पर अपनी आपत्ति तथा अप्रसन्नता प्रकट की है।

मैं नही जानता कि किसके कहने पर पहले उच्च अधिकारी ने और बाद मे केबिनेट मिनिस्टर ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुझे समारोह में भाग न लेने की कोशिश करने के स्पष्ट उद्देश्य स बातें की। यदि किसी न यह विचारा था कि मुझे अपने कायक्रम को रद्द करने के लिए मनाया जा सकता है तो वह गलती कर रहा था। मैं नही सोचता कि इस विषय मे प्रधानमत्री किसी प्रकार से सबधित रही हो। यह विचार जरूर उनकी व्यवस्था के किसी अत्यधिक द्वेषपूण कायकर्ता का रहा होगा जिसे यह नासमझी भरा विश्वास होगा कि समारोह के आयोजकों मे से एक जो जनता पार्टी का था, वह इस आयोजन से राजनैतिक लाभ उठा सकता है। उन्होने शायद यह विचारा होगा कि यदि मरा उसमे जाना रुकवा दिया जाय तो उन्हे प्रशसा मिलेगी। यह धारणा पूणत मूखता भरी थी। मेरे समारोह मे भाग लेने मे गलत या असाधारण क्या था? स्वतत्रता संग्राम मे सरदार पटेल का योग और भारत को शक्तिशाली बनान के उनके प्रयत्न निश्चित रूप से हमें उनके जन्मदिवस पर श्रद्धाजलि देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वह कवल एक सम्मेलन था जिसम पार्टी की वफादारी से ऊपर उठ कर सारे राष्ट्र को उन्हे और उनकी देश सेवा को स्मरण करना चाहिए था। यदि सत्ताधारी पार्टी और सरकार मे स्वय कोई समारोह आयोजित करने की कल्पना शक्ति नही थी तो इसके लिए वे स्वय दोषी थे। एक राष्ट्रपति के रूप मे, मुझे कोई सन्देह नही कि उस समारोह मे जाना स्वीकार कर मैंने उसी प्रकार सही काय किया जिस प्रकार मुझसे पूववर्ती राष्ट्रपतिया ने 'सिटीजन काउंसिल द्वारा आयोजित सरदार पटेल के जन्म दिवसो पर जाकर किया था।

मेरे भाषण का विषय राष्ट्रीय एकता था। इस अवसर पर मैंने जो भाषण दिया उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि इसे अधिकाश ने सराहा, कुछ आलोचना

भी हुई। आलोचकों मे सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्य भी सम्मिलित थे। यह दूसरे दिन पूर्ण विस्तार से समाचार पत्रो म प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी भाषा के अधिकाश राष्ट्रीय दैनिको और कुछ साप्ताहिको ने अपने सपादकीय मे इस पर अपने विचार प्रकट किय। विषय के महत्व तथा इसने उस समय जो ध्यान आकर्षित किया दोनो ही कारणो से मैं उस पर यहा सक्षेप मे लिखना उचित समझता हू।

मैंने अपने भाषण के परिचय वाले अश मे सरदार पटेल के साथ अपने सपर्कों का तथा राष्ट्र के प्रति उनकी स्वतत्रता सनानी और केबिनेट मत्री के रूप मे की गई सेवाओ का वणन किया। मुख्य क्योकि राष्ट्रीय एकता पर बोलने के लिए कहा गया था, मैंने कहा कि इस विषय पर सार्थक विचार करने के लिए, मेरे लिए राज्य-केन्द्र के सबधो की समस्या की जाच करना आवश्यक है। इस विषय पर मैंने जो विचार प्रकट किए उन्होने ही विरोध पूर्ण आलोचना को आकर्षित किया। मैंने बहुत अधिक फैली हुई इस भावना को प्रकट किया कि राज्य सरकारो को सामाजिक सेवाओ और विकास के विषयो पर जो उत्तरदायित्व दिए गए ह उनके अनुरूप विस्तृत और लचीले राज्य कर क साधन उनके पास नही। मैंने यह भी कहा कि केन्द्र की रुझान विकास और शासन के अधिक स अधिक विषयो का उत्तरदायित्व स्वय लेने की है जो कि विकेन्द्रीकरण के स्वीकृत सिद्धान्त के प्रभाव को घटाती है। केन्द्र के पास राज्य मे उपलब्ध सरकारी तत्र स अधिक कुशल और भिन्न तत्र नही है और न अनुभव यह बताता है कि केन्द्र ने राज्यो की तुलना मे अधिक बुद्धिमानी, योग्यता या बाह्य तत्वो के प्रभाव स स्वतत्रता प्रदर्शित की हो। राज्यो ने केन्द्र की इस प्रवृति को कभी पसन्द नही किया ह कि वह अधिक से अधिक शक्ति लेता जाता है तथापि राजनतिक और अन्य कारणो से उन्होन अपनी इस भावना को प्रकट नही किया है। यदि इस प्रवृति को रोका नही गया तो राज्यो द्वारा अधिक स्वायत्तता और स्वतत्रता की माग कटुता के साथ उठायी जा सकती है। यह एक अवाच्छित विकास होगा। इसलिय मने तर्क दिया कि केन्द्र-राज्यो के सबधो की पूरी समस्या का नय सिर स पिछले तीस वर्षों के अनुभवो के प्रकाश म अध्ययन होना चाहिए। प्रारम्भ मे मैंने सविधान निर्मात्री सभा के वाद-विवादो और केन्द्र तथा राज्यो के सबधो पर राजामन्नार कमेटी रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया था। स्वतत्रता के बाद स देश को अपनी एकता से जो लाभ हुए हैं उनको बतान से भी मैं चूका नही था। देश म विभाजन करनेवाली शक्तियो के विकास पर मैंने गभीर अप्रसन्नता प्रकट की थी। मैंने जो कुछ कहा था उसमे वास्तव मे नया कुछ नही था। मैंने स्वय उन बातो को उससे पूर्व भी कहा था और वैसा ही दूसरो ने भी। इडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेण्ट रूप म, सन् 1960 के प्रारम्भ मे कांग्रेस के 'प्लेनरी सशन मे दिए गए मेरे भाषण का निम्नलिखित अश मेरी

पुष्टि करेगा

एक प्रजातान्त्रिक प्रणाली की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि सरकार जनता की और जनता के लिए ही नही वरन् जनता के द्वारा भी होनी चाहिए। दूसरे शब्दो मे, जनता जिसमे सर्वोच्च सत्ता निहित है उसको अवश्य ही ऐसी स्थिति मे होना चाहिए कि वह अपने आपको शासित कर सके।

× × ×

सन्देह नही कि हमारे गाव मे लडाई झगडे और विवाद होते हैं लेकिन लड़ाई-झगड़े और विवाद केवल गावो मे ही सामान्य नही।

× × ×

एक बार जब जनता को बिना किसी प्रतिबन्ध के उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, वह प्राय अपने को उसके अनुकूल बना लेती है और मुझे विश्वास है कि वह अपने कर्तव्यो का पूरी तरह भली प्रकार पालन करेगी। और तभी हम इस देश मे पूर्ण स्वतन्त्रता ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि आन्ध्र और राजस्थान ने यह महान प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है जो कि अब एक वर्ष पुराना है और जो एक उल्लेखनीय सफलता प्रमाणित हुआ है। मैं अवश्य आशा करता हू कि देश के दूसरे राज्य भी उनका अनुकरण करेंगे।

इस सम्बन्ध में कुछ दृष्टिकोण प्रकट किये गये हैं कि शक्ति के विकेन्द्रीकरण का अर्थ केवल राज्य से जिले और ग्राम स्तर तक नही परन्तु उसके अनुसार ही दिल्ली और राज्यो के मध्य भी होना चाहिए। हाल ही मे वर्धा मे हुए सर्वोदय सम्मेलन मे कहा गया था कि जो स्वतन्त्रता हमारे देश मे आयी है वह नई दिल्ली मे उसी प्रकार अटक कर रह गयी है जिस प्रकार गगाजी भागीरथ के महान् प्रयत्नो से नीचे आने पर शिवजी की जटाओ मे रह गयी थीं और यह आवश्यक है कि शिव जी पुन इस गगा को अपने कानो से निकलने की अनुमति दे और उसे कुआरी भूमि को उपजाऊ बनाने की आज्ञा द। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है और यह सत्य कि इस प्रकार के दृष्टिकोण प्रकट किये जा चुके हैं, यह बताता है कि लोगों के मस्तिष्क उस दिशा मे विचार करने लगे हैं।

मेरे आलोचको ने मेरे द्वारा अनुचित समय पर राज्यो को अधिक स्वायत्तता देने का तर्क दिये जाने का आरोप लगाया, एक ऐसे समय जबकि भारत सरकार के हाथो मे आसाम मे विदेशियो को लेकर उठे आन्दोलन से बनी समस्या और खालिस्तान की माग से निपटने की समस्या है। उन्हे यह विचित्र लगा कि मैंने राज्यो के लिए अधिक स्वायत्तता का तर्क ऐसे समारोह म दिया जो शक्तिशाली केन्द्र के समर्थक सरदार पटेल की स्मृति मे मनाया जा रहा था। उन्होने गलत रीति से

यह धारणा बना ली थी कि शक्तिशाली केन्द्र का अर्थ दिल्ली में शक्ति का केन्द्रीकरण करने से है और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना केन्द्र को कमजोर करना होगा। उसके विपरीत मेरा विश्वास है कि केन्द्र राज्यों से उनकी पहल करने और निर्णय करने की शक्ति लेकर शक्तिशाली नहीं बनता, वह केवल तभी शक्तिशाली होता है जब राज्यों को अपनी प्रशासनिक और विकास की समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। केन्द्र को मुख्य रूप से अपना समय तथा ध्यान अखिल भारतीय समस्याओं को हल करने में लगाना चाहिए।

उस समय जो दूसरी घटना हुई उसका वर्णन करने की भी आवश्यकता यहां है—

सरकार के उच्च अधिकारी ने (जिसके संबंध में पहले जिक्र आ चुका है) मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताया कि कुछ क्षेत्रों में मेरे द्वारा मध्य प्रदेश की बार बार यात्रा करने पर कुछ बेचैनी है। वह जानना चाहता था कि क्या मैंने शीघ्र ही ग्वालियर यात्रा करने की योजना बनाई है और उसके तीन सप्ताह के अन्दर रायपुर दोबारा जाने की? उसको बताया गया कि मैं नवम्बर के अंत में ग्वालियर जाने और वहां के स्थानीय बालिका स्कूल के रजत जयन्ती समारोह में भाग लेने के लिए सहमत हो चुका हूं। ग्वालियर का स्कूल ग्वालियर की राजमाता से संबंधित था। यह एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और उसकी नींव का पत्थर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा रखा गया था और उसका उद्घाटन श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा हुआ था। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में मेरी परंपरा प्राय उन्हीं कार्यक्रमों में भाग लेने की सहमति देने की थी जिन्हें राज्य सरकार राष्ट्रपति के भाग लेने योग्य समझती थी। ऐसे सभी कार्यक्रमों में प्राय राज्यपाल या मुख्यमंत्री अथवा दोनों ही सम्मिलित होते थे। इस घटना में मध्यप्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने ग्वालियर स्कूल समारोह में भाग लिया और स्कूल की प्रशंसा में बोले। ग्वालियर की राजमाता के राजनैतिक संबंधों से मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए उनका विरोधी दल का सदस्य होना ऐसा पर्याप्त कारण नहीं था जिसके आधार पर मैं एक ऐसे स्कूल के रजत जयन्ती समारोह में जाने से इंकार कर देता जिसका प्रारम्भ अच्छे तत्वावधान में हुआ था और जो अच्छी नीतियों पर चलने के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे स्कूल के समारोह में मेरी उपस्थिति से किसी को गलतफहमी में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी।

यह घटना महत्वहीन प्रतीत हो सकती है परन्तु मैंने यहां इसका वर्णन यह दिखलाने के लिए किया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से स्वयं अपने निर्णय के आधार पर मेरे सार्वजनिक कार्यक्रमों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। यह कोशिश पूर्णत गलत रीति से विचारी गई थी और मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि यह प्रधानमंत्री की जानकारी अथवा

सहमति से नही की गई थी। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। किसी का यह विचारना कि राष्ट्रपति को केवल सत्ताधारी पार्टी द्वारा आयोजित समारोहो म ही भाग लेना चाहिए केवल बचपना मात्र है। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी समारोह मे जाने के लिए स्वतन्त्र है और होना चाहिये। उसको केवल इस आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या समारोह उसके पद की गरिमा के अनुकूल है।

केन्द्र मे सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति के एकत्रीकरण हो जाने से राज्यो को जो क्षति हुई है वह केन्द्र और अधिकाश राज्यो मे सत्तासीन काग्रेस (आई) पार्टी की कार्यप्रणाली द्वारा देखी जा सकती है। राज्य की विधान सभा पार्टी का नेता विधान सभा पार्टी के सदस्यो द्वारा नही वरन् परन्तु हाई कमाण्ड या पार्टी नेता द्वारा चुना जाता है। जब इच्छानुकूल व्यक्ति मिल जाता है तब कुछ समय के लिए छाटे हुए ऐसे व्यक्ति का सदस्यो द्वारा चुनाव करने का आडम्बर किया जाता है। इससे कोई धोखे मे नही आता, चुना गया प्रतिनिधि तक नही। इस प्रकार चुना व्यक्ति मुख्यमत्री बनता है और राज्य म सरकार बनाता है। उस न तो अपने मन्त्रिमडल (केबिनेट) की शक्ति या निर्माण के सबध मे कोई स्वतन्त्रता होती और न मन्त्रियो को विभाग देने के बारे म ही। यह रीति जनतान्त्रिक प्रणाली के सभी विचारो के इतने प्रतिकूल है कि मैं अपने एक भाषण म उन्हें 'मनोनीत मुख्यमत्री' कहने से स्वय को रोक नही सका। (आशा के अनुरूप मेरी स्पष्ट आलोचना ने सत्ताधारी पार्टी के सदस्यो को नाराज कर दिया) उनमे से कुछ जनता मे यह घोषित करते हुए लज्जित नही होते कि उनका पदासीन बने रहना पार्टी के विधान सभा सदस्यो या विधान सभा के विश्वास पर नही वरन पार्टी प्रमुख पर निर्भर करता है। जनतन्त्र की क्या विडबना है! पार्टी अवश्य ही अपने विधायको पर यह विश्वास कर सकती है कि व अपने म सबसे उपयुक्त व्यक्ति को अपना नेता चुनेंगे। यदि वह उन पर विश्वास नहीं कर सकती तो यह उसके द्वारा चुनाव के लिए खडे किये जाने वालो का मनोनीत करने की प्रणाली पर शका उठाता है।

पहले जो कुछ होता था यह सब दुखद रूप से उसके विपरीत है। मुझे स्मरण आता है कि सन 1946 मे किस प्रकार टी० प्रकाशम ने मद्रास म काग्रेस विधान सभा पार्टी का नेता बनने के लिए महात्मा गाधी तक की इच्छा के विरुद्ध, जो कि उस पद के लिए राजगोपालाचारी के पक्ष मे थे, चुनाव लडा और जीता था। सयुक्त मद्रास राज्य से आध्र के अलग होने के तुरत बाद शेष बचे मद्रास राज्य का काग्रेस विधान सभा पार्टी के नेतृत्व के लिए के० कामराज और सी० सुब्रामनियम के बीच निर्वाचन हुआ था। दिल्ली मे पार्टी नेताओ द्वारा इस निर्वाचन को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नही किया गया था। कामराज विजयी हुए और मुख्यमत्री बने। उन्होने अपनी मन्त्रिपरिषद म सुब्रामनियम को ही नही वरन अन्य अनुभवी व्यक्तियो को भी लिया। आध्र प्रदेश बनने पर मैंने स्वय बी० गोपाल रेड्डी के विरुद्ध विधान

सभा पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव लडा और जीता था तथा मैं राज्य का प्रथम मुख्यमत्री बना था। दिल्ली मे पार्टी के नेताओ द्वारा इस चुनाव के प्रति किसी प्रकार की आपत्ति नही उठाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'जो भी निर्वाचित हुआ है, वह मेरा आदमी है।' चुनाव के बावजूद भी मैंने अपने मत्रि-मडल मे ऐसे कुछ लोगो को शामिल किया जिनके बारे मे मुझे पता था कि उन्होने मेरे विरुद्ध मतदान किया था। मुझे पार्टी को सगठित रखने मे कोई कठिनाई नही हुई थी। जब मैंने गोपाल रेड्डी से मत्रिपरिषद मे शामिल होने का अनुरोध किया तो वह मान गये थे।

आज हम देखते हैं कि काग्रेस (आई) के मनोनीत मुख्यमत्री पार्टी को एकजुट रखने मे कठिनाई अनुभव करते हैं। यह आश्चर्यजनक नही क्योकि उन्हें पार्टी विधायको का विश्वास पाने के कारण नही वरन् दिल्ली स्थित पार्टी हाईकमाड का विश्वासपात्र होने के कारण अपना पद प्राप्त होता है। ये मुख्यमत्री प्रशासन काय करने के लिए बैठ नही पाते क्योकि मत्रिमण्डल बनाना अपने आप मे एक लम्बा काय है। मुख्यमत्री के पदासीन होने के कुछ सप्ताहो के अन्दर ही विरोधी अपना सिर उठाने लगते हैं और यह स्वाभाविक है कि मुख्यमत्री का सारा समय अपने पद को बनाये रखने के प्रयत्नो मे व्यतीत हो जाता है। पार्टी के छोटे छोटे झगडा तथा पेचीदा विवादो के बारे मे, तथाकथित पार्टी हाई कमाण्ड अर्थात पार्टी नेता से बात करने हेतु जनता के खर्चे पर अनगिनित दिल्ली यात्राए करनी पडती हैं। पार्टी नेता के रूप मे प्रधानमत्री का मुख्यमत्रियो के चुनाव मे गहरा लगाव और उन लोगो का अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमत्री पर पूरी तरह निभर रहना केवल उनकी निणय लेने की शक्ति और आत्मिक प्रेरणा को रोकता ही है।

मैं पार्टी की काय प्रणाली के सबध म और अधिक कह सकता था परन्तु राष्ट्र-पति के रूप मे इससे मेरा कोई सबध नही था। सामान्यत यह जानना कि पार्टी किस प्रकार काय करती है जनता की रुचि का विषय नही होता। तथापि पार्टी की काय प्रणाली के विचित्र तरीको और सब निणयो को करने की शक्ति का एक व्यक्ति के हाथो मे एकत्रीकरण होने से प्रशासन को इतनी हानि हो चुकी है कि जनता को सत्ताधारी पार्टी के कार्यो पर ध्यान देना ही पडेगा। यह अत्यन्त दुख का विषय है कि प्रधानमत्री जिसको अपना ध्यान और समय देश की पेचीदा आर्थिक स्थिति, कानून तथा व्यवस्था की गम्भीर समस्याओ और बाधाए डालने वाली अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों पर देना चाहिए, उसे पार्टी के छोटे छोटे झगडो को निपटाने के लिए कहा जाये। यह कल्पना करना अवास्तविकता की अति है कि एक व्यक्ति चाहे वह कितना भी परिश्रमी तथा योग्य हो विभिन्न प्रकार की समस्याओ से पूण भारत जैसे विशाल एवम् भिन्नतापूण देश का प्रशासन चला सकता है। प्रशासन और पार्टी विषयो म विकेन्द्रीकरण तथा सच्ची जनतात्रिक कायप्रणाली—केवल इनसे ही जनता को सन्तोष प्राप्त हो सकता है।

11

असम और दिल्ली दोहरे मानदण्ड

दिसम्बर 1979 मे यह आवश्यक हो गया कि असम मे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए क्योकि मत्रिमडल अपना बहुमत खो चुका था। राष्ट्रपति शासन दिसम्बर, 1980 तक रहा और जब राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया तो श्रीमती तैमूर के नेतृत्व म काग्रेस (आई) ने मत्रिमडल बनाया। यह मत्रिमडल जून, 1981 तक रहा फिर राज्य मे दुबारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 30 जून, 1981 को हुई उस समय की घटनाओ के सबध मे यहाँ विचार की आवश्यकता नही है।

अक्तूबर, 1981 म मै असम राज्य के दौरे पर गया। शनिवार 24 अक्तूबर को मैं काजीरगा मे था और असम के राज्यपाल भी मेरे साथ थे। उस शाम को असम विधानसभा के सदस्या का एक दल, जिसे वामपक्षी और लोकतात्रिक सयुक्त दल कहा जाता था मुझसे मिला और मुझे एक माग-पत्र दिया, जिसमे उन्होंने कहा था कि विधानसभा म उनका बहुमत है और वे सरकार बनाने की स्थिति म है। उन्होने इस बात का भय प्रकट किया था कि उनके बहुमत मे होने पर भी इस बात की सभावना है कि अल्पमत सरकार बनाई जाएगी। उसी शाम श्रीमती तैमूर भी मुझसे मिली और उन्होने भी मुझे माग पत्र पेश किया जिसमे उन्होने माग की कि वे सबसे बडी पार्टी की नेता हैं इसलिए उन्हे मत्रिमडल बनाने का निमत्रण दिया जाना चाहिए। इस सारे घटनाक्रम मे असम के राज्यपाल मेरे साथ थे। इन माग पत्र पेश करने वालो से मैंने कहा था कि सविधान अनुसार यह राज्यपाल का अधिकार होता है कि वह स्थिति का जायजा लें और विभिन्न दलो तथा सयुक्त पार्टियो की स्थिति का पता लगाए कि बहुमत का समर्थन किसे प्राप्त है और किसके नेतृत्व मे सरकार बनाने का अवसर दिया जाए, राज्यपाल ही स्थिति के अनुरूप इस बात की सिफारिश कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए।

13 जनवरी, 1982 को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन समाप्त

किया गया। उसी दिन केशवचन्द्र गोगोई के नेतत्व मे काग्रेस (आई) मन्त्रिमडल बना। 17 फरवरी को वामपथी और लोकतान्त्रिक सयुक्त दल, जिसमे असम के दो पूव मुख्यमत्री शरतचन्द्र सिन्हा और गोपाल बारबोरा थ, मुझसे नई दिल्ली मे मिले और मुझे एक स्मरण-पत्र दिया। जिसमे उन्होंने कहा था कि गवनर ने 119 सदस्यो वाले सदन मे 62 सदस्यो के बहुमत वाले एक दल की उपेक्षा की है और उसे मन्त्रिमडल बनाने का अवसर न दे करके अल्पमत को मन्त्रिमडल बनाने का अवसर दिया है। उन्होंने शरतचन्द्र सिन्हा और राज्यपाल के मध्य हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी मुझे दी।

मेरे आदेश अनुरूप मेरे सचिवालय ने यह सारे कागजात प्रधानमत्री के सचिवालय को भेज दिए। उस समय इस बात का कोई लक्षण दिखाई नही देता था कि असम विधानसभा का अधिवेशन निकट भविष्य मे बुलाया जाएगा। प्रधान मत्री के सचिवालय को कागजात भेजते हुए मेरे आदेश के अनुरूप मेरे सचिवालय ने 18 फरवरी, 1982 को यह लिखा

राष्ट्रपति की धारणा है कि मैमोरेडम मे किए गए दोषारोपणा पर विचार करने से कोई लाभ न होगा परन्तु यह उचित होगा कि विधानसभा का अधिवेशन जितनी जल्द सभव हो बुलाया जाए ताकि इस प्रश्न का निणय हो सके कि जो मन्त्रिमडल बना है, बहुमत उसके साथ है या नही। इसके अतिरिक्त आगामी वष का बजट भी शीघ्र पेश किया जाना है। इसलिए आवश्यक है कि अनुदान व एप्रोप्रियेशन आदि बिल माच की समाप्ति से पूव पारित कर दिए जाये। सवैधानिक आवश्यकता और सरकारी काय की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द इस महीने के अत तक अथवा अगले महीने के प्रारभ मे बुलाया जाए।

8 माच को गह मत्रालय ने मेरे सचिवालय को यह सूचना दी कि असम विधानसभा की बैठक 17 माच को होगी और इस बात की सूचना प्रसारित कर दी गई है।

17 माच को विधानसभा का सामना किए बिना ही उस मन्त्रिमडल न त्याग पत्र दे दिया। अगले दिन राज्यपाल ने मुझे एक रिपोट भेजी और मुझे यह सुझाव दिया कि विधानसभा भग करके राज्य मे फिर से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उनका तक था कि विधानसभा सदस्यो की अपनी पार्टी के प्रति आस्था बदल चुकी है और बहुत से सदस्यो का रुख बहुत ही लचीला अथवा अस्थिर है। इसलिए शासक दल और विपक्षी सदस्या के सयुक्त दल के बहुमत का पता लगाना कठिन और बेमानी होगा। इसलिए राज्य मे किसी स्थाई सरकार के बनने की सभावना नही है।

केन्द्रीय सरकार ने असम राज्यपाल की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया और धारा 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निणय ले

लिया। उसने राज्य विधानसभा को भी भग कर दिया।

मेरे विचार मे गोगोई मन्त्रिमडल त्यागपत्र के बाद वामपथी सयुक्त विधायक दल अथवा विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर न देना गलती थी। विपक्ष के बहुमत के दावे का परीक्षण उन्हे मन्त्रिमडल बनाने का अवसर देकर ही किया जा सकता था। यह विधानसभा पर छोड दिया जाना चाहिए था कि वही इस बात का निर्णय करें कि उनका बहुमत है अथवा नही, या उनकी बात मे कोई दम है या नही। यदि विपक्षी दल विधानसभा मे अपना बहुमत सिद्ध न कर पाता तभी राज्यपाल को विधानसभा भग करने की सिफारिश करनी चाहिए थी। विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर न देना मेरे विचार मे भयकर गलती थी।

राज्यपाल की सिफारिशो को केन्द्रीय मन्त्रिमडल द्वारा स्वीकार किए जाने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सूचना 18 मार्च की शाम को मेरे सचिवालय पहुची और अगले दिन प्रात काल यह कागजात मेरे सामने रखे गए। अत्यन्त अनिच्छापूर्वक मैंने राष्ट्रपति शासन घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए।

प्रात काल प्रधानमत्री को मुझसे मिलना था। मैंने इस अवसर का लाभ उठा कर बहुत स्पष्ट शब्दो मे राज्यपाल की सिफारिशो और मन्त्रिमडल की सिफारिश के सबध मे अपने विचार उनके सामने प्रकट कर दिए। कांग्रेस (आई) को दो बार सरकार बनाने का अवसर दिया गया जब कि विधानसभा मे वह बहुमत सिद्ध नही कर पाया। यह बात पहले प्रकट हो चुकी थी। विपक्षी दलो ने बहुमत दर्शाते हुए अपने समर्थको की एक सूची पेश की थी, उसे यह तक देकर रद्द कर दिया गया कि विधानसभा के सदस्य अपनी वफादारी बदलते रहते हैं। इससे मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि यह घटना दोहरे मानदण्डो का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रमाण थी। इसलिए मैंने असम राजनैतिक गतिविधियो और दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनावो के बार बार स्थगित करने के प्रति अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर दी (इस विषय के सबध म इस पुस्तक मे मैंने *अन्य स्थान पर भी उल्लेख किया है*)।

मैं चाहता तो इन दोनो मामलो के कागजात प्रधानमत्री को यह कहकर लौटा देता कि मन्त्रि परिषद इस पर पुन विचार करे, परतु मैंने ऐसा नही किया क्योकि मैं जानता था कि मन्त्रिपरिषद अपने पूर्व निर्णय पर स्थिर रहेगी और उस समय मन्त्रिपरिषद की सलाह मानने के अतिरिक्त मेरे सामने कोई विकल्प न रहेगा। इसलिए पुन विचार के लिए कागजात वापस भेजने से कोई लाभ न होता। इसके बदले मैंने यह सोचा कि यह अच्छा है कि मैं अपने विचार और भावनाओ से व्यक्तिगत रूप मे प्रधानमत्री को अवगत करा दू और ऐसा मैंने किया।

असम मे विदेशियो के मामले का प्रश्न चार साल से हमारे सामने था। परतु इसका कोई सतोषप्रद हल नही निकल रहा था। प्रधानमत्री बार-बार इस समस्या के हल की खोज के लिए विपक्षी दलो से सहयोग की माग कर रही थी। सयुक्त

विपक्षी दल को असम मे सरकार बनाने का अवसर न देकर उनसे सहयोग की कामना कैसे की जा सकती थी।

मार्च, 1980 मे दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी कि दिल्ली प्रशासनिक धारा 1966 के अधीन केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली मे शासन चलाना असम्भव है इसलिए उनका मत है कि दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल को भग कर दिया जाए और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की कुछ धाराए स्थगित कर दी जाए। उनके अनुसार रिपोर्ट भेजने से पहले 33 महीने के समय मे दिल्ली प्रशासन एक्ट की धाराओ का उल्लघन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकारी कौंसिल ने अपना कार्य योग्यतापूर्वक पूरा नही किया और उसने अपने अधिकारो का प्रयोग प्रशासनिक तौर तरीको की अवहेलना द्वारा किया है। उन्होंने आगे कहा कि 1980 मे दिल्ली मैट्रोपोलिटन क्षेत्र मे हुए लोकसभा चुनावों ने यह दर्शा दिया है कि कार्यकारी परिषद म लोगों को विश्वास नही रहा है। उन्होने इस बात की सिफारिश की कि लोगो को अपने नये प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाए। उपराज्यपाल की सिफारिशो का मुख्य कारण सभवत अतिम ही था क्योकि इस समय जिन राज्यो मे जनता-पार्टी की सरकारें थी वहा विधानसभाए भग कर दी गई थी, जबकि उन राज्यो मे मध्यावधि चुनाव करवाए गए, परतु दिल्ली मैट्रोपोलिटन के चुनाव नही हुए थे।

उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर सरकार ने 21 मार्च, 1980 से 6 मास के लिए दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल को भग करने का निर्णय लिया। मैंने भी उसके अनुरूप आज्ञा दे दी। सितम्बर, 1980 मे दूसरी बार 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाने के लिए कहा गया जिसके लिए तर्क यह दिया गया कि दस साल बाद होने वाली जनगणना मे प्रशासन का ध्यान और समय लगेगा और इसलिए मैट्रोपोलिटन क्षेत्र की मतदाता सूचियो का भी सशोधन करना होगा। इसके साथ यह भी कहा गया कि दिल्ली के प्रशासन को सुचारु बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। फिर सरकार ने 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाई (20 सितम्बर, 1981 तक)। अगस्त 1981 म उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाने की सिफारिश दोहराई, (20 मार्च, 1982 तक), उन्होने इस बार यह तर्क दिया था कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली मे सितम्बर और अक्तूबर मे बाढ़ आने की सभावना रहती हैं और अक्तूबर नवम्बर मे हिन्दू और मुसलमानो के बहुत से त्योहार भी पडते हैं, इसलिए साम्प्रदायिक तनाव की सभावना भी हो सकती है। मैं समझता हू कि दिल्ली मे प्राय हर साल बाढे आती हैं, त्योहार भी हर साल आते हैं और यह भी नही कहा जा सकता कि उनके कारण हर वर्ष अथवा हर स्थान पर साम्प्रदायिक दगे होते हैं। इस प्रकार की अशाति तो त्योहारो के अतिरिक्त भी हो सकती है। फरवरी 1981 मे दिए गए तर्क भी बेबुनियाद थे। प्रशासन को यह

पता था कि फरवरी, मार्च 1981 तक जनगणना होगी। इसलिए चुनाव या तो उससे पहले हो सकते थे या बाद मे। मतदाता सूचियों का सशोधन एक स्थाई प्रक्रिया है, इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाने के लिए दिए गए तक आधारहीन थे। केन्द्र सरकार ने उपराज्यपाल की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया और 20 मार्च, 1982 तक राष्ट्रपति शासन बढान का निणय कर लिया। उन्ही दिनो समाचार पत्रो मे यह समाचार छपा कि गृहमत्रालय दिल्ली मे जल्दी ही चुनाव कराने की योजना बना रही है। इन समाचारों को ध्यान मे रखते हुए और यह सोचकर कि यह राष्ट्रपति अवधि बढाने का आखिरी अवसर होगा, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी स्वीकृति की सूचना देते हुए मेरे सचिव ने गृहमत्रालय को यह निर्देश भी दिया

"अपनी सहमति व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति का विचार है कि समाचार पत्रो की रिपोट के अनुसार गहमत्रालय जल्द ही चुनाव करवाना चाहता है, उनका यह विश्वास है कि चुनाव राष्ट्रपति शासन की इस अवधि से पूव हो जाने चाहिए और इस सबध में आदेश जारी किया जाए।"

मुझे आश्चय और निराशा हुई कि उपराज्यपाल ने माच 1982 मे 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाने के लिए फिर सुझाव भेजा। इस बार यह तक दिया गया था कि मतदाता सूचियो का सशोधन बडे पैमाने पर चुनाव आयुक्त के आदश पर इसलिए किया जा रहा है कि अनेक नई बस्तिया बनी हैं और लोग भारी तादाद म अपन पूव स्थानो से वहा चले गए हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासनिक ढाच के निर्धारण के लिए कुछ योजनाओ पर विचार किया जा रहा है ताकि प्रशासन अधिक सुगठित रहे और अनेक प्रक्रियाए बार-बार न दोहरानी पडें जिसके कारण इस केन्द्र शासित प्रदेश मे अनेक विभागो का निर्माण करना पडा है। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और मेरे लिए इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और चारा न था।

इस बात पर पुन विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि गृहमत्रालय द्वारा सितम्बर 1981 तक चुनावो की आशा की झलक दी गई थी उसे उस रूप मे नहीं मानना चाहिए था। उसका अभिप्राय केवल सरकार के माच 1982 तक राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढाने के प्रति की जा रही आलोचना को नरम करना था। इस बात पर विश्वास नही किया जा सकता कि माच 1980 से लेकर 1982 तक तो दो साल की अवधि मे परिस्थितिया कभी भी चुनाव करवाने के उपयुक्त नही हुइ। इसलिए यह आश्चय की बात नही है कि विपक्ष के राजनतिक दल आक्रोश से भर उठे।

12

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और विरोधी दल

/

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निश्चित अवधि पर आपसी विचार विमर्श
लिए मिलना एक स्वस्थ परम्परा है, जिसमे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश
राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त अन्य घटनाओ से परिचित कर
हैं। मेरा विश्वास है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सप्ताह मे एक बार वहा के शासक
नियमित रूप से मिलते हैं। आपसी बातचीत का स्थान नोट या चिट्ठी पत्री न
ले सकती। मोरारजी देसाई और इन्दिरा गाधी प्राय मुझसे भेंट करते रहते
इंदिरा जी की बजाय मोरारजी भेंट के लिए अधिक आते थे। मैं यह समझता
कि प्रधानमंत्री को नियमित रूप से राष्ट्रपति से मिलना एक परम्परा बन चुक
ताकि सरकार और राष्ट्र के मुखिया मे पूर्ण स्वतन्त्र रूप से विचारो का आद
प्रदान हो सके। मुझे याद है इस तरह की भेंट मुलाकातो मे मैं मोरारजी देसाई
यह बात प्रकट करता रहा कि असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच में सचार सा
को जल्दी-से-जल्दी विकसित किया जाये ताकि उस क्षेत्र को आने वाली बाढ़
होने वाली हानि से बचाया जा सके। मैं प्रशासनिक मामलों तथा हाईकोर्ट मे रि
स्थानों को भरने, राज्यपालों की नियुक्ति तथा कानून और व्यवस्था की स्थि
आदि पर भी विचार विमर्श करता रहा हू। मैं उनसे विदेशी मेहमानो के द
और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओ के सबध मे भी विचार क
रहा।

इन्दिरा जी के काल मे इस तरह को भेंट वार्ताओ मे काफी कमी आई।
देश तथा विदेश मे होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओ का ज्ञान मुझे केवल समाच
पत्रों से ही हो पाता था। उदाहरण के रूप मे विदेश मन्त्रालय के सचिव के
दौरे का ज्ञान मुझे समाचार-पत्रों से ही हुआ और मुझे इस बात का भी पता
लगा कि इस भेंट का क्या परिणाम निकला। इसमें सन्देह नहीं कि प्रधान
और मन्त्रिपरिषद नीतियों का निर्धारण करते हैं और निर्णय लेते हैं, परन्तु यह
आवश्यक है कि महत्वपूर्ण घटनाओ का विवरण राष्ट्रपति को दिया जाय,

उनका ज्ञान हो। इसलिए मैंने अपने प्रथम सचिव को दिसम्बर, 1981 मे प्रधान मत्री के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखने के लिए कहा कि प्रधानमत्री महत्वपूर्ण घटनाओ और उनके सबध मे सरकार के विचार से राष्ट्रपति को यथाशीघ्र कसे सूचित कर सकते हैं। मैं समझता हू कि इस पत्र के बाद भारत-सरकार के कुछ मत्री और सचिव महत्वपूर्ण विषयो की जानकारी के लिए मेरे पास आने लगे, परन्तु यह प्रक्रिया बहुत थोडे समय तक चली। परन्तु मैं यह कहूगा कि प्रधानमत्री कुछ समय बाद मुझसे भेंट करने लगे। मेरा यह विचार है कि प्रमुख घटनाओ और उनके प्रति सरकार के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमत्री का कत्तव्य है। इसके लिए प्रधानमत्री को राष्ट्रपति से विचार विमश के लिए उसी प्रकार मिलते रहना चाहिए जिस प्रकार ब्रिटेन के शासक से वहा के प्रधानमत्री मिलते रहते हैं।

अपने राष्ट्रपति काल मे, विशेष रूप से जनवरी 1980 मे इन्दिरा जी के लौटने के बाद, मैंने विपक्ष और प्रधानमत्री के बीच सम्पक बनाये रखने का प्रयत्न किया। मैंने कभी भी विपक्ष के सदस्यो को राष्ट्रहित के मामलों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भेंटवार्ता से इन्कार नही किया, उन्हे सदा मिलने का अवसर दिया। राज्य विधानसभाओ के विपक्षी सदस्य भी अनेक बार मुझसे मिलते रहे। मैंने इस पुस्तक मे किसी अन्य स्थान पर असख्य विपक्षी सदस्यो के मुझसे भेंट करने और सरकार बनाने के दावे का उल्लेख किया है। विपक्षी दला के सदस्य दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनावो के बार-बार स्थगित किए जाने के सबध मे भी मुझसे मिलते रहे और इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाते रहे।

नवम्बर, 1981 मे गढवाल लोकसभा सीट का चुनाव स्थगित किए जाने से भी विपक्षी दलो मे असन्तोष था और इस सबध मे उनके प्रतिनिधियो ने मुझसे मुलाकात भी की। मेरा कहना है कि इस चुनाव के स्थगित किए जाने पर मुझे भी अप्रसन्नता अनुभव हुई। इसलिए मैंने इस सबध मे अपने विचार प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा सूचित किए। इस पत्र मे मैंने उनका ध्यान उन बातों और उनके परिणामा की ओर दिलाया जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कर रही थी।

मई, 1982 में चुनावा के सबध मे हरियाणा के राज्यपाल ने राज्य विधान सभा के सबध मे जो कुछ किया मेरे विचार मे वह जल्द बाजी मे उठाया गया गलत कदम था। इस सबध मे भी विपक्षी दलो के सदस्य मुझसे मिले और हस्तक्षेप के लिये प्रार्थना की। मैंने उन्हें अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिया और अपने विचार भी उनको बताये परन्तु साथ ही मैंने अपनी सीमाओ का भी उल्लेख किया। उसके बाद मैंने इस सबध मे प्रधानमत्री को पत्र लिखा और विचार करने के लिए आमन्त्रित किया। मैंने इस सबध में सही कदम उठाने और कार्यवाही करने का सुझाव भी दिया।

इन उदाहरणो से यह प्रकट होता है कि सत्ता दल का विपक्षी दलो के प्रति अनुचित असहिष्णुतापूण रवैया था। सत्ता दल द्वारा प्रत्येक सभव उपायो से उन्हें सत्ता मे आने से वचित रखना यह प्रकट करता है कि लोकतान्त्रिक मान्यताओ के प्रति उनम आदर की भावना नही रह गई और भविष्य मे इससे हानि की सभावना है।

मुझे इस बात का अहसास था कि विपक्षी दलो के नेताओ से मेरा मिलना विशेष रूप से सत्ता पक्ष गलत समझ सकता है। समाचार पत्रो मे भी इस बात का अनुमान लगाया जाने लगा था कि विभक्त विपक्ष को एकत्र करने का मैं केन्द्र बिन्दु बन जाऊगा। निस्सदेह यह सभावनायें अवाछित थी क्योकि मैं राष्ट्रपति काल के अतिम समय मे दल गत राजनीति मे नही पडना चाहता था। यदि मैं विपक्षी दलो से मिलकर सामयिक विषयो पर उनके विचार सुनना और जानना चाहता था तो ऐसा मैं इसलिए करता था कि मैं इसे लाभदायक समझता। मैं वे विचार प्रधानमत्री तक पहुचाना चाहता था और उसके साथ उनके सबध मे अपने विचार भी। इसमे सदेह नही कि विपक्षी सदस्य अपनी शिकायतें और विचार राज्य विधानसभाओ म प्रकट कर सकते थे और सुझाव दे सकते थे। ऐसा नही कि वे यह न समझते हो कि मैं उनकी शिकायतें दूर कर सकूगा। उन्हें राष्ट्रपति के अधिकारो और सीमाओ का अच्छी तरह ज्ञान है परन्तु उनके लिए राष्ट्रपति एक ऐसा अधिकारी है जिसके समक्ष वे अपने विचार प्रकट कर सकें और इस प्रकार निराशा से बच सके।

13

सार्वजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार

सामान्य जन-जीवन मे भ्रष्टाचार की समस्या देश के अनेक लोगो के लिए चिन्ता का विषय रही है। मैं लम्बे अर्से तक काग्रेस मे रहा हू और अत्यन्त सामान्य स्थिति से दल की उच्चतम स्थिति तक पहुचा हू। ग्रामीण काग्रेस समिति के साधारण सदस्य से अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद तक अनेक अवसरो पर चुनावो के लिए पार्टी को तैयार करने और सगठित करने के लिए मैं उत्तरदायी भी रहा हू। ऐसा राज्य स्तर और अखिल भारतीय स्तर तक करना पडा है। इसलिए मैं पूणतया परिचित हू कि चुनाव लडने के लिए धन की आवश्यकता होती है। काग्रेस पार्टी से मेरे सहयोग के समय तक कुछ ही व्यक्ति थे जिन्हें पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। जितना धन इकट्ठा किया जाता था, वह विश्वसनीय रूप से पार्टी के हिसाब मे जमा करवा दिया जाता था। पार्टी के दो प्रमुख अधिकारी सयुक्त रूप से बैंक से सबधित काम करते थे। धन सग्रह का काय पार्टी अथवा अध्यक्ष के नाम से सभी व्यक्ति नहीं कर सकते थे।

गत कुछ वर्षों मे ऐसे कुछ उदाहरण देखने मे आये हैं कि उच्च पदो के अधिकार सम्पन्न नेता मनमाने ढग से धन इकटठा करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहे हैं। इतना ही नही उन्होंने सरकारी मशीनरी का भी इस काय के लिए दुरुपयोग किया है। इस बात के लिए उन्होने कई बार यह सफाई दी है कि व्यापारिक सघो, उद्योगो और दानियो से दान इकटठा किया है और यह धन स्वेच्छापूवक दिया गया है। अनेक बार उन्होंने इन बातो को भी अनावश्यक समझा और उन्होने व्यापारियो, ठेकेदारो तथा अन्य लोगो से धन इकट्ठा किया और उसके बदले मे इन 'दानियो' को सरकारी सरक्षण दिया गया। स्थिति यहा तक पहुची कि पार्टी के लिए इस प्रकार धन इकट्ठा करना एक सामान्य बात समझी जाने लगी। इस बात का अनुमान कोई भी नही लगा सकता कि किस व्यक्ति ने किससे कितना धन एकत्रित किया। और इस बात के लिए भी आश्वस्त नही किया जा सकता कि वह रुपया जिस बात के लिए इकटठा किया गया उस ध्येय के लिए खच भी

हुआ है या नही। वास्तव मे जिस व्यक्ति और सगठन के लिए यह रुपया इकटठा किया गया है, वह इन धन सग्रह करने वालो पर किसी प्रकार का प्रतिबध या दायित्व नही लगा सकता। इस प्रकार जनता का यह सोचना कि यह अधिकारो का दुरुपयोग है और इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि प्रमुख नेताओ को भी इन सब बातो का ज्ञान होता है, व सब कुछ जानते हैं क्योकि अनक खुफिया एजें सियो द्वारा उन्हे इन सब बातो का पता लगता रहता है। जब इस प्रकार की बातो पर कोई नियत्रण नही रह पाता तो किसी को भी दोष देने का कोई लाभ नही रहता।

कुछ लोग इस बात का तक दे सकते हैं कि इस तरह के समाचार अतिशयोक्ति-पूण हैं और स्थिति इतनी भयावह नही है। वे यह भी कह सकते है कि विरोधी समाचार पत्र एक सामान्य सी भूल को पार्टी और सरकार को बदनाम करने के लिए इतना अधिक उछालते हैं। यह भी कहा जाता है कि अनुत्तरदायी तत्त्व जनता मे असतोष फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग इससे आग चलकर यह तक दे सकते हैं कि गैर-कानूनी ढग से पैसा देने के लिए विवश किए जाने वाले व्यक्ति इस सबध मे शिकायत कर सकते हैं परन्तु ऐसा क्यो नही करते। प्रथम बात स्पष्ट यह है कि उन्हे इस काय से कुछ लाभ हुआ है। इसलिए वे सरक्षण देने वालो के विरुद्ध कोई शिकायत नही करना चाहते। दूसरी बात यह कि यदि वे उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हैं तो भविष्य म उनके व्यापार के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने की सभावना रहती है। वे इस बात की उचित ढग से शिकायत तो नही करते परन्तु वे व्यक्तिगत रूप से एकात म इन मामलो पर बात करन से हिचकिचाते भी नही। इस प्रकार जनता तथ्यो से परिचित हो जाती है। सामान्य जन-जीवन मे भ्रष्टाचार इतने व्यापक रूप मे है जिसके सबध म सब जानते हैं। इस बात की उपेक्षा नही की जा सकती।

कुछ लोग एसे भी हैं जो यह तक देते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग ही एसा नही करते वरन् विपक्षी भी अवसर प्राप्त होने पर इसी प्रकार का व्यवहार करत हैं। इस प्रकार की बातें व्यथ हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नही। इस प्रकार के तक से मेरे इस सिद्धात की पुष्टि ही होती है कि हमारे देश का राजनैतिक ताना बाना भ्रष्ट हो चुका है। देश को इस बात म कोई रुचि नही है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी एक दूसरे पर दोषारोपण द्वारा कीचड उछालते रहें। दश के प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीति के इन कारनामो को घृणा की दृष्टि से दखते हैं।

जनवरी, 1980 मे इन्दिरा जी द्वारा सत्ता सभालने के फौरन बाद मैंने इस विषय पर उनसे बातचीत की। मैंने पार्टी के कामो के लिए, विशेष रूप से धन के अनियन्त्रित सग्रह पर रोक लगाने के लिए कहा। सत्ता मे उनकी पार्टी का बहुमत था। अधिकाश राज्य विधानसभाओ मे भी उनके दल का बहुमत था और उनकी

सरकारें थी। इस प्रकार वह एक सुदृढ स्थिति मे थी। मैंने उनसे कहा कि वे इस स्थिति का लाभ उठाकर इस बुराई से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर सकती हैं। मुझे आशा थी कि वे अपनी सुदृढ स्थिति का उपयोग राजनीति को स्वच्छ बनाने मे करेंगी। परन्तु इस सबध मे कोई विशेष प्रगति नही हुई। स्पष्ट है उन्होने इस बुराई की रोकथाम के लिए कोई प्रयत्न नही किया।

देशवासी इस बात से पूण परिचित हैं कि ए० आर० अतुले ने महाराष्ट्र के मुख्यमत्री होते समय दो ट्रस्ट बनाये और उनके लिए धन इकटठा करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाये। इन बातो को याद करने मे मुख्य मुद्दा इन ट्रस्टो का नियत्रण व्यक्तिगत रूप से उनके हाथ मे था, मुख्यमत्री के रूप मे सरकारी ढग पर नही। जब किसी उपभोक्ता वस्तु की कमी होती है तो उसके वितरण पर नियत्रण करना ही पडता है। जबकि ये नियत्रण भ्रष्टाचार के मुख्य कारण होते हैं। ऐसी स्थिति मे सरकार का कत्तव्य होता है कि सबद्ध अधिकारियो के लिए निर्देशक सिद्धात बनाये जायें और उन निर्देशक सिद्धातो को लागू करने और उनकी देख भाल के लिए उच्चाधिकारी नियत किए जाए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियो तथा मत्रियो के लिए सीमेंट अथवा कमी वाली उपभोक्ता वस्तुओ का वितरण स्वय करना इतना आवश्यक नही जितना अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान देना। मुख्यमत्री के लिए अपनी इच्छा से वितरण करने के लिए किसी चीज का कोटा निर्धारित करना, किसी सही सोच वाले व्यक्ति को उचित प्रतीत नही हो सकता। मुख्यमत्री को भी ऐसी चीज के वितरण के लिए किसी उचित कसौटी का पालन करना आवश्यक है, केवल एक तरफा निणय करना उसके लिए उचित नही।

यदि इस सिद्धात को स्वीकार किया जाता है तो मुख्यमत्री के लिए अलग कोटा निर्धारित करने का कोई अथ नही रह जाता। मुख्यमत्री द्वारा अपनी इच्छा से सीमेंट वितरण करने के लिए अलग कोटा निर्धारित करना उचित नही था। बम्बई उच्च न्यायालय का यह निष्कष था कि सीमेंट की आपूर्ति और ट्रस्टो के लिए दान देने मे कोई आपसी सबध है। ट्रस्ट का ध्यय कितना भी उच्च और आदश पूण हो परन्तु सीमेंट वितरण करके ट्रस्टो के लिए धन इकटठा करना स्पष्ट रूप से अधिकारो का दुरुपयोग था। साध्य और साधनो के बीच की मर्यादा को हम व्यक्तिगत और जन जीवन मे उपेक्षित नही कर सकते।

मैं चीनी मिलो द्वारा इस शत पर रुपया इकट्ठा करने पर अधिक कुछ नही कहूगा कि यह कारखाने गन्ने की आपूर्ति करने वाले लोगो को कम पमेंट करके अपनी पूर्ति कर लेंगे। यह बात आपत्तिजनक थी। समाचार पत्रो से पता चला कि कारखाने को जो गन्ना दिया गया, कई मामलो मे उसके दाम कम दिए गए। सीमेंट के बदले मे धन प्राप्त करने की ओर लोगो का ध्यान गया और इस बात की आलोचना हुई। मुख्यमत्री के रूप मे अतुले ने प्रदेश सरकार से दो करोड रुपया ट्रस्टो के लिए

दिए जाने की बात अपन आप मे अपूव है और इसका कोई उदाहरण नही, कठोर से कठोर शब्दो मे इसकी आलोचना की जानी चाहिए। यदि यह बात चुनौती दिए बगैर चली जाती तो अन्य प्रदेशा के मुख्यमन्त्रियो को जनता के कोष से व्यक्तिगत ट्रस्टो के लिए रुपया हडपने के लिए कैस रोका जा सकता था। जब कि वह रुपया व्यक्तिगत ट्रस्ट मे होने पर उनका मुख्यमत्री न रहने पर भी उनके अधीन रहता। ऐसी स्थिति मे यह सही उत्तर नही है कि इन ट्रस्टा का ध्येय बहुत महान् था और इनके ट्रस्टी सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। सरकार जो रुपया खच करती है उसके लिए जनता के प्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं और वह सही ढग से खच करना पडता है परन्तु यह बात इस प्रकार के ट्रस्टो के लिए कोई अथ नही रखती।

यह दुर्भाग्यपूण है कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए और इन ट्रस्टो के नियत्रण से अतुले को अलग करन के लिए कोई कदम नही उठाया गया। मैंन इस सारी बात पर प्रधानमत्री का ध्यान आकर्षित किया। परन्तु मुझे दुख है कि स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नही उठाये गये।

14

स्वतन्त्रता सग्राम के सेनानी

गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद कुछ वर्षों मे ही देश की राज नीतिक गतिविधियो मे महान् परिवर्तन आया। इससे पहले भारत की जनता राज नीतिक रूप से जागत नही थी। गाधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को देश की राष्ट्रीयता का एक प्रभावपूर्ण राजनीतिक साधन बनाया। वे राजनीतिक क्षितिज पर छा गये और उनके नेतृत्व मे विदेशी शासन से मुक्ति की माग जन आन्दोलन मे बदल गई।

भारत के कोने-कोने से लाखो नर नारियो ने गाधीजी द्वारा चलाये गये असहयोग, नमक सत्याग्रह तथा अ य आन्दोलनो मे भाग लिया। अनेक छात्रो ने अपनी पढ़ाई त्याग दी, अनेक व्यवसायियो ने उज्ज्वल भविष्य की ओर ध्यान न देकर गांधीजी के आन्दोलन मे भाग लेने के लिए सब कुछ त्याग दिया और लम्बी अवधि तक जेलो मे ब दी रहे। उनके पीछे उनके परिवारो की देखभाल के लिए कोई नही था। उनके बच्चे उपेक्षित रहे। अपना काम ध धा छोड देने के कारण लोगो को केवल पैतृक आय से ही काम चलाना पडा। इस प्रक्रिया मे अनेक परि वार निधन हो गये, परन्तु उ हें इस बात का सन्तोष था कि उ होंने देश की स्वाधीनता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए देश के महान् नेता के आह्वान को स्वीकार किया है। जब वे लोग गाधीजी के सहयोग मे आये उ हें किसी प्रकार के पुरस्कार पाने का विचार नही था। उन्हे यह भी आशा नही थी कि देश उनके जीवन काल मे ही स्वतत्र हो पायेगा। इनमे से अधिक व्यक्ति भारत के स्वतत्र होने से पूव ही स्वग सिधार गये और जो बहुत से भारत को स्वतत्र देखने के लिए बचे वे बिना किसी मान्यता, पुरस्कार, सम्मान अथवा किसी प्रकार के पद की प्राप्ति के बिना स्वतत्र भारत मे रह रहे हैं। उन्हे जो पुरस्कार देश की स्वतत्रता की रजत जयती के अवसर पर दिये गये वह था एक ताम्र-पत्र और पेंशन।

मैं यह अनुभव करता हू कि जिन सब लागो ने स्वाधीनता आन्दोलन मे भाग लिया और जो भारत के स्वतत्र होने के समय जीवित थे, उन सबने किसी सत्ता,

अधिकार या कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। इन सब मे 1947 अथवा उसके बाद किसी पद को सभालने की न योग्यता थी और न साधन। हमम से कुछ लोगो का यह सौभाग्य भी था कि देश के स्वाधीन होने के समय हम जीवित थे और कुछ दशकों के बाद देश के शासन मे हमे महत्व प्राप्त हुआ और उच्च पदो पर पहुचे। हम स्वतत्रता आन्दोलन के अज्ञात देश भक्तो के प्रति अकृतज्ञता के दोषी होंगे, यदि हम उनकी इस निस्वार्थ देश सेवा की भूरि भूरि प्रशसा अथवा सराहना न करें।

यहा मैं टी प्रकासम का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता जिन्हें तेलुगुभाषी लोग सम्मान से 'आन्ध्र केसरी' कहकर पुकारते थे। वे बैरिस्टर थे और उनकी प्रैक्टिस मद्रास मे बहुत अच्छी चल रही थी। व अपने व्यवसाय की उस स्थिति तक पहुच गए थे जब उन्हें न्यायाधीश बनाये जाने की सभावनाए हो गई थी। वे गाधी जी के आह्वान पर अपने उज्ज्वल भविष्य का बलिदान करके स्वतत्रता आन्दोलन मे कूद पडे। मद्रास मे साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय पुलिस की गोलिया के सामने उन्होंने अपना सीना अडा दिया था। उन्होंने मद्रास की अपनी सम्पत्ति से होनेवाली आय से अग्रेजी मे 'स्वराज्य' नामक एक दैनिक निकाला। उन्होने अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ध्यान न देकर अपना सारा समय, शक्ति और धन स्वतत्रता के लक्ष्य के लिए अर्पित कर दिया। अविभक्त मद्रास और आन्ध्र मे बहुत थोडे समय के लिए वे रेवेन्यू मत्री तथा मुख्यमत्री रहे। इसके अति रिक्त उन्होंने कभी कोई पद नही सभाला। 1957 मे उनकी मृत्यु के समय उनके पास ऐसी कोई वस्तु नही थी, जिसे वह अपनी कह सकें। अपनी मृत्यु से लम्बे समय पूर्व से व अपने मित्रो और प्रशसको द्वारा की गयी सहायता से ही काम चलाते रहे। मैं उनके परिवार के अनेक सदस्यो को जानता हू जो आज भी बडी कठिन परिस्थितिया मे से गुजर रहे हैं। उनके सबध मे यह कहना सही है कि उन्होंने स्वतत्रता की वेदी पर अपने आपको पूर्ण रूप से कुर्बान कर दिया।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हू कि इसी प्रकार का बलिदान करनेवाले अन्य हजारों व्यक्ति होंगे जिन्हें हम नही जानते।

हम ऐसे अनेक व्यक्तियो के नाम जानते हैं जिन्होने अपना उज्ज्वल भविष्य बलिदान करके बिना किसी पुरस्कार की आशा के स्वतत्रता आन्दोलन मे सहयोग दिया। आज भी उनके परिवार के सदस्यो को कठिन परिस्थितियो मे देखा जा सकता है। इन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नही मिला, यद्यपि वे स्वतत्रता आदोलन में भाग लेनेवाले प्रमुख व्यक्तियो के वशज हैं।

जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया है एक अर्सा पहले मैंने प्रधानमत्री इन्दिरा गाधी को जन-जीवन मे भ्रष्टाचार के सबध मे लिखा था कि किस प्रकार नेता लोग गलत ढग से धन इकट्ठा करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। और

किस प्रकार हमार प्रशासन मे जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। उन्होंने अपने उत्तर मे लिखा था कि उनका परिवार सदा से भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहा है और अपनी सासारिक सम्पत्ति के बारे म उनके विचार सारे ससार को ज्ञात हैं। उनके पिता और दादा ने अपनी शानदार वकालत, अपना पुराना घर, सम्पत्ति और कोठी सब कुछ दान कर दिया था। प्रधानमत्री ने लिखा था कि "यह बताना कोइ आवश्यक नही कि मैंने अपना घर जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, उसके आस पास की भूमि, पुस्तके, कागजात तथा अन्य वस्तुओ ने अमूल्य सग्रह को भी दान कर दिया है।" उन्होने इस बात पर जोर दिया था कि मेरे पिछले रिकार्ड स भ्रष्टाचार के सबध मे मेरे विचार पूणतया स्पष्ट हैं। इसके उत्तर में मैंने लिखा कि मैं उनके पिता और दादा के भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन म सहयोग से पूर्ण परिचित हू। मैंने उनके साथ यह भी लिखा कि महात्मा गाधी के नेतत्व म सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजाजी, राजेन्द्र बाबू और सुभाषचन्द्र बोस आदि ने स्वतन्त्रता आदोलन मे सम्मिलित होने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जबकि उनके (इन्दिराजी) परिवार का देश के वतमान इतिहास मे प्रमुख स्थान है। हमे टी० प्रकाशम तथा अन्य देश के हजारो नर-नारियो को भी नही भूलना चाहिए और उनके बलिदान के लिए हमे उनका कृतज्ञ होना चाहिए। मैंने यह भी लिखा कि इन लोगो के सम्पूण रूप से स्वतन्त्रता आदोलन मे भाग लिए बिना देश स्वतन्त्र नही हो सकता था। मैंने उन्हें स्मरण कराया कि उनमे से कितने लोगो न अपनी सम्पत्ति बेचकर अपने परिवार का पालन किया है। केवल इतना ही नही कि वे अपने जीवन मे कष्ट उठाते रहे परन्तु उनके परिवार के लोग आज भी भयकर निधनता मे जीवन बिता रहे हैं। मैंने उन्हें स्मरण कराया कि उन्ही मे स कुछ हम लोग आज भी जीवित हैं और उनके बलिदानो के कारण ही लाभ उठा रहे हैं।

जब मैंने देश मे व्याप्त भ्रष्टाचार के सबध म इन्दिराजी को लिखा तो वस्तुत उस समय उनके दादा, पिता अथवा उनके द्वारा की गयी कुर्बानी को याद करवान का कोई अवसर नहीं था। उनके परिवार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कुर्बानियो का भ्रष्टाचार के प्रश्नो से कोई सबध नही। वे प्राय भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे अपने परिवार द्वारा की गई कुर्बानियो का उल्लेख किया करती थी। यह तो उनके लिए ही विचार की बात थी कि व देश के लिए की गई उनके अथवा उनके परिवार द्वारा की गई कुर्बानी का जिक्र करें परन्तु उन्हे इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए था कि उन्होने अथवा उनके परिवार के अन्य सदस्यो ने केवल अपनी कुर्बानियो का ही नहीं वरन् हजारो अन्य व्यक्तियो की कुर्बानियो का भी प्रचुर लाभ उठाया है।

मैं बार-बार यह बात कह चुका हू कि मैंने अपने जीवन मे जो भी सफलता

प्राप्त की उसका कारण महात्माजी का नेतृत्व था जिनमे यह योग्यता थी कि वे किसी को भी धूल से उठाकर एक मानव बना सकते थे। मुझे अपनी जवानी के दिनो मे जवाहरलालजी की इस उक्ति से भी प्रेरणा मिली है कि, सफलता उन्ही व्यक्तियो को मिलती है जो हौसला करके आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। वस्तुत यह उक्ति मेरे जीवन के लिए आदर्श वाक्य रही है। मैं जवाहरलाल जी की दूरदृष्टि और भारत की समृद्धि के लिए उन्होंने जो सुदृढ आधार बनाए, मैं उनका बहुत प्रशसक हू। परन्तु हमारे लिए ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियो द्वारा भारत की स्वतन्त्रता और आर्थिक प्रगति के लिए किए गए योगदान को भूल जाना अथवा कम करके देखना गलत होगा।

15

राष्ट्रपति और भारतीय रैडक्रास

भारतीय रैडक्रास सोसायटी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की एक प्रमुख सस्था है। सस्था के ध्येय काफी व्यापक हैं। इसके ध्येय मे भारत तथा किसी भी अन्य देशो मे युद्ध के कारण बीमार अथवा घायल हुए व्यक्तियो को सहायता पहुचाना, सेना की सहायता लिए रेडक्रास डिपो की स्थापना, गभवती महिलाओ और बाल कल्याण के लिए भी काय करना, महामारियो, भूचालो, अकालो, बाढो तथा अन्य विपदाओ में ग्रस्त लोगो के लिए अन्य सुविधाए मुहैया करने के साथ-साथ कपडे आदि देना भी है। यह अस्पतालो तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रो की भी सहायता करता है। इस सोसायटी के कार्यों का निष्पादन इडियन रैडक्रास सोसायटी नियम 20 के अधीन बनाए गए नियमो के अनुसार किया जाता है। इन नियमो का निर्धारण रैडक्रास सोसायटी की व्यवस्थापक समिति करती है। भारत का राष्ट्रपति इस सोसायटी का अध्यक्ष होता है। वार्षिक जनरल मीटिंग मे वही अन्य सदस्यो के अतिरिक्त सोसायटी के चेयरमैन को नामजद करता है।

सोसायटी की आम सभा की बैठक वार्षिक 1978 की 5 6 अप्रैल को होनी थी। 30 माच अर्थात इस बैठक के एक सप्ताह पूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने मुझे एक पत्र लिखा—

भारतीय रैडक्रास सोसायटी की ससद मे तथा बाहर काफी आलोचना हुई है। हमे इस बात की काफी चिन्ता है। मैं समझता हू कि इसके काय को ठीक दिशा देने के लिए किसी हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायधीश के स्तर के एक स्वतत्र व्यक्ति को जो यह उत्तरदायित्व सभाल सके, नियुक्त किया जाय। मैं वी० एम० श्री तारकुडे, जिन्हें सभवत आप भी जानते हैं—भारतीय रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्ति की सिफारिश करता हू। श्री रगनाथन ने अभी इस पद से त्यागपत्र दिया है।

न्यायाधीश तारकुडे के सबध मे सिफारिश को स्वीकार करते हुए 3 अप्रल को मैंने प्रधानमन्त्री को लिखा कि मैंने इस विचार से इडियन रैडक्रास सोसायटी

के सविधान को देखने के लिए मगाया है ताकि भारत के राष्ट्रपति को उससे अलग रखा जा सके। मैंने प्रधानमन्त्री से प्रार्थना की कि वे इस विषय मे अपनी राय मुझे दें।

प्रधानमन्त्री ने 5 अप्रैल को अपना उत्तर मुझे भेजा। उन्होंने मेरे सुझाव का उत्तर देते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति को सोसायटी के अध्यक्ष पद से अलग रहना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि सोसायटी की प्रबध समिति को चाहिए कि वह रैडक्रास सोसायटी एक्ट 1920 की धारा 5 के नियमो को सशोधित करे। उन्होंने सभावना के अनुरुप यह भी कहा कि मैं नही चाहता कि आपकी पत्नी सोसायटी की महिला अध्यक्ष हो, ऐसी स्थिति मे यह करना भी आवश्यक होगा। उनका विचार था कि चूंकि इस सस्था का प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष होता है, इसलिए उसकी नामजदगी सोसायटी के प्रैजिडेंट द्वारा होनी चाहिए और यह नियुक्ति सरकार के अधीन रहनी चाहिए। यदि आप सोसायटी के प्रैजिडेट पद से मुक्त होना चाहते हैं तो सरकार को यह सोचना पडेगा कि मन्त्रिमडल का कौन-सा सदस्य अध्यक्ष की नामजदगी करे।

सोसायटी की प्रबध समिति के अध्यक्ष बग्लादेश के शरणार्थियो से सबधित सहायता कार्यक्रमो पर ससद और समाचार-पत्रो मे लगाए गए दोषारोपणो से बहुत चिन्तित थे। प्रबध समिति ने निश्चय किया कि भारत सरकार के प्रमुख सतर्कता आयुक्त एम० जी० पिमपुटकर से यह प्रार्थना की जाए कि सोसायटी की कार्य पद्धति के सबध मे जो गम्भीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी छानबीन करें। पिमपुटकर ने रैडक्रास सोसायटी के विरुद्ध लगाए गए दोषारोपणो के सबध म अपनी रिपोर्ट 9 अगस्त, 1979 को प्रधानमन्त्री को दी।

जनवरी 1980 मे केन्द्रीय सरकार के बदल जाने पर राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री के परामर्श पर 29 अप्रल, 1980 को आम समिति की सभा मे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्यमन्त्री एन० आर० लस्कर को रैडक्रास सोसायटी का अध्यक्ष नामजद कर दिया। एक नई प्रबध समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने सोसायटी की कार्यप्रणाली पर लगाए गए आरोपो के सबध में पिमपुटकर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तीन सदस्यो की एक समिति नियुक्त की। तीन सदस्यीय इस समिति का निष्कर्ष था कि सोसायटी के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। 17 फरवरी, 1981 को हुई बैठक मे समिति की इस रिपोर्ट को कुछ स्पष्टीकरणों के साथ स्वीकार कर लिया। इस सबध मे एक विस्तृत प्रस्ताव भी पारित किया गया।

सोसायटी के प्रैजिडेंट के नाते राष्ट्रपति ने अपने सचिव को सोसायटी की प्रबध समिति के लिए नामजद किया। 17 फरवरी, 1981 को हुई प्रबध समिति की बैठक में राष्ट्रपति के सचिव ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह अभी प्राप्त हुई है। उस पर अतिम निर्णय लेने से पहले सदस्य

रिपोर्ट का अध्ययन कर सकें, इसलिए प्रबंध समिति की बैठक एक सप्ताह बाद बुलाई जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उस बैठक में वित्त सचिव (प्रबंध समिति के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामजद एक और व्यक्ति जो सोसायटी का कोषाध्यक्ष भी होता था) भी उस बैठक में उपस्थित रहें ताकि उस पर विचार के लिए उनकी सहायता प्राप्त हो सके। उनका यह भी विचार था कि प्रस्ताव का जो विस्तृत मसौदा स्वीकार करने के लिए प्रचारित किया गया है, उसमें सोसायटी के पूर्व प्रेजिडेंट और प्रधानमन्त्री का उल्लेख उचित नहीं। परन्तु उनके यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुए। राष्ट्रपति के सचिव द्वारा प्रार्थना करने पर भी इन बातों को रिकार्ड में भी सम्मिलित नहीं किया गया।

बाद में राष्ट्रपति के सचिव ने वित्त सचिव से इस बात पर विचार किया। वित्त सचिव इस बात से सहमत थे कि प्रबंध समिति ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया वह उचित नहीं। उनका विचार था कि एक संक्षिप्त प्रस्ताव किसी भी संबद्ध व्यक्ति के उल्लेख के बिना तैयार किया जाए। इस प्रस्ताव तथा 17 जनवरी, 1981 को हुई बैठक की कार्यवाही पर भी विचार किया जाए। उनका विचार था कि अध्यक्ष प्रबंध समिति के सदस्यों को पूर्व प्रस्ताव के स्थान पर इस संक्षिप्त प्रस्ताव पर विचार के लिए परामर्श दें। मेरे सचिव ने इन सब बातों से मुझे सूचित किया और वित्त सचिव द्वारा सुझाए गए संक्षिप्त प्रस्ताव का मसौदा भी मुझे दिखाया। इस प्रस्तावित कार्यवाही पर मैंने अपनी सहमति प्रकट की।

इसके बाद मेरे सचिव सोसायटी के अध्यक्ष (राज्यमन्त्री एन० आर० लस्कर) से मिले और उन्हें संशोधित प्रस्ताव का मसौदा दिया तथा उसे स्वीकार करने के लिए कहा।

श्री लस्कर 18 अप्रैल, 1981 को मुझसे मिले। मैंने उन्हें वित्त सचिव के संक्षिप्त प्रस्ताव के मसौदे को स्वीकार करने की आवश्यकता बताई। मेरा यह भी विचार था कि मन्त्री महोदय इस मामले पर 24 अप्रैल, 1981 को होनेवाली प्रबंध समिति की बैठक में विचार करें। परन्तु वित्त सचिव द्वारा सुझाए गए संशोधित मसौदा पर विचार किये बिना ही प्रबंध समिति ने पूर्व पारित विस्तृत प्रस्ताव की ही पुष्टि कर दी।

मैं तो 2 वर्ष पूर्व से इस निर्णय पर पहुंच चुका था कि मुझे इंडियन रैडक्रास सोसायटी तथा अन्य संबद्ध हिन्दू कुष्ठ निवारण संघ आदि संस्थाओं का अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। इंडियन रैडक्रास सोसायटी तथा उससे संबद्ध संस्थाओं से मेरे संबंध न रखने के निर्णय की सूचना सोसायटी के महामन्त्री को 8 जून, 1981 को दे दी गयी थी। उन्होंने इसकी सूचना सोसायटी के अध्यक्ष को भेज दी। 10 जून, 1981 की शाम को सोसायटी के अध्यक्ष मुझसे मिलने आये। मैंने उनके सामने भी अपना निर्णय दोहराया। अगले दिन 11 जून 1981 को इंडियन रैडक्रास सोसायटी के

महामत्री को लिखित रूप मे यह सूचना भेज दी गई कि सोसायटी के निरतर असतोषजनक ढग स काय करने के कारण राष्ट्रपति सोसायटी तथा उससे सबद्ध सस्थाओं से किसी भी प्रकार का सबध नही रखना चाहते। उनसे इसी बात की प्राथना की गई कि वे सोसायटी के नियमो मे ऐसा आवश्यक सशोधन करें ताकि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का सोसायटी से किसी प्रकार का सबध न रहे। नियम सबधी किसी समस्या से बचने के लिए राष्ट्रपति ने इस बात की सूचना भी भेज दी कि चालू समय के लिए एन० आर० लस्कर सोसायटी के अध्यक्ष रह सकते हैं।

इस सूचना से इडियन रैडक्रास सोसायटी के लिए यह सभव हो गया कि 11 जून, 1981 के लिए निश्चित की गई आम समिति की वार्षिक बैठक कर सके। मैंने प्रबध समिति के सदस्यो को भी नामजद नही किया, जिनके नाम प्रधानमत्री ने 10 जून, 1981 के अपने पत्र मे मुझे सुझाये थे। 30 जून को प्रधानमत्री मुझसे मिलीं। विचार के दौरान प्रधानमत्री ने मुझसे कहा कि नामजद सदस्यो के बिना प्रबध समिति काम करने मे असमर्थ रहेगी। इसलिए मैंने उनके द्वारा सुझाये गये नामो को 1981 82 की प्रबध समिति के लिए स्वीकृति दे दी।

इडियन रैडक्रास सोसायटी के कार्यकारी महामत्री ने अगले वर्ष के प्रारभ मे मेरे सचिव को यह सूचना दी कि मेरी इच्छाओ के अनुरूप तथा अय औपचारिकताएं पूरी करके नियमों में सशोधन कर दिया गया। उपराष्ट्रपति को सोसायटी का अध्यक्ष और उनकी पत्नी को सोसायटी की महिला अध्यक्ष बनाया गया।

इडियन रैडक्रास सोसायटी स्वायत्त सस्था है। सरकार का इसके काय पर कोई विशेष नियन्त्रण नही। यह ठीक है कि सोसायटी के अध्यक्ष (जो भी हाल के समय तक भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे) प्रबध समिति के सदस्यो और चेयरमेन को नामजद करते थे। इतने पर भी इसके प्रबध म सरकार का कोई विशेष महत्त्व नही था। सरकार उसके कार्यों की देखभाल करने की स्थिति मे भी न थी। इस स्थिति में राष्ट्रपति का सोसायटी का अध्यक्ष बने रहने मे कोई तुक न थी क्योंकि उनके पास ऐसा कोई साधन नही था कि वे उसके सबध मे प्राप्त शिकायतो की जाच करवा सकें अथवा कोई आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सके।

भारत के राष्ट्रपति का रैडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष के नाते कर्तव्य के सबध मे भी मैं सहमत नही था। नियमो के अधीन सोसायटी का प्रेजीडेंट अध्यक्ष और प्रबध समिति के कुछ सदस्यो की नामजदगी करता है। क्या ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सोसायटी की नियुक्तियो और नामजदगियो के सबध में अपने मन्त्रिमडल के परामर्श को स्वीकार करने के लिए कह सकता है। इस सबध मे स्थिति अस्पष्ट है। परन्तु निश्चय ही मैं समझता हू कि इस बात का उत्तर नकारात्मक है।

इन्हीं सब बातों के कारण मैंने इडियन रैडक्रास सोसायटी तथा उससे सबधित संस्थाओं से अपने आपको अलग करने का निश्चय किया था।

16

विश्वविद्यालय और भारत का राष्ट्रपति

विश्वविद्यालयो से संबद्ध नियमो के अनुरूप भारत का राष्ट्रपति केन्द्र के अधीन विश्वविद्यालयो का 'विजिटर' होता है और राज्यपाल अपने प्रदेश मे स्थित विश्व विद्यालयो के कुलपति होते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्यपाल जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति भी है, जिसे सविधान की धारा 163 के अनुरूप अपने मन्त्रिमडल के परामश और सहायता से कार्य करना होता है, क्या वह कोई स्वतन्त्र निणय भी ले सकता अथवा काय कर सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पहली बार पूना और आध्र विश्व विद्यालयो के सबध मे उठा। उस समय के महान्यायवादी का मत था कि कुलपति राज्यपाल की स्थिति मे काम नही कर सकता, भले ही वह उस प्रदेश का राज्य पाल होता है। वह कुलपति के रूप मे ही विश्वविद्यालयो के सबध मे कोई निणय ले सकता है, राज्यपाल के रूप मे नही। यही प्रश्न 1964 मे सामने आया। इस अवसर पर महान्यायवादी ने देश के कुछ विश्वविद्यालयो पर लागू नियमो पर विचार का परामश दिया। इन नियमो मे एक सामान्य बात का उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि इन नियमो मे कुलपति और सरकार पर काम का दायित्व सौंपा गया है। कुलपति विश्वविद्यालय का एक भाग होता है जब वह उसके सबध मे अपने कार्यों का पालन कर रहा होता है तो वह सरकार के मुखिया के रूप में नहीं, परतु अपने दायित्व पर काम करता है।

कई बार यह विचार भी प्रकट किया गया है कि राज्यपाल को कुलपति इस लिए बनाया जाता है कि सरकारी नियत्रण रहेगा। ऐसा असभव है क्योकि इस स्थिति मे कुछ कार्यों के लिये प्रदेश सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राज्यपाल सामान्य रूप से विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। वह उस पर सरकारी नियत्रण को सुरक्षित रखने के लिये नही वरन् उसे सम्मान प्रदान के लिए है। इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुलपति अपने मत्रियो और मत्रियो के परामश और सहायता से काम करने के लिए बाध्य नही है क्योकि विश्वविद्यालय

को अपना प्रबध करने के सबध मे स्वायत्त सस्था माना जाता है। और यदि कही सरकार को कुलपति के माध्यम से परोक्ष रूप से कुछ विश्वविद्यालयो पर अपना नियत्रण रखने की चाह होती तो उसके लिए विशेष नियम की व्यवस्था की गई होती।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के कार्यों पर विचार का अवसर आया क्योकि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने इस सबध मे अपील की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था कि भारत के राष्ट्रपति और 'विजिटर' का पद एक व्यक्ति मे समाहित हो गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप मे वह अपने मत्रियो के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है और विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप मे वह मत्रियो के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नही।

इस निर्णय के प्रभावो पर विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति के रूप मे मत्रियो द्वारा दिए गए परामर्श पर जब वह कार्य करता है तो उसके कार्यों के प्रति दायित्व सरकार का होता है। अपने मत्रियो के परामर्श पर कार्य करने की आवश्यकता न समझी जाए तो उसका दायित्व क्या होगा। ऐसी स्थिति मे उसके विवाद मे फस जाने की सभावना को भी ध्यान मे रखना चाहिए। यह वाछनीय नही कि भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप मे भी किसी भी विवाद मे फसाया जाए। राष्ट्रपति के विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप मे और अपनी सरकार से स्वतत्र रहकर काम करने के कानूनी परिणामो पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। इस सबध मे अधिकारिक निर्णय ही सदा के लिए इस विवाद को समाप्त कर सकती है।

17

मेरा अंतिम गणतन्त्र दिवस संदेश

अपने राष्ट्रपति काल मे स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्र की जनता को पाच बार और गणतत्र दिवस पर तीन बार सबोधित करने का अवसर मिला। आमतौर पर यह भाषण आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन म ही रिकाड करने की परपरा रही है और इस भाषण को राष्ट्रीय दिवस की पूव सध्या पर प्रसारण करने के लिए विभिन्न केन्द्रो को भेजा जाता रहा है। यह परपरा रही है कि मेरे सचिवालय द्वारा इस भाषण की सूचना प्रधानमत्री के सचिवालय को रिकार्डिंग से एक-दो दिन पहले दी जाती थी। अतिम अवसर के अतिरिक्त उससे पहले मुझे कभी भी अपने भाषण मे कुछ जोडने तथा परिवतन करने के लिए सुझाव नही दिया गया।

अतिम अवसर अर्थात 1982 के गणतत्र दिवस की पूव सध्या पर जो कुछ हुआ उसका सक्षेप मे, मैं वणन करना चाहूगा।

14 जनवरी की सध्या को प्रधानमत्री मुझे यह सूचना देने के लिए मिली कि वे अपने मत्रिमडल मे कुछ सदस्य बढाना चाहती हैं और उनके विभागो मे भी परिवतन करना चाहती हैं। उस समय मैंने सरसरी तौर पर उन्हे यह सूचित कर दिया कि गणतत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम दिया जानेवाला भाषण मैं उन्हें कुछ दिन मे भेजने वाला हू। इसके अनुसार मेरे सचिवालय ने मेरा भाषण प्रधानमत्री के सचिवालय को 18 जनवरी को भेज दिया। अगले दिन 12 30 बजे प्रधानमत्री मुझसे मिली और मुझे अपने भाषण म कुछ अश बढाने और परिवतन का सुझाव दिया।

अपने भाषण के प्रथम भाग मे मैंने राष्ट्र द्वारा पिछले 30 साल की उपलब्धियो का वणन किया था और कहा था कि हमे उस पर गव है। उसके बाद मैंने राष्ट्र की उन बातो का उल्लेख किया था जिनके सबध मे हम सब चिन्तित थे कि पचवर्षीय योजनाओ पर भारी खच के बावजूद पिछले दशक मे हम प्रतिव्यक्ति आय मे बहुत ही नगण्य वद्धि कर पाय हैं। इसके साथ ही सभी आवश्यक उप

भोक्ता वस्तुओ की कीमतें धीरे धीरे बढती रही हैं। (उपभोक्ताओ का ध्यान केवल इसी बात पर जाता है) जबकि मूल्य सूचकाक मे थोक दामो पर कमी हुई है जिसके आधार पर सरकार मुद्रास्फीति की दर निकालती है। इसके साथ ही मैंने छोटे किसानो, खेतिहर मजदूरो और नगरो म रहने वाले निधनो की स्थिति, कानून और व्यवस्था के बिगडने, देश म हिसा की प्रवृत्ति बढने और कुछ समय पूर्व गाधीजी के नेतृत्व मे राष्ट्र सेवा और बलिदान की जो भावना थी उसके लोप होने और जन-नेताओ के स्तर म गिरावट आन और इन सारी बातो के हमारे जीवन मे प्रवेश पा लेने के कारण सबन आत्म निरीक्षण के लिए कहा था। भाषण म कोई एमी बात नही थी जिससे सब सहमत न हो। इसके बावजूद प्रधानमत्री कुछ परिवतन चाहती थी। उनका कहना था कि इस भाषण क मूल रूप म प्रसारित होने पर ससद मे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। उन्होन अनुभव किया कि सभवत यह भाषण कुछ स्थानो पर अधिक कठोर हो गया है। उनके द्वारा सुझाये गय परिवतनो के बाद भी जो बातें मैं कहना चाहता था व उस भाषण की भावना म मूलरूप से विद्यमान थी। उन्होने आशा प्रकट की कि सुझाय गये सशोधनो को स्वीकार कर लूगा। दोपहर बाद जब मैंन उनके द्वारा सुझाय गये परिवतनो का अध्ययन किया तो मैंन उन्ह स्वीकार कर लिया। मर परिवतन करने के बाद भी मेर भाषण का मुख्य भाव पूववत् ही था, केवल प्रतिव्यक्ति आय के सबध मे दिए गय आकडे निकाले गये थे। मैंने प्रधानमत्री को टेलीफोन पर यह बताया कि मैंन उनके द्वारा सुझाए गये सब सशोधनो को स्वीकार कर लिया है। इस स्वीकृति पर उन्होने मुझे अतिशय धन्यवाद दिया।

परन्तु बाद मे पता चलने पर मुझे इस बात पर आश्चय हुआ कि मत्रिमडल के प्रमुख सदस्यो और स्वय प्रधानमत्री को मर भाषण से अप्रसन्नता हुई। मेरे भाषण म एसी कोई बात न थी जिसस सरकार और सत्ता दल की सीधी आलोचना होती हो। यह तो राष्ट्र के पिछले 30 साल के कार्यो का एक प्रकार से लेखा-जोखा-सा था, जिसके सबध म मेरा विचार था कि राष्ट्रीय दिवस क अपने अतिम भाषण मे मैं इस पर अपने विचार प्रकट करू। मने सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना की और उसकी कमजोरियो को उजागर करन म भी नही हिचकिचाया। दूसरे आश्चर्य की बात यह थी कि मैं प्रधानमत्री की इच्छा क अनुरूप अपने भाषण मे परिवतनो को भी स्वीकार कर चुका था जैसा कि इसस पूव अवसरो पर मैंन कभी नही किया था। ऐसी स्थिति मे मुझे खेद है कि मेर भाषण का गलत समझा गया।

18

भारतीय परिदृश्य : चिंतनीय विषय

हमारे देश के लोगों की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि आवश्यक पोषक कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हों। कुपोषण सामान्य रूप से आवास सुविधाओं की असंतोषप्रद स्थिति में अभी भी लाखों व्यक्ति रह रहे हैं। हमारे देश की 30 प्रतिशत जनता किसी-न किसी प्रकार अभाव से ग्रस्त है। निश्चय ही यह स्थिति हमारे लिए चिंता का कारण है।

हमारे देश के 30 प्रतिशत निर्धनतम व्यक्तियों पर 15 प्रतिशत व्यय होता है जबकि ऊपर की श्रेणी के 30 प्रतिशत लोगों पर 50 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इस खर्च के आधार पर 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। निम्न वर्ग के 30 प्रतिशत लोगों पर जो व्यय होता है, उससे उनके निम्न पोषण स्तर का पता चलता है। विभिन्न वर्गों द्वारा जिस उपभोक्ता व्यय का मैंने उल्लेख किया है उससे आय के असमान वितरण का बोध होता है। कुछ समय पूर्व किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ऊपर की श्रेणी के 5 प्रतिशत परिवारों के हिस्से में 23 प्रतिशत आय आती है जबकि नीचे की श्रेणी के 5 प्रतिशत पर केवल एक प्रतिशत। आय और धन के वितरण में स्पष्ट असमानताएं विकासशील और विकसित देशों में भी हैं और संभवतः उनके लिए भी यह चिंता की बात है। यहां भारत में हमारे लिए इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हम सुनियोजित अर्थ व्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास और असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में बहस प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार इस बात का उल्लेख किया था कि पहली दो योजनाओं के काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। परन्तु उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया था कि इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि उन योजनाओं से हुई अतिरिक्त आय कहां गई और इसका वितरण कैसे किया गया। अक्तूबर, 1960 में प्रोफेसर महालनोबीस की अध्यक्षता में एक कमेटी इस बात का अध्ययन करने के

लिए बनाई गई कि आय और सम्पदा के वितरण मे क्या रुझान है और उन्हे इस बात का भी पता लगाना था कि वित्तीय व्यवस्था की काय प्रणाली से सम्पदा किस सीमा तक कुछ लोगो के हाथ म इक्ट्ठी हुई है। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आय के असमान वितरण की समस्या नई नही है। 1960 के प्रारम्भ म सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया।

देश के वित्तीय साधनो का कुछ लोगो के हाथ म एकत्र हो जाने स लोकतत्र पर दूरगामी प्रभाव पडता है। समय बीत जाने के साथ-साथ चुनावो पर खच बढता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, भले ही वह कितना धनी क्यो न हो, अपने वित्तीय सा नो से चुनाव नही लड सकता। सभी प्रकार के राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ अपने चुनाव के लिए बडे उद्योगो तथा अन्य दलीय स्वाथवाले व्यक्तियो से वित्तीय सहायता लेते हैं। अपने विशाल वित्तीय साधनो के कारण जिनमे से कुछ का कोई हिसाब किताब नही होता, वे अपने दलगत स्वार्थों के कारण चुनाव के परिणामो और देश की वित्तीय और आर्थिक नीतियो को प्रभावित करते ह। कुछ लोगो के हाथ मे सम्पत्ति जमा होने के कारण समाज विरोधी परिणाम निकलते है और उसका प्रभाव लोकतत्रीय व्यवस्था की काय प्रणाली पर भी पडता ह। इसलिए हमे शीघ्र ही कुछ लोगो के हाथ म आर्थिक सत्ता इकट्ठा होने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होग।

एक और विचारणीय मुद्दा सावजनिक अथवा प्राइवेट और उससे बाहर के क्षेत्रो के अप्रशिक्षित मजदूरो के वेतनमान म असमानता का है। मुझे याद है कि एक बार एक सभा म प्रधानमत्री मोरारजी देसाई ने यह कहा था कि बम्बई के किसी सरकारी क्षेत्र के प्राधिकरण मे एक महिला सफाई कम चारी को प्रतिमास 1500 रुपये के लगभग वेतन मिलता है। इसी प्रकार के किसी अन्य सगठित उद्योग मे भी मजदूर का वेतन लगभग इतना ही है। सगठित अथवा उससे बाहर के क्षेत्र के अप्रशिक्षित मजदूरो की समद्धि और शैक्षणिक पष्ठभूमि लगभग एक जैसी होती है जबकि सगठित क्षेत्र के मजदूरो को अन्य क्षेत्र के मजदूरो स कई गुना अधिक वेतन मिलता है। सगठित क्षेत्र के मजदूरो को काफी सुरक्षाए भी प्राप्त हैं जबकि अन्य मजदूरो को किसी प्रकार की सुरक्षा नही मिलती। अक्सर उनमे से अधिकाश बेकार रहते ह। यह बात सब जानते ह कि अध्यापको तथा सफेदपोश मजदूरो ने अपनी शिक्षा तथा अन्य योग्यताए प्राप्त करने के लिए काफी खच किया होता है। उन्हे राष्ट्रीयकृत उद्योगो तथा सरकारी प्राधिकरणो और व्यक्तिगत उद्योगो के सगठित कमचारियो से बहुत कम वेतन मिलता है जबकि असगठित क्षेत्र के कमचारियो की योग्यता इनके मुकाबले म बहुत अधिक होती है। कुछ राष्ट्रीयकृत प्राधिकरणो के कमचारियो को अपक्षाकृत अधिक वेतन के साथ-साथ मकान और चिकित्सा सुविधाए भी प्राप्त होती हैं जबकि एसी सुविधाए और लाभ हमारी

अधिकाश जनता की पहुच से बाहर हैं।

लम्बे समय स समाज के इस सगठित और मुखर कमचारी वग की समस्याए और मागें हमारे लिए चिन्ता का विषय रही हैं। हमने सदा इन्हें प्रसन्न करन का प्रयत्न किया है, जबकि व निधनता के इस महासागर मे एक छोटे स समृद्ध द्वीप के समान प्रतीत होते हैं।

राष्ट्रीयकृत प्राधिकरणो, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के तथा छोट और बडे उद्योगो—विशेष रूप से शहरी क्षेत्र मे कमचारियो को सगठित करना अपेक्षाकृत सरल काय होता है। जब राजनीतिक दल और व्यावसायिक मजदूर नेता उन्हें और अधिक सुविधाए दिलवाने के लिए उनकी बात उठाते है, उस समय उन लोगों को इन सब बातो का ध्यान नही रहता कि उनकी मांगें पूरी करवाने से देश की वित्तीय तथा असगठित मजदूरा की स्थिति पर क्या प्रभाव पडेगा। मैं। प्राय अपन अनेक साम्यवादी दोस्ता से इस बात का जिक्र किया है कि व देहात मे रहनेवाले मतदाता को प्रभावित नही कर सकते क्योकि उनके दल का सगठित क्षेत्र के मजदूरा का प्रतिनिधित्व करनेवाला ही समझा जाता है।

वित्तीय साधना के इस विकृत स्वरूप और आय के वितरण तथा लागो के जीवन स्तर की असमानता के प्रति लोग अब अधिक देर तक उदासीन नही रह पायेंगे। इसकी प्रतिक्रिया होगी।

पचवर्षीय योजना मे अत्यधिक पूजीनिवेश के बावजूद प्रतिव्यक्ति आवश्यक वस्तुआ की उपलब्धि म अनेक बार उतार चढाव आये हैं और इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नही हुआ। वतमान मूल्यो के अनुसार स्थिर मूल्या के आधार पर प्रति व्यक्ति आय म वद्धि दिखाई गई है परन्तु इस प्रगति नही कहा जा सकता। उदाहरण के रूप में, वतमान मूल्यो के अनुसार 1977 मे प्रति व्यक्ति आय 1094 रुपये थी। 1980 मे यह 1379 रुपये थी पर तु स्थिर मूल्यो के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1971 म 635 रुपए थी, 1977 मे 650 रुपये और 1980 में 678 रुपये। थोक मूल्य सूचकाक की वृद्धि का स्थिति कुछ भी हो, उपभोक्ता वस्तुओ के दाम निरतर बढ़ते रहे और यही बात सबकी चिता का केन्द्र बिन्दु है। केवल आवश्यक खाद्य वस्तुओ के मूल्य ही धीरे धीरे बढते नही रहे है वरन् लोगों को रेल और सडक यातायात तथा बिजली और पानी के लिए भी अधिक खच उठाना पडा है। ऐसी स्थिति म लोग सरकार क मुद्रास्फीति को पूणतया रोक देने के दावे को मजाक ही समझेंगे। हमे ज्ञान है कि मुद्रास्फीति विश्वव्यापी समस्या है और लोग इसके प्रति जागरूक हैं, इसलिए इस सहते रहना उनके लिए आसान काम नही। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इस मूल्य वृद्धि का कारण कहा तक तेल के मूल्या मे अप्रत्याशित वद्धि आदि अन्तर्राष्ट्रीय हैं और कहा तक हमारी अपनी गलतिया और असफलताओ के कारण।

हमारे देश ने जितनी प्रगति की है वह जनसख्या की वृद्धि के कारण अधिकाश रूप से अप्रभावी हो जाती है। नई नौकरियों के उचित अवसर न होने के कारण पिछले बेकार लोग और श्रमिक क्षेत्र म नये आनेवाले मजदूरो के कारण बेकारी बढ़ रही है। जनसख्या बढने के बावजूद बढती बेकारी, उपभोक्ता वस्तुओ की बढती हुई कीमतें, जीवन स्तर मे सुधार की कमी आदि कारणो से अधिकाश लोगो मे असतोष फलेगा और इस प्रकार सरकार कठोर और दमनपूर्ण कदम उठाने के लिए विवश होगी।

इन वर्षों मे, विशेष रूप से देश के कुछ भागो मे, हिंसा की प्रवृत्ति बढने से सभी देशभक्त भारतीय चिंतित हैं। वे मा यताए और मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं जिनके कारण भूतकाल म हम शान्तिपूर्वक आपस मे मिलकर रहते थे। कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान और किसी के जीवन और सम्पत्ति के प्रति सुरक्षा भावनाओ का प्रभाव हमारे चरित्र मे से समाप्त होता जा रहा है। दुबल और भोले भाले वग के लोगो पर अत्याचार करने और स्त्रियो के प्रति दुव्यवहार और उन्हें परेशान करने के सबध में हम प्राय सुनते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सस्कृति और नतिकता का हम पर कितना दिखावटी प्रभाव रह गया। परपरागत मा यताए विश्व भर म कमजोर हुई हैं परन्तु इस बात के कारण समस्याओ को सुलझाने के प्रयत्न रोके नही जा सकते।

इस पुस्तक मे किसी अ य स्थान पर मैंने राजनैतिक भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। अपने पाच साल के राष्ट्रपति काल मे मैंने सावजनिक जीवन में गिरावट आने का कई बार उल्लेख किया है।

इसे सभी ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय जीवन की जिन बुराइयो अथवा कमजोरियो का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उन्हे शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अथवा दल यह नही कह सकता कि वही देशभक्त है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से दुबल वग की भलाई की चिन्ता केवल उसी को है। हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दल मे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होने देश की स्वतत्रता के लिए बलिदान किये हैं और जिन्हे धन और सत्ता के प्रति कोई आकषण नही। अपने राजनीतिक विरोध के कारण ऐसे लोगो की विश्वसनीयता मे सन्देह करना एक भयकर भूल ह। इसलिए प्राय मैंने यह अनुभव किया है कि यदि सत्ता पक्ष को राष्ट्रीय समस्याओ के सामा य और उचित हल की खोज है तो उसके लिए अपनी पार्टी के प्रभाव से हटकर देश के महत्त्वपूण व्यक्तियों से विचार करना चाहिए। इससे लाभ होगा।

इसमे संदेह नही है कि हमने राष्ट्रीय एकता और समन्वय परिषद आदि सस्थाओ का निर्माण किया है। परन्तु व अपने आकार और सदस्यो के चयन म

कारण साम्प्रदायिक विचार विमर्श मे सहायक सिद्ध नही हो सकी।

अभी हाल के वर्षों तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भारतीय मुसलमानों म अद्वितीय रहे हैं। उनके द्वारा उठाये गये कुछ कदमो के कारण दुर्भावपूर्ण विवाद के उठने पर भी उनकी देश भक्ति और धर्मनिरपेक्ष मान्यताओ के सबध म किसी ने उन पर सन्देह नही किया। क्योकि वह केवल कामरूप के या दोनों वर्ती ही नही है, उन्होने सभी स्तरो के बगालियो का प्रेम प्राप्त किया है। ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद की योग्यता और देशभक्ति पर सन्देह नही किया जा सकता। मैंने केवल कुछ नामो का वर्णन किया है परन्तु बहुत से योग्य और ध्येय के प्रति समर्पित अन्य बहुत स व्यक्ति हैं जिनका परामर्श सरकार और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

यदि सत्ता पक्ष के उच्च नेता सच्चाई से विरोधी दलो से सहयोग चाहेंगे तो मुझे सन्देह नही कि व स्वेच्छापूर्वक ऐसा करने के लिए तयार होंगे। इस प्रकार के दृष्टिकोण से देश का राजनीतिक वातावरण व्यापक रूप से सुधरेगा। यहा मैं उन भावनाओ को स्मरण करना उपयोगी समझता हू जो मैंने राष्ट्रपति पद सभालते समय राष्ट्र के नाम अपने प्रारभिक भाषण म प्रकट की थी। मैंने आपसी सदभावना को अपनाने के लिए कहा था जिससे जनता के व्यापक कल्याण और राष्ट्र की शक्ति को सगठित करके हानिप्रद राजनीति से बचा जा सके।

• रुचिका प्रिण्टस, उल्धनपुर, नवीन शाहदरा दिल्ली 32 98111